केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतु

टी बोर्ड भारत

64 वीं रिपोर्ट 2017-18

14, बी.टी. एम. सरणी

कोलकाता - 700 001

मुद्रक :
सरस्वती प्रेस लिमिटेड
(पश्चिम बंगाल सरकार का उद्योग)
११. बी.टी. रोड, कोलकाता-७०० ०५६

विषय–सूची

64 वीं वार्षिक रिपोर्ट, टी बोर्ड : 2017-18

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	संगठानात्मक ढांचा एवं कार्य	1 - 11
अध्याय 2	वैश्विक भारतीय चाय परिदृश्य का एक व्यापक सिंहावलोकन	12 - 15
अध्याय 3	वित्त	16 - 18
अध्याय 4	चाय विकास	19 - 30
अध्याय 5	चाय अनुसंधान	31 - 36
अध्याय 6	चाय संवर्धन	37 - 53
अध्याय 7	अनुज्ञापन	54 - 59
अध्याय 8	सांख्यिकी	60 - 61
अध्याय 9	श्रम कल्याण	62 - 65
अध्याय 10	हिन्दी कक्ष	66 - 67
अध्याय 11	विधि प्रकोष्ठ व सूचना का अधिकार	68
अध्याय 12	सर्तकता प्रकोष्ठ	69

अध्याय – 1

वर्ष 2017-18 हेतु संगठनात्मक ढांचा एवं कार्य

बोर्ड का गठन

चाय अधिनियय 1953 के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुरुप टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 में की गई थी। टी बोर्ड को भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास का कार्य प्रभारित किया गया है और यह केन्द्र सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रसाशनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है।

बोर्ड का संगठन

बोर्ड का गठन अध्यक्ष एवं भारत सरकार द्वारा नियुक्त चाय उद्योग के विभिन्न विभागों से संबन्धित 31 सदस्यों से हुआ है। प्रत्येक तीन वर्ष में बोर्ड का पुर्नगठन होता है।

दिनांक 2 नवंबर 2015, को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, नए बोर्ड का पुर्नगठन की अवधि के दिनांक 7 मार्च 2017 के गजट अधिसूचना से किया गया है जो 01.11.2018 तक वैध है।

टी वोर्ड का कार्य

चाय अधिनियम की धारा 10 के तहत वर्णित टी बोर्ड के कार्य व्यापक है एवं संक्षिप्त रुप से प्रस्तुत है।

1. चाय बागानों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना।
2. चाय की गुणवत्ता में सुधार।
3. लघु चाय कृषकों में सहकारिता प्रयासों का संवर्धन।
4. चाय अनुसंधान एवं विकास को समर्थन।
5. निर्यात एवं घरेलू खपत में वृद्धि हेतु संवर्धन अभियान का निष्पादन।
6. विनियामक कार्य-चाय बागानों, फैक्ट्रियों, प्राथमिक क्रेताओं का पंजीकरण एवं ब्रोकरों, नीलामी संगठनों, निर्यातकों तथा चाय अपशिष्ट डीलरों हेतु अनुज्ञापन जारी करना।
7. स्वास्थ्य, आरोग्य शास्त्र, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के क्षेत्र में रोपण कर्मियों एवं उनकी संतानों हेतु कल्याणकारी उपाय।
8. चाय आंकड़ों का संग्रहण एवं वितरण
9. केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ऐसी अन्य गतिविधियाँ।

निधि का स्त्रोत :

उपर्युक्त कार्य हेतु निधि बोर्ड को केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी तथा राजस्व शीर्ष के अधीन प्रदान किया जाता है। राजस्व निधि का प्रयोग विशेषरुप से प्रशासन व स्थापना प्रभार के लिए किया जाता है जिसमें चाय पर उपकर मुख्य स्त्रोत है। पूंजीगत निधियों का प्रयोग बोर्ड के विविध विकासात्मक, संवर्धनात्मक एवं कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूंजी निधियों का प्रयोग किया जाता है।

चाय अधिनियम, 1953 की धारा 25(1) के तहत भारत में उत्पादित सभी चायों पर 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उपकर लगाया जाता है केवल दार्जिलिंग चाय जिसपर उपकर 20 पैसे प्रति किलोग्राम की है। उपकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा संग्रहीत की जाती है एवं संग्रह प्रभार काट कर शेष को भारत के समेकित निधि में जमा की जाती है। जीएसटी कार्यान्वयन के बाद, तैयार चाय के उत्पादन पर लागू उपकर को जीएसटी में समाविष्ट किया गया है एवं धारा 3 के खंड (सी), धारा 25 एवं 26 तथा धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ए) भारत के गजट के धारा 1 पार्ट।। में प्रकाशित कर नियम (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 के सं. 18) के तहत निरस्त किया गया है।

प्रशासनिक ढांचा :

चाय नियम 1954, के नियम 3 के अनुसार बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है एवं इसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा उनकी सहायता के लिए मुख्यालय में उपाध्यक्ष एवं गुवाहाटी) असम (तथा कुनूर) तमिलनाडु (में स्थित

स्थापना विभाग की भूमिका है नीति को बनाना तथा चाय नियमों के प्रावधानों तथा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग व कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उप-निमयों, नियमों, आदेशों प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उप-नियमों, आदेशों, प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उप-नियमों, नियमों, आदेशों परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। सचिव इस विभाग के प्रधान है जिसे सहायक सचिव द्वारा सहायता दी जाती है। यह बोर्ड के कर्मचारियों व अधिकारियों से संबंधित मामलों, सेवा सम्बंधी मामलों, कार्यालयों की स्थापना, जनशक्ति पदों आदि से संबंधित सभा मामलों पर कार्य करता है। सचिवालय अनुभाग सचिवालय से संबंधित सभी मामलों पर कार्य करता है जैसे वीआईपी संदर्भ से संबंधित मामलें, बोर्ड मीटिंग का आयोजन आदि जबकि भंडार शाखा बोर्ड के सभी रिकॉर्ड व सूची रखता है।

बोर्ड की बैठक

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान चार वैठकों का आयोजन किया गया यथा 19/06/2017 को नई दिल्ली में 18/09/2017, को कोलकाता में 05/12/2017, को कोलकाता में तथा 24/05/2018 कोलकाता में।

बोर्ड के बैठक की संख्या	स्थान	दिनांक
232	नई दिल्ली	19 जून, 2017
233	कोलकाता	18 सितम्बर, 2017
234	कोलकाता	5 दिसम्बर, 2017
235	कोलकाता	24 मार्च, 2018

टी बोर्ड की श्रम-शक्ति

दिनांक 31.03.2018 को टी बोर्ड की कुल श्रमशक्ति 470 (प्रतिनियुक्त अधिकारियों को छोड़कर) थी। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बोर्ड के भारत में कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या सरणी-1 में दर्शाई गई है।

तालिका-1

भारत में बोर्ड की समूहवार जनशक्ति (31.03.2018) तक

क्षेत्र	ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	कुल
मुख्यालय	18	25	82	125
क्षेत्र/उप क्षेत्रीय कार्यालय	48	113	184	345
टी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी	2	0	0	2
कुल	68	138	266	472

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़े वर्ग

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल
ग्रुप ए	9	4	16	29
ग्रुप बी	23	5	31	59
ग्रुप सी	49	17	23	89
कुल	81	26	70	177

बोर्ड के कर्मचारियों का आयु-वार विवरण (प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को छोड़कर)

आयु वर्ग	ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	कुल
18-30	9	16	11	36
31-40	19	55	66	140
41-50	20	14	75	109
51-60	18	53	114	185
कुल	66	138	266	470

दिवंगत

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान तीन (03) कर्मचारियों का निधन हो गया।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान तीस (30) कर्मचारियों ने विभिन्न संवर्गो से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण किया।

7वीं वेतन आयोग का परिपालन एवं इनके विभिन्न भत्ते

- बोर्ड ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 7वीं केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों का परिपालन अपने कर्मचारियों के लिए 01.01.2016 से किया साथ ही भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 7वीं वेतन आयोग द्वारा संस्तुत अन्य स्वीकार्य मतों का परिपालन किया।

स्वच्छ भारत अभियान

- समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, टी बोर्ड ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया।

प्रशिक्षण

- **डीबीटी एवं पीएफएमएस मंच के तहत भुगतान करने के लिए प्रशिक्षण हेतु टी बोर्ड के पांच अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया।**

लोक शिकायत संसदीय प्रश्न मंत्रालय पत्राचार एवं अन्य वीआईपी संदर्भ

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड ने 177 संसदीय प्रश्न, 50 लोक शिकायत, 59 मंत्रालय पत्राचार एवं 33 अन्य वीआईपी संदर्भ का समाधान किया।

कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु शाखा

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान टी बोर्ड में यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु गठित शाखा में की भी शिकायत दर्ज नहीं किया गया।

चिकित्सा नीति

- कार्यपालक निदेशक, गुवाहाटी के नेतृत्व में समिति की संस्तुतियों के आधार पर रिपोर्टाधीन वर्ष में बोर्ड की चिकित्सा नीति में बदलाव आया। परिशोधित प्रतिमानक के अनुसार आउटपेशेन्ट चिकित्सा के तहत प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम सीलिंग प्रति कर्मचारी 25,000/- रु. की सीमा है।

टी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय
कील कुंडाह रोड, मनजुर
नीलगिरी,
तमिलनाडु-643219
दूरभाष 0423-2508316
ईमेल: regionalofficekundah@gmail.com

टी बोर्ड
17/170, रामचंद स्कवायर
कोटागिरि-643217
नीलगिरी, तमिलनाडु
दूरभाष: 04266-273316
ईमेल: teaboardkotagiri@gmail.com

टी बोर्ड
इन्दिरा गाँधी रोड
विलिंगडॉन आइलैंड,
कोची - 682 003, केरल
दूरभाष: 0484-2666523/2340481/
फैक्स: 0484-2666648
ईमेल: teaboardkochi@sancharnet.in

टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय,
511/1, कल्लोलिकल बिल्डिंग, पीयरमेड पोस्ट
इदुक्की डीटी, कुमिली
इदुक्की जिला-685 509
दूरभाषा: 04869-222628
ईमेल: teaboard.kumily@gmail.com

टीनूक, सी.आर.ओ. जी (कार्यालय के निकट)
रेलवे आरक्षण कॉम्पलेक्स काउंटर के विपरीत
तिरुमाला- 517 504, आंध्रप्रदेश

टी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय,
139, एलडैम्स रोड,
तैनामपेट 2 तल
चेन्नई - 600 002, तमिलनाडु
2. टी रुम, टी बोर्ड चेन्नई सचिवालय,
दुकान सं 3, 4 सेन्ट जॉर्ज, चेन्नई -600 009
दूरभाष: 044-24342754/फैक्स: 044-24341650
ईमेल: teaboardchennai@sancharnet.in

असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं मेघालय

कार्यपालक निदेशक
टी बोर्ड
उत्तर पश्चिम आंचिलक कार्यालय
हाउसफेड कॉम्पलेक्स,
5 वां व 6 वां तल, सेंट्रल ब्लॉक
बेलतला बशिष्ठ रोड,
दिसपुर, गुवाहाटी - 781006.
दूरभाष: 0361-2234257/2234258/
फैक्स: 0361-2234251
ईमेल: teaboardghy@hotmail.com

अगरतला
सहायक निदेशक चाय संवर्धन,
टी बोर्ड. आईटीआई रोड, पो.इंद्रनगर,
वाया–कुंजबन, अगरतला, त्रिपुरा-799006
दूरभाष: 0381-2354639/फैक्स

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र

विशेषाधिकारी उ.प.भा
टी बोर्ड
13/2 जाम नगर हाउस,
शाहजहाँ रोड,
नई दिल्ली - 110 011
टेली फैक्स : 011-23074179
मोबाईल: 09818007168
ईमेल: nasstats@gmail.com,
daktboard@gmail.com

टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय,
कालु दी हाट्टी, पालमपुर, कांगड़ा हि.प्र
दूरभाष-01894-238171/फैक्स-01894238178
ईमेल: teaboardpalampur@gmail.com

टी बोर्ड
रेशम भवन,
78, वीर नरीमन रोड,
मुंबई - 400 002.
टेलीफोन: 022-22041699/फैक्स: 022-22041699
जी.एच टेली: 2367 5401
ईमेल: mumteaboard@gmail.com

रूस

टी बोर्ड ऑफ इंडिया 4, वोरोंत्स्वो पोलये-भारतीय दूतावास,
मॉस्को रशियन फैडरेशन,
दूरभाष/फैक्स +7 (495)916 3724, +7-495 783 7535
एक्स 293 + 7(495)917 1657
आवास+7(495)952 0524, +0079653862273
ईमेल: teaboard@indianembassy.ru
dtp@indianembassy.ru

अनुलग्नक – II

बोर्ड के सदस्यों का नाम

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रतिनिधित्व	गजट अधिसूचना
1	अध्यक्ष, टी बोर्ड	नियम 4 के उप-नियम (1) के तहत नियुक्ति	दिनांक 02 नवम्बर 2015 की सं. 2383 दिनांक 02.11.2015 के एफ.सं. टी-49019/1/ 2013-पोध (अ)
2	अपर मुख्य सचिव, उद्योग व वाणिज्य विभाग, असम सरकार, दिसपुर	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ए) के तहत मूल चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति	यथा
3	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम, केरल	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ए) के तहत मूल चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति	यथा
4	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, त्रिपुरा सरकार, अगरतला, त्रिपुरा	नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ए) के तहत मूल चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति	02 नवम्बर 2015 सं. 2383 दिनांक 02.11.205 एफ. नं. टी-49019/1/ 2013-पौध (ए) एस. ओ. 2989 (ई)

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रतिनिधित्व	गजट अधिसूचना
5	सचिव, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विभाग, तमिलनाडु सरकार, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ए) के मूल चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति	यथा
6	अपर मुख्यसचिव, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता, पश्चिम बंगाल	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ए) के मूल चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति	यथा
7	अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला, हिमाचल प्रदेश	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (बी) के तहत संसद का प्रतिनिधि	यथा
8	श्री पी. नागराजन संसद सदस्य, लोक सभा	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (बी) के तहत संसद का प्रतिनिधि	यथा
9	श्री पी. नागराजन संसद सदस्य, लोक सभा	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (बी) के तहत संसद का प्रतिनिधि	यथा
10	श्री तपन कुमार सेन संसद सदस्य, राज्य सभा	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (बी) के तहत संसद का प्रतिनिधि	यथा
11	श्री किशोरीलाल अग्रवाल 1ए, 137, सेक्टर-3, साल्ट लेक, कोलकाता-700096, पश्चिम बंगाल	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (सी) के तहत चाय संपदाओं व बागान के मालिक व चाय उत्पादकों के प्रतिनिधि	यथा
12	श्रीमती वीणा श्रीवास्तव, पति श्री महिन्द्रनाथ, ग्राम-डुंगी, पोस्ट-माहाहु, पालमपुर, जिला, काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (सी) के तहत चाय संपदाओं व बागान के मालिक व चाय उत्पादकों के प्रतिनिधि	यथा
13	श्री विद्यानंद बरकाकोटी सुबानसीरि अपार्टमेंट, ब्लॉक-बी, फ्लैस उसी, गर्वन्मेंट प्रेस रोड, बाभुनीमैदान, गुवाहाटी 781021 असम	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (सी) के तहत चाय संपदाओं व बागान के मालिक व चाय उत्पादकों के प्रतिनिधि	यथा
14	श्री डी. हेगड़े, निदेशक, द युनाईटेड नीलगिरि टी एस्टेट कम्पनी लिमिटेड चामराज एस्टेट, द नीलगिरि 643104, तमिलनाडु	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (सी) के तहत चाय संपदाओं व बागान के मालिक व चाय उत्पादकों के प्रतिनिधि	यथा
15	श्री अश्विन शेट्टी, क्लासिक प्लानटेशन, तिर्थहली रोड, कोप्पा, चिकमंगलोर, कर्नाटक	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (सी) के तहत चाय संपदाओं व बागान के मालिक व चाय उत्पादकों के प्रतिनिधि	दिनांक 08 मार्च 2017 सं. 6941 एफ.न.टी-49019//यथा-फौध(ए) दिनांक 07.03.2018 एस.ओ.771(ई)

15, होन	नियम 4 के उप-नियम (
14, त	तहत चाय संपदाओं व
	ाय उत्पादकों के प्र
ारिक	के उप-नियम (
टल	य संपदाओं व
	दकों के प्रति
	यम 4 के उप- ( ) के
	दाओं व
	के प्रति
19	

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रतिनिधित्व	गजट अधिसूचना
24	श्री एन. के. कृष्णमुर्ती, मैनेजिंग पार्टनर, एडमीन ऑफिस नानकेम्प टी इंडस्ट्री, लानकेम्प हस्पताल पमीस, कुनूर 643101	खंड (ई) नियम 4 के उप-नियम (1) तहत डिलर जिनमें निर्यातक व आयातकों का प्रतिनिधित्व	यथा
25	श्रीमती नवनिता हांडिक, हांडिक टी प्राइवेट लिमिटेड पोस्ट सपेखाती, जिला-सिवसागर असम - 785692	खंड (ई) नियम 4 के उप-नियम (1) तहत डिलर जिनमें निर्यातक व आयातकों का प्रतिनिधित्व	यथा
26*	श्री प्रभात कुमार बेजबरुआ प्लैट 41, 17 लोअर रेंज, कोलकाता - 700017 पश्चिम बंगाल	खंड (एफ) के नियम 4 के उप-नियम के तहत चाय के विर्निमाताओं का प्रतिनिधित्व	दिनांक 2 नवम्बर 2015 सं. 2383 एफ.नं.टी-49019/1/ 2013-पौध (ए) दिनांक02.11.2015 एस.ओ.2989 (ई)
27	रिक्त	खंड (ई) नियम 4 के उप-नियम के तहत चाय के विर्निमाताओं का प्रतिनिधित्व	यथा
28	श्री दिलीप मोरान शंकरदेवनगर, पोस्ट डुमडुमा, तिनसुकिया, असम	खंड (जी) के नियम 4 के उप-नियम (1) के तहत चाय के उपभोक्तताओं का प्रतिनिधित्व	यथा
29	श्री सुनील किरवई भारतीय मजदूर संघ कार्यालय एच.सं. 136/बी वाटर वर्क कॉलोनी फायर सर्विस स्टेशन के करीब, पांडु पोस्ट रेस्ट कैम्प, कामरुप 781012, असम	खंड (जी) के नियम के उप-नियम (1) के तहत चाय के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व	यथा
30	श्री एम. पी. भारगवन नैयर साथगमय, सीएमसी-23, छेरहला पोस्ट, अलापुजा, पिन-688524, केरल	खंड (एच) के नियम 4 का उप-नियम (1) के तहत अन्य अभिरुचियों का प्रतिनिधित्व	यथा
31	श्रीमती डीकी ताशी वांगचुक, ताशी उत्पल, तातोंग के नीचे सरकारी स्कूल, तातोंग, पोस्ट दारागाँव, गंगटोक 737102 सिक्किम	खंड (एच) के नियम 4 का उप-नियम (1) के तहत अन्य अभिरुचियों का प्रतिनिधित्व	यथा
32	उपाध्यक्ष	पदेन	यथा

अध्याय – 2

वैश्विक और भारतीय चाय परिदृश्यों के बारे में विस्तृत जानकारी

वैश्विक चाय परिदृश्य

उत्तरी अमेरिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में करीब 36 से अधिक देशों तक विस्तृत है, जिसमें 42´ एन (जॉर्जिया) और 35 के अक्षांश (अर्जेंटिना) के बीच व्यापक कृषि-जलवायु परिस्थितियों में चाय पैदा होती है। वर्ष 2017 के दौरान वैश्विक चाय उत्पादन और उपभोग क्रमश: 5812 मिलियन किग्रा और 5571 मिलियन किलोग्राम था। वर्ष 2017 के दौरान उत्पादक देशों से कुल निर्यात 1,796 मिलियन किलोग्राम तक बढ़ा। मुख्य चाय उत्पादक और निर्यातक देशों में चीन, भारत, केन्या, और श्रीलंका हैं और वे क्रमश: 76% और 73% विश्व चाय का उत्पादन तथा निर्यात करते हैं। (तालिका – 1)

तालिका – 1

2017 के दौरान प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देशों का उत्पादन और निर्यात में हिस्सेदारी।

देश	उत्पादन		निर्यात	
	मिलियन किग्रा	विश्वव्यापी हिस्सा	मिलियन किग्रा	विश्वव्यापी हिस्सा
चीन	2609	45	355	20
भारत	1322	23	252	14
केन्या	440	8	416	23
श्रीलंका	308	5	278	16
अन्य	1133	19	485	27
विश्व योग	**5812**	**100**	**1796**	**100**

वर्ष 2017 में प्रमुख चाय उत्पादक देशों का उत्पादन में हिस्सा

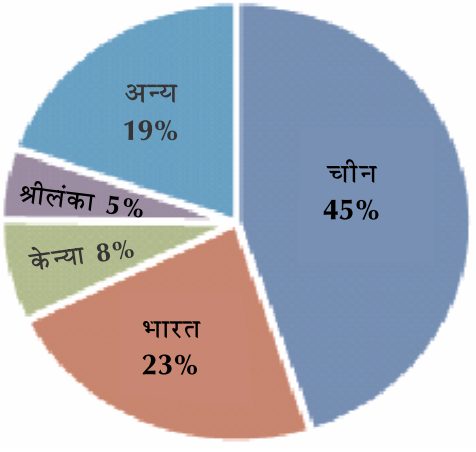

वर्ष 2017 में विश्व के चाय उत्पादन देशों का निर्यात में हिस्सा

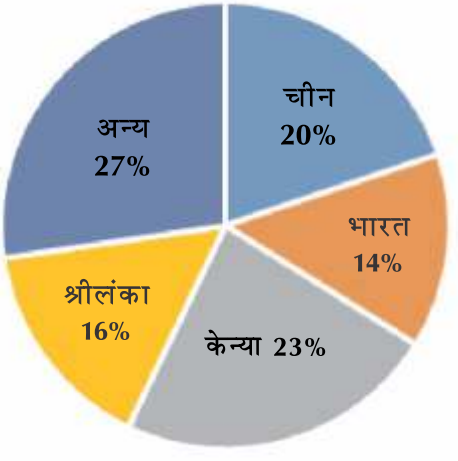

तालिका - 2 : चाय का विश्व-व्यापी निलामी मूल्य (यूएस$/कि.ग्रा. में)

देश	2017	2016
भारत	2.04	2.00
बांग्लादेश	2.45	2.55
श्रीलंका	4.06	3.20
इंडोनेशिया	NA	1.56
केन्या	2.81	2.29
लिम्बे	1.84	1.55

चाय की औसत प्रति व्यक्ति खपत अलग अलग देशों में व्यापक रूप में भिन्न होती है। सबसे अधिक खपत वाले देश तुर्की (3.20 किग्रा), लीबिया (2.40 किलो), अफगानिस्तान (2.20 किलो) और संयुक्त राज्य, मोरक्को, आयरलैंड, और कतर में करीब 2 कि.ग्रा है। हांगकांग, ताईवान, श्रीलंका, चिली, चीन, यूके एवं मिस्र में लगभग 1 किलोग्राम खपत है, जबकि भारत में खपत करीब 800 ग्राम है।

यद्यपि, भारत में प्रति व्यक्ति चाय की खपत अन्य देशों की तुलना में कम है, तथापि भारत की जनसंख्या के कारण चाय की खपत वैश्विक खपत का 19% हिस्सा है। देश में कुल उत्पादन का लगभग 76% हिस्से का उपयोग किया जाता है। यह विशिष्ट स्थान अन्य उत्पादक देशों, विशेष रूप से केन्या और श्रीलंका के विपरीत है, जो कि किसी भी मजबूत घरेलू मांग के लिए मुश्किल नहीं है और इसलिए वे अपने अधिकांश उत्पादन का निर्यात करते हैं।

वर्ष 2017 में वैश्विक चाय की स्थिति

उत्पादन :

वर्ष 2017 के दौरान कुल चाय उत्पादन में वर्ष 2016 की तुलना में 238 मि.कि.ग्रा की वृद्धि हुई। इसका विस्तृत ब्यौरा तालिका -3 में देखा जा सकता है। श्रीलंका को छोड़कर सभी उत्पादक देशों में काली चाय का उत्पादन बढ़ रहा है। तथापि, चीन, एक प्रमुख हरी चाय उत्पादक देश है, उसके उत्पादन में 204 मि.कि.ग्रा. की वृद्धि हुई।

तालिका - 3 : मुख्य उत्पादक देशों का चाय का उत्पादन (मि.कि.ग्रा.)

देश	2017	2016	>/< वृद्धि 2016
भारत	1322	1267	55
श्रीलंका	308	293	15
केन्या	440	473	-33
चीन	2609	2405	204
अन्य	1133	1136	-3
कुल विश्व उत्पादन			

स्रोत; आईटीसी के वार्षिक सांख्यिकिक बुलेटिन 2017

निर्यात :

वर्ष 2017 में कुल वैश्विक निर्यात 2016 की तुलना 7 मिलियन कि.ग्रा. गया (तालिका - 4)। हालांकि, भारत और चीन ने उसी क्रम में अपनी प्रमुख स्थिति को बरकार रखा है जबकि केन्या और श्रीलंका के निर्यात में गिरावट आई है।

तालिका–4 प्रमुख उत्पादक देश (मिलियन किलोग्राम) का निर्यात

देश	2017	2016	>/< वृद्धि 2016
केन्या *	416	480	-64
चीन	355	329	26
श्रीलंका	278	281	-3
भारत	252	222	30
अन्य	495	491	4
कुल विश्व निर्यात	1796	1803	-7

स्रोत; आईटीसी की वार्षिक सांख्यिकिक बुलेटिन 2017 (भारत को छोड़कर)
* केन्या के निर्यात में पड़ोसी आफ्रिकन उत्पादन करने वाले देश शामिल हैं

चाय मूल्य :

वर्ष 2017 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चाय की कीमतें बढ़ी रही भारत एवं बांग्लादेश को छोड़कर क्योंकि बांग्लादेश में अतिरिक्त स्टॉक था तथा भारत में फसल अच्छी उत्पादित हुई थी। कोलंबो, केन्या एवं चटगांव में औसत नीलामी के मूल्य 2016 के स्तर के अधिक रहे (तालिका - 5)।

तालिका–5 वर्ष 2017 के दौरान चाय की कीमतें प्रति किलो के हिसाब से संबंधित मुद्राओं में

निलामी केन्द्र		2017	2016	> वृद्धि 2016
भारत		133.11	134.26	-1.15
उत्तर भारत				
कोलकाता	रु.	160.26	162.09	-1.83
गुवाहाटी	रु.	140.73	137.51	3.22
सिलिगुड़ी	रु.	127.23	129.18	-1.95
दक्षिण भारत				
कोच्ची	रु.	118.01	117.17	0.84
कोयंबटूर	रु.	94.75	99.25	-4.50
कूनूर	रु.	84.28	97.46	-13.18
बांगलादेश				
चिटगाँव टाका	टाका	198.74	200.03	-1.29
श्रीलंका				
कोलम्बो	एसएल रु.	619.17	467.23	151.94
केन्या				
मोमबासा	यूएस US $ c	281.00	229.00	52.00
मालावी				
लिम्बे	यूएस US $ c	183.89	155.28	28.61

(स्रोत; आईटीसी की वार्षिक सांख्यिकिक बुलेटिन 2017 (भारतीय निलामी केन्द्रों को छोड़कर एवं *– जकार्ता निलामी विक्री नवंबर 2016 तक ही उपलब्ध)

भारतीय चाय परिदृश्य

भारत में 15 राज्यों में चाय की खेती की जाती है जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। वे कुल उत्पादन का 98% हिस्सा रखते हैं। अन्य पारंपरिक राज्य जहाँ चाय की खेती की जाती हैं, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और कर्नाटक राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, और सिक्किम भारत के चाय के नक्शे में प्रवेश करने वाले गैर-पारंपरिक राज्यों में शामिल हैं।

दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि और कांगड़ा जैसी दुनिया की बेहतरीन चाय, जो कि उत्कृष्ट स्वाद, ताकत और चमक के लिए प्रसिद्ध हैं, भारत में उत्पादित किए जाते हैं। विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के साथ, भारत उपभोक्ताओं के विभिन्न स्वादों और वरीयताओं के अनुकूल चाय के मिश्रण का उत्पदान करता है। प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताएं अलग-अलग होती है, जो उन्हें अलग-अलग तरीकों से एक दूसरे से अलग करती है।

उत्पादन :

वर्ष 2017-18 चाय उत्पादन का रिकार्ड वर्ष है। के दौरान, उत्तर एवं दक्षिण भारत के प्रमुख चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल परिस्थितियों के कारण 2016-17 की तुलना में कुल चाय के उत्पादन में 74.56 मि.कि.ग्रा. तक वृद्धि दर्ज की गई।

निर्यात :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत ने सबसे ऊँचा चाय निर्यात पंजीकृत किया। पिछले वर्ष की तुलना में कलेंडर वर्ष तथा वित्तीय वर्ष के दौरान मात्रा में 29.46 मि.कि.ग्रा. तथा 28.94 मि.कि.ग्रा. वृद्धि हुई तथा मूल्य में क्रमश: 519.48 करोड़ रु. तथा 432.38 करोड़ रु. की वृद्धि हुई। हालांकि दार्जिलिंग चाय के निम्न निर्यात के कारण इकाई मूल्य उगाही में कमी थी।

प्राथमिक विपणन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान देश में कुल उत्पादित चाय का 46% सार्वजनिक नीलामियों के माध्यम से बेचा गया, जिसे गत वर्ष बढ़ाया गया था एवं शेष को अन्य तरीके से बेचा गया।

घरेलू प्रतिधारण :

वर्ष 2016-17 में 1044 मिलियन कि.ग्रा. के मुकाबले वर्ष 2017-18 के दौरान चाय का अनुमानित घरेलू प्रतिधारण लगभग 1089 मिलियन कि.ग्रा. रहा।

अध्याय - 3

वित्त

प्रस्तावना

टी बोर्ड सरकार द्वारा सहायता अनुदान से निधि दिया जाता है। टी बोर्ड आंतरिक अतिरिक्त बजट स्रोत (आईईबीआर) जैसे अनुज्ञप्तियों पर शुल्क ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज तथा विविध आय जैसे तरल चाय की बिक्री, हरी पत्तियों की बिक्री, आवेदन पत्रों व अन्य प्रकाशनों आदि की बिक्री द्वारा लघु राशि प्राप्त करते हैं।

टी बोर्ड को उपलब्ध सभी निधि वार्षिक संघ बजट द्वारा प्राप्त होता है। सरकार की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के विषय में चाय अधिनियम की धारा 10 में प्रतिस्थापित प्रावधानों के अनुसार टी बोर्ड द्वारा ऐसी निधि का उपयोग किया जाता है।

उपकर आय

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के पावती बजट के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उपकर संग्रहण 1279.00 लाख जून 2017 तक था। जुलाई 2017 से प्रभावी जीएसटी से. चाय पर उपकर दिनांक 04.05.2017 को जारी 2017 के गजट अधिसूचना सं. 18 ''कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 2017'' द्वारा निरस्त कर दिया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान चाय अधिनियम 1953 की धारा 26 के तहत उपकर की आय के प्रति टी बोर्ड को गैर-योजना के रूप में 6670.64 लाख (अथ शेष छोड़कर) सरकार द्वारा विनिर्मुक्त किया गया था। 0.58 लाख रु. तथा 1.23 लाख रु. का अथ शेष तथा अंत शेष था।

अनुसंधान एवं विकास अनुदान

वर्ष 2017-18 के दौरान अनुसंधान एवं विकास अनुदान के प्रति सरकार से 2564.32 लाख की राशि प्राप्त की गयी 2.00 लाख तथा 5.00 लाख रु. का अथ शेष तथा अंत शेष था।

अनुसंधान (एएसआईडीई)

वर्ष के दौरान सरकार से अनुदान के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। तथापि 46.00 लाख रु. एवं 91.00 लााख रु. अथ शेष तथा अंत शेष था।

सहायिकी

वर्ष के दौरान सरकार से सहायिकी के रूप में 9098.00 लाख की राशि प्राप्त हुई। 49.00 लाख रु. तथा 51.55 लाख रु. का अर्थ शेष था तथा अन्य प्राप्तियाँ 229.00 लाख रु. थी।

विशेष प्रयोजन चाय निधि-पूंजीगत

वर्ष के दौरान, एसपीटीएफ पूंजी अंशदान के प्रति सरकार से कोई राशि नहीं प्राप्त हुई।

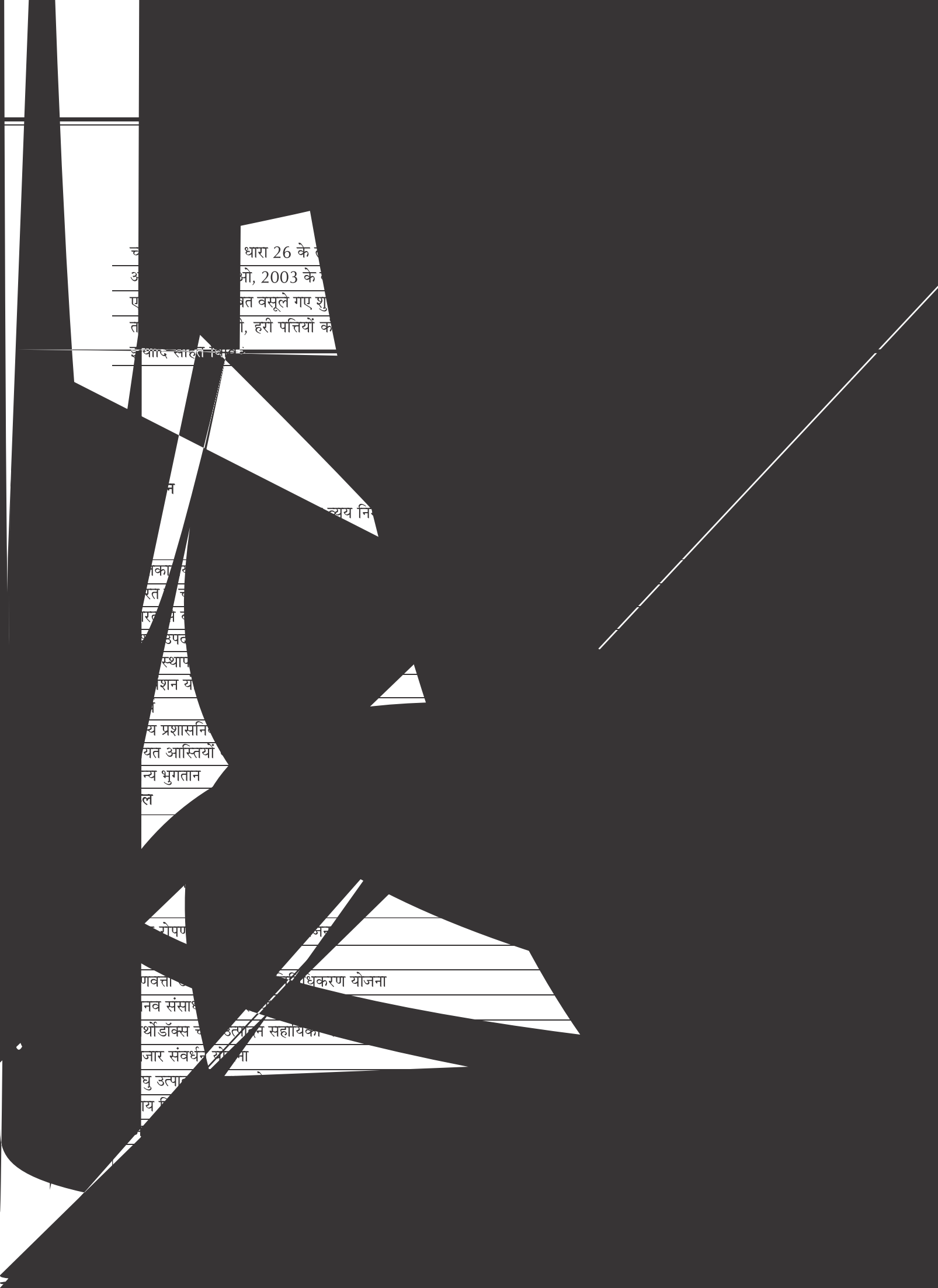

घ. भुगतान–अनुसंधान व विकास अनुदान

(रु. लाख में)

टीआरए/उपासी को सहायता अनुदान	1355.40
टीआरए/उपासी के अलावा वित्तीय सहायता	51.22
परियोजना व्यय (कार्सियांग–एकीकृत चाय सुधार पीरयोजना)	27.57
डीटीआर व डीसी का वित्तीय उन्नयन	33.86
कार्यशाला/संगोष्ठि इत्यादि	9.97
संविदागत स्टाफ को वेतन	4.98
क्यूसीएल सिलिगुड़ी व्यय	113.63
संपदा क्रय	51.03
मूल्यांकन व अनुवीक्षण	3.01
कून्नूर कार्यालय व्यय	1.37
अन्य विविध व्यय	743.37
कुल	2395.41

ङ भुगतान – सहायिकी

(रु. लाख में)

रोपण सहायिकी योजना	3257.00
गुणवत्ता उन्नयन व उत्पाद विवधिकरण योजना	690.00
मानव संसाधन विकास योजना	522.00
अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	1721.00
बाजार संवर्धन योजना	1111.00
अनुसूचित जाति उप योजना	264.00
लघु उत्पादक विकास योजना	1234.00
चाय विनियम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	492.00
कुल	9291.00

च. व्यय–अनुसंधान योजना एएआईडीई

(रु. लाख में)

व्यय	150.36
कुल	150.36

छ. व्यय–ऋण योजना

(रु. लाख में)

ऋण योजना हेतु आवर्ती कार्पस निधि	1781.17
एसपीटीएफ	7157.55
कुल	8938.72

वर्ष 17–2018 के दौरान योजना पर कुल व्यय 2017-18 = (घ + ङ +च) = ₹ 11836.77 लाख

अध्याय - 4

चाय विकास

परिचय :

टी बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में चाय उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता उन्नतिकरण, मूल्य वर्धन, उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, लघु चाय उत्पादकों को मूल्य शृंखला के अधीन लाने हेतु क्षमता बढ़ाना एवं मजदूर व उनके आश्रितों हेतु कल्याणकारी उपाय करना है, जो बागान श्रमिक अधिनियम 1951 का अनुपूरक है।

विकास समिति

बोर्ड की विकास समिति अपनी क्षमता के अनुसार सलाहकारी निकाय के रूप में मार्गदर्शन करता है। विकास समिति विभिन्न विकासमूलक कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु बोर्ड को सहायता प्रदान करती है, जिसका गठन रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित सदस्यों को लेकर हुआ है।

1. श्री एस. सारंगी, अध्यक्ष, टी बोर्ड समिति के पदेन अध्यक्ष
2. श्री पी. नागाराजन, माननीय सांसद
3. श्री डी. हेगड़े, उपाध्यक्ष
4. श्री दिलीप मोरान, माननीय विधायक, असम
5. श्री पी. मोहनन, केरला, सदस्य
6. श्री अश्वनी शेट्टी, सदस्य
7. श्री बी. के. कुमारन, सदस्य

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विकास समिति ने निम्नलिखित तिथियों पर सभाएं की थी

बैठक संख्या	बैठक की तिथि	स्थान
बोर्ड की 232वीं	19 जून, 2017	नई दिल्ली
बोर्ड की 233वीं	18 सितंबर 2017	कोलकाता
बोर्ड की 234वीं	5 दिसंबर, 2017	कोलकाता
बोर्ड की 235वीं	24 मार्च, 2018	कोलकाता

4.1 मीडियम टर्म फ्रेमवर्क के दौरान टी बोर्ड की 12वीं योजना स्कीम जारी रही

मीडियम टर्म फ्रेमवर्क (2017-18 से 2019-20 तक) के दौरान ईएफसी द्वारा संस्तुत टी बोर्ड की 12वीं योजना के चाय विकास व संवर्धन परियोजना को जारी रखने हेतु सरकार द्वारा संस्वीकृति पत्र संख्या - एफ़.सं.टी-17014/2/2016-प्लांट (ए) दिनांकित 29.12.2017 द्वारा प्रदान किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित घटकों वाली परियोजनाएं कार्यान्वित की गयी -

बागान विकास - पुनरोपन, प्रतिस्थापन रोपण, रिजूवनैशन प्रूनिंग, रोपण विस्तारण, सिंचाई एवं बागान में मशीनीकरण को प्रोत्साहित कर उत्पादन, बागान-उत्पादकता एवं चाय की गुणवत्ता में वृद्धि।

ऑर्थोंडॉक्स उत्पादन को शामिल कर गुणवत्ता उन्नतिकरण एवं उत्पाद विविधिकरण - चाय विनिर्मान इकाइयों, गोदाम एवं चाय का मिश्रण, पैकिंग, बैगिंग करने वाली तथा फ्लेवर चाय बनाने वाली इकाइयों को आधुनिकीकरण हेतु प्रोत्साहन देकर निर्मित चाय के गुणवत्ता में वृद्धि करना। स्पेशलिटि चाय के इकाइयों/ऑर्थोंडॉक्स या ग्रीन टी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना, गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करना, जैविक चाय उत्पादन एवं ओर्थोंडॉक्स/ग्रीन टी का उत्पादन इत्यादि करना।

लघु उत्पादकों का विकास – उत्पादकता एवं लघु उत्पादकों की गुणवत्ता में वृद्धि को लक्ष्य कर स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाने हेतु प्रोत्साहन देना। नव रोपण, रिजूवनैशन, सिंचाई, बागान की मशीनीकरण हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सामान्य सुविधाएँ प्रदान करना–जैसे कि पत्ता ढोने वाली गाड़ी, गोदाम, लीफ़ शेड, बागान में प्रयोग होने वाली यंत्रों इत्यादि की खरीद हेतु परिक्रामी राशि प्रदान करना, एसएचजी द्वारा नई फैक्ट्रियों की स्थापना एवं केरल के इडुक्की जिला, पूर्वोत्तर के गैर–परंपरागत बागान हेतु स्पेशल पैकेज प्रदान करना एवं हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय का पुनरुद्धार करना।

जानकारी के अंतर को खत्म करने हेतु लघु चाय उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण, कार्यशालाओं एवं अध्ययन दौरा संचालित की गयी।

अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)

उपरोक्त के अतिरिक्त, एससीएसपी भी कार्यान्वित की गयी थी। लघु उत्पादक विकास योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को मिलने वाली वित्तीय सहायता के समरूप ही एससीएसपी के तहत प्रत्येक लघु चाय उत्पादक वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु योग्य थे। सरकार द्वारा यथा अनुमोदित स्कीम के सभी योजनाओं को शामिल करके कार्यान्वयन हेतु एससीएसपी के विस्तार को और अधिक बढ़ाया गया था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित घटकों के तहत भुगतान किए गए राशि इस प्रकार थी

2017–18 के दौरान चाय विकास एवं संवर्धन योजना के विकासात्मक तथा एचआरडी स्कीम के तहत भुगतान की गयी राशि

क्रं.सं.	स्कीम/घटक	व्यय (लाख रु. में)
1	गुणवत्ता उन्नतिकरण एवं उत्पाद	3257.00
2	मानव संसाधन विकास	2448.00
3	अनुसूचित जाति उप–योजना	522.16
4	लघु उत्पादक विकास	264.00
5	लघु उत्पादक विकास	1234.00
	कुल	**7725.16**

4.2 लघु उत्पादक विकास निदेशालय :

देश में निर्मित चाय के उत्पादन में योगदान देते हुए लघु चाय उत्पादक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। लघु चाय उत्पादक क्षेत्र के बढ़ते हुए योगदान को देखते हुए तथा लघु उत्पादकों के समग्र विकास हेतु वर्धित ध्यान केंद्रण हेतु अप्रैल 2013 के दौरान टी बोर्ड द्वारा एक पृथक निदेशालय की स्थापना की गयी थी, जिसका नाम लघु चाय उत्पादक विकास निदेशालय है एवं इसने डिब्रूगढ़, असम में मुख्यालय के रुप में कार्य करना आरंभ कर दिया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जहाँ लघु उत्पादक सकेंद्रित थी, में 39 उप–क्षेत्रीय कार्यालय (एसआरओ) थी।

क्र.सं.	राज्य	चिन्हित किए गए लघु उत्पादकों की संख्या	चिन्हित किए गए पहचान पत्रों की संख्या
1	असम	87675	68143
2	मेघालय	749	609
3	त्रिपुरा	2768	2447
4	पश्चिम बंगाल व बिहार	16675	7259
5	हिमाचल प्रदेश	1166	1097
6	उत्तराखंड	1012	310
7	मिज़ोरम	365	364
8	अरुणाचल प्रदेश	3309	—
9	नागालैंड	3352	(सभी पंजीकृत उत्पादक है)
10	मणिपुर	489	(सभी पंजीकृत उत्पादक है)
	कुल	**117560**	**80229**
12	तमिलनाडु	45516	28982
13	केरल	7552	3635
14	कर्नाटक	-	-
	कुल	**53068**	**32617**
	समग्र कुल	**17**	

टी बोर्ड द्वारा मेसर्स सोलीडारिडेड को चाय बगानों के कामकाज एवं मजदूरों के कल्याण की स्थिति पर अध्ययन करने का दायित्व सौंपा गया।

दिनांक 08.02.2018 को जलपाईगुड़ी में अवस्थित जलपाईगुड़ी चाय नीलामी केन्द्र में पदाधिकारीगणों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सिंचाई उपकरण - वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल वॉटरशेड विकास एजेंसी (डबल्यूबीएसडबल्यूडीए), जो एक नोडल एजेंसी है, के सहयोग से चाय हेतु पीएमकेएसवाई कार्यान्वित की गयी थी।

लघु चाय उत्पादकों के गणना हेतु मेमोरी चिप्स वाली पहचान पत्र को क्यूआर कोड वाली पहचान पत्र में परिवर्तित करने के साथ-साथ डेटा कैप्चरिंग एवं डेटा एंट्री की ऑनलाइन प्रणाली की कार्य असम में आरंभ किया गया है।

टी बोर्ड ने असम सरकार के कृषि विभाग द्वारा डिब्रूगढ़ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि उद्यान प्रदर्शनी में स्टॉल लगाया था एवं इसके लिए प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।

टी बोर्ड ने 2018-19 के दौरान असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, केरल एवं त्रिपुरा में अवस्थित चाय बागानों के लगभग 14700 मजदूरों हेतु पूर्व में अर्जित कौशल मान्यता कार्यक्रम (टाइप-2) संचालित करने का लक्ष्य रखा है।

4.4 स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

सरकार के निर्देशानुसार टी बोर्ड ने बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों तथा असम के चाय बागानों में स्वच्छता कार्य योजना को कार्यान्वित करने का पहल किया है। बोर्ड के कार्यालय परिसर की सफाई एवं आसपास के सौंदर्यीकरण तथा असम के 419 टी इस्टेट में जागरूकता अभियान/संगोष्ठी हेतु 50 लाख रुपये खर्च किए गए थे तथा असम के विभिन्न टी इस्टेट में 82 डेमो (काम में आने लायक) शौचालय का निर्माण किया गया था।

4.5 बंद टी इस्टेट :

टी इस्टेट का बंद/रुग्ण होने का निम्नलिखित कारण हो सकता है :

- घटिया पैदावार
- चाय झाड़ियों का उम्र बढ़ना एवं उच्च रिक्ति
- नगण्य (आम तौर पर शून्य) अपरूटिंग/पुनर्रोपन
- घटिया बागान प्रबंधन पद्धतियाँ
- गुणवत्ता ह्रास एवं कम कीमत मिलना
- असहज (हालांकि आमतौर पर अस्थिर नहीं) औद्योगिक संबंध परिदृश्य
- विकास परिप्रेक्ष्य की समग्र कमी
- अत्यधिक ऋण उन्मुख वित्त पोषण रणनीति
- स्वामित्व विवाद

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बंद चाय बागान निम्नलिखित है :

क्र. सं.	टी इस्टेट का नाम	चाय खेती के तहत विस्तार (एकड़)	राज्य	बंद होने की तारिख	मजदूरों की संख्या		वर्तमान स्थिति
					स्थायी	अस्थायी	
1	ढेकलापाड़ा	197	पश्चिम बंगाल	11.03.2006	604	200 (लगभग)	माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा इस इस्टेट को आधिकारिक तौर पर ऋणमुक्त कर दिया गया था। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय (आधिकारिक ऋणशोधन कराने वाला) द्वारा बागान को दिनांक 11 मई, 2012 को ई-नीलामी हेतु रखा गया था, लेकिन कोई संभावित खरीदार नहीं मिला।
2	बुंदापानी	530	पश्चिम बंगाल	13.07.2013	1215	68	राज्य सरकार ने बंद बुंदापानी टी इस्टेट की लीज समाप्त होने पर उसकी भूमि को दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 को अपने कब्जे में लिया है।
3	धारिणीपुर	265	पश्चिम बंगाल	19.10.2013	357	450 (लगभग)	राज्य सरकार ने बंद धारिणीपुर टी इस्टेट की भूमि को दिनांक 18 नवंबर, 2014 को अपने कब्जे में लिया है।
4	रेडबैंक	369	पश्चिम बंगाल	19.10.2013	888	700 (लगभग)	राज्य सरकार ने बंद रेडबैंक टी इस्टेट की लीज समाप्त होने पर उसकी भूमि को दिनांक 21 नबंबर, 2014 को अपने कब्जे में लिया है।
5	सुरेन्द्र नगर	172	पश्चिम बंगाल	19.10.2013	301	150 (लगभग)	राज्य सरकार ने एक आदेश दिनांकित 14/11/2014 द्वारा सुरेन्द्र नगर टी इस्टेट के जमीन के पट्टे को निरस्तर कर दिया है एवं भूमि को 13.01.2015 को राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है।
6	मधु	323	पश्चिम बंगाल	23.09.2014	947	-	राज्य सरकार ने भूमि को अपने कब्जे में दिनांक 06.03.2018 को ले लिया है।
7	पानीघाटा	460.15	पश्चिम बंगाल	10.10.2015	787	-	मजदूरों के बकाया आदि के गैर -भुगतान के कारण श्रमिक अशांति।
8	मनाबाड़ी	281.08	पश्चिम बंगाल	21.03.2016	374	116	मजदूरों के बकाया आदि के गैर - भुगतान के कारण श्रमिक अशांति।
9	कुमलाई	403.14	पश्चिम बंगाल	15-11-2015	1118	-	मजदूरों के बकाया आदि के गैर -भुगतान के कारण श्रमिक अशांति।
10	मेमर्स पीरमिड टी कं. लिमिटेड -पीरमिड एंड लोनेट्री टी इस्टेट	679.79	केरल	01.04.2016	220	-	मजदूरों के बकाया आदि के गैर - भुगतान के कारण श्रमिक अशांति। केरल सरकार इस इस्टेट को फिर से चालू करने की प्रक्रिया में है।

क्र. सं.	
11	
12	बो
	कुल

4.6 चालू

राज्य	
असम	

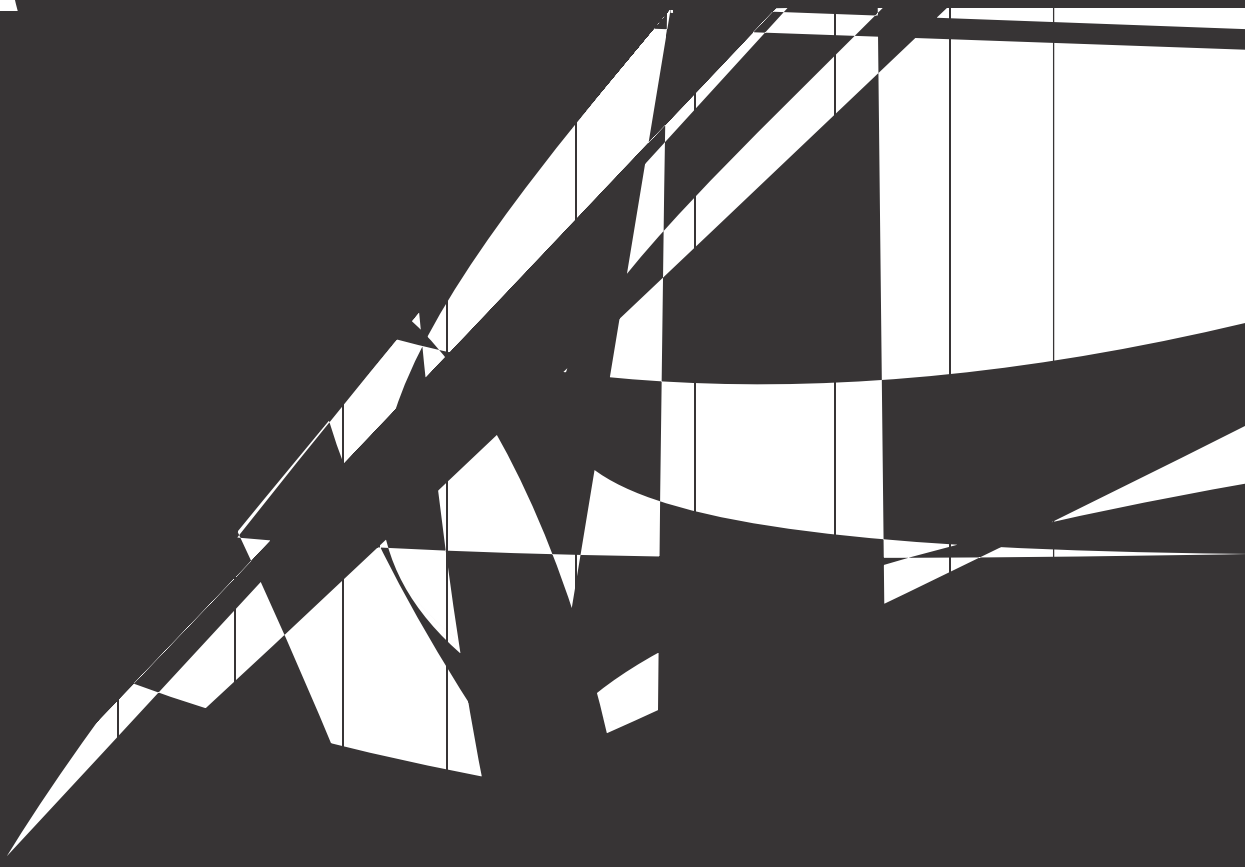

स्कीम – गुणवत्ता उन्नतिकरण एवं उत्पाद विविधिकरण
2017-18 के दौरान राज्यावार वित्तीय भुगतान एवं वास्तविक उपलब्धि

राज्य	कार्यकलाप →	फैक्ट्री का आधुनिकीकरण (सं.)	मूल्य वर्धन (सं.)	नई फैक्ट्रियों की स्थापना (सं.)	प्रमाणन	ऑर्थोडॉक्स एवं ग्रीन टी हेतु प्रोत्साहन (मिलियन किग्रा.)	अन्य प्रशासकीय व्यय	कुल
असम	वित्तीय (लाख रु.)	36.21	203.39	161.95		1042.24		**1443.79**
	वास्तविक	2	7	3		34.73		
त्रिपुरा	वित्तीय (लाख रु.)					4.73		**4.73**
	वास्तविक					0.16		
पश्चिम बंगाल	वित्तीय (लाख रु.)	8.16	144.26		1.14	304.67	39.47	**497.70**
	वास्तविक	1	10		4	10.16		
तमिलनाडू	वित्तीय (लाख रु.)	21.51	75.89			154.46		**251.86**
	वास्तविक	2	2			5.15		
केरल	वित्तीय (लाख रु.)	10.06				193.28		**203.34**
	वास्तविक	1				6.44		
हिमाचल प्रदेश	वित्तीय (लाख रु.)					22.83		**22.83**
	वास्तविक					0.76		
उत्तराखंड	वित्तीय (लाख रु.)				0.58		**0.58**	
	वास्तविक							
महाराष्ट्र	वित्तीय (लाख रु.)		15.28					**15.28**
	वास्तविक		2					
दिल्ली	वित्तीय (लाख रु.)		7.89					**7.89**
	वास्तविक		1					
पूरे भारत	वित्तीय (लाख रु.)	75.94	446.71	161.95	1.14	1722.79	39.47	**2448.00**
	वास्तविक	6	22	3	4	57.40		

स्कीम - लघु उत्पादक विकास योजना एवं स्पेशल पैकेज

पार्ट - 1

2017-18 के दौरान राज्यावार वित्तीय भुगतान एवं वास्तविक उपलब्धि

	राज्य ————>	असम		त्रिपुरा		अरुणाचल प्रदेश		नागालैंड		मेघालय		मिजोरम		पश्चिम बंगाल	
घटक	कार्यकलाप	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक
लघु उत्पादक विकास	कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (वित्त पोषित) - कार्यशालाओं/ भागीदारों की संख्या	25.16	539 20394	1.80	33 1014	0.95	17 469	0.10	1 37	0.72	18 405	1.10	23 1420	6.26	121 6745
	कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (परामर्शी) - कार्यशालाओं/ भागीदारों की संख्या														
	नव रोपण (हे.)	166.66	162.60	13.87	6.82										
	पुनर्रोपण (हे.)														
	रिजूवनैशन प्रूनिंग (हे.)														
	सिंचाई (हे.)			0.14	0.73										
	बागान का मशीनीकरण (उपकरणों की संख्या)														
	एसएचजी को एक मुश्त अनुदान (सं.)	79.05	10	7.19	1										
एसकेआरपी	मशीनीकरण (एसएचजी) -एसएचजी की संख्या														
	मशीनीकरण (व्यक्तिगत)														
	प्रदर्शनी (कार्यक्रमों एवं प्रतिभागियों की संख्या)														
एसपीआई	**यूकेटीडीबी*** चाय नर्सरी (सं.)														
	अपरूटिंग एवं पुर्नरोपण (हे.)														
	एसएचजी की चाय फैक्ट्री (सं.)														
	एसएचजी को एक मुश्त अनुदान (सं.)														
	एसपीएनई** चाय नर्सरी (सं.)			3.75	1							97.50	9		
	विविध व्यय	2.91												4.50	
	लघु उत्पादक विकास एवं स्पेशल पैकेज का कुल	**273.78**		**26.75**		**0.95**		**0.10**		**0.72**		**98.60**		**10.76**	
	अन्य व्यय														
	कुल														

उपलब्धियाँ
हिमाचल
प्रदेश
उत्तराखण्ड

स्कीम - अनुसूचित जाति उप योजना

2017-18 के दौरान राज्यावार वित्तीय भुगतान एवं वास्तविक उपलब्धि

	असम		त्रिपुरा		तमिलनाडू		के रल		हिमाचल प्रदेश		उत्तराखंड		पश्चिम बंगाल		कु ल	
	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक
बागान का मशीनीकरण (संख्या)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.78	12	9.31	4	23.08	16
अलग-अलग अनुसूचित जाति वाले उत्पादक को एक मुश्त अनुदान (संख्या)	7.10	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.10	48
एसएचजी को एक मुश्त अनुदान (एसएचजीकी सं.)	4.54	1	2.38	1	-	-	-	-	-	-	4.55	1	-	-	13.71	4
कार्यशाला/ प्रशिक्षण कार्यक्रम (कार्यशालाओं एवं भागीदारों की संख्या)	41.72	151 4521	0.11	1 54	-	- -	-	- -	-	- -	2.47	23 370	17.60	2 80	62.64	201 5419
अध्ययन दौरा (दौरों एवं भागीदारों की संख्या)	1.18	1 30	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	3.20	16 32	-	- -	7.58	33 94
शैक्षिक छात्रवृत्ति (सं.)	-	-	-	-	71.87	330	60.08	252	-	-	-	-	-	-	131.95	582
अन्य शासकीय खर्चे / विविध व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.94	-	17.94	-
कुल	54.54		2.49		71.87		60.08				19.53		35.54		264.00	

टी बोर्ड, डिब्रूगढ़ में स्वच्छता कार्य योजना के तहत स्वच्छता कार्यक्रम

पाबोजान टी इस्टेट, असम में निर्मित डेमो (काम में आने लयक) शौचालय

सिंगलिजान, डिब्रूगढ़ में दिनांक 28.06.2017 पौध को संरक्षण

एसजीडीडी डिब्रूगढ़, असम में 28.08.2017 को कार्बनिक चाय की खेती पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला

लघु चाय उत्पादकों/ग्रीन लीफ आपूर्तिकर्ताओं के बीच गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु प्लकिंग एवं ग्रीन लीफ़ के परिवहन तथा रसायनों के विवेकपूर्ण प्रयोग हेतु दिनांक 01.07.2017 को अट्टाबारी टी एस्टेट, शिवसागर, असम में आयोजित एक कार्यशाला

कृषि विभाग, असम सरकार द्वारा डिब्रूगढ़ में 5 जनवरी से 08 जनवरी, 2018 के दौरान आयोजित 5वीं असम अंतर्राष्ट्रीय कृषि होर्टी शो में टी बोर्ड के स्टॉल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला।

दिनांक 19-09-2017 को हिमाचल प्रदेश के
लघु चाय उत्पादकों का उत्तराखंड के चंपावत
फैक्ट्री में अध्ययन दौरा

(
च
रह
ति
मु
स
की
स

- एक और यूरिया के फोलियर स्प्रे (2%) के प्रयोग में प्रत्येक राउंड के यंत्रीकृत प्लकिंग के बाद पैदावार में 9.8% की वृद्धि हुई जिसके तुरंत बाद यूरिया (1%)+ एमओपी (1%)से एलपी चाय में नियंत्रण पर (बिना किसी फोलियर स्प्रे के) 9.0% वृद्धि हुई।

- बैगनी चाय कल्टीवर को चुनने के क्रम में फ्लशिंग मौसम के दौरान टोकलाई के मूल संग्रह से नौ (9) जेनोटाइप की स्क्रीनिंग की गई है। सबसे समृद्ध जेनोटाइप (एस-7)ने उच्चतम एंथोसिनीन तत्व तथा निम्न कैफेन का उत्पाद किया ।

- क्लोन 662 (टीवी) 1 एक्सटीवी 20),क्लोन 527/4 (टीवी 1 एक्सटीवी 13),क्लोन 65142(14/5/35x14/12/16) के अनंतिम रिलिस के लिए व्ययसाहिक चाय संपदाओं के कटिंग का वितरन प्राथमिक रुप से किया गया।

- टीटीआरआई टीआरए मे घास-फूसों के स्मूदरिंग के लिए नवीन चाय के पौध की लड़ियों के साथ प्लास्टिक मल्च शीट (30 माइक्रन)की स्ट्रीप्स रखने का तरीका फिल्ड में काफी प्रभावी रहा। एकीकृत उपाय के अंश के रुप में हरबीसाइड का एक चक्र लागू किया गया इससे मल्च शीट की मजबूती बढ़ गई।

- टीटीआरआई, टीआरए ने एसीटामीप्रीड तथा इमीडाक्लोप्रीट अवशेष तथा बॉयोएफीकेसी डाटा सीआईबी- आरसी (लेबल क्लेम हेतु) के परिशोधित फॉर्मेट में टी बोर्ड को जमा किया जिसे आवश्यक संकलन के बाद सीआईबीआरसी को प्रेषित किया जा चुका है।

- माइक्रोबीयल बायोसाइड के बृहद् उत्पादन को व्यावसायिकृत किया गया एवं उद्योग द्वारा उपयोग किया गया ।

- पुराने रोपण सामग्री (असम प्रकार) के संरक्षण से सम्बंधी प्रयोग में यह देखा गया कि टोकलाई टी.ई. में सीएनएम-13 में बेतजान व खरीजान की पुरानी झाड़ियों की संवृद्धि संतोषजनक है। फूलों की कलियाँ भी देखी जा सकी है।

- टोकलाई एवं चाय प्रयोगशाला, कोलकाता में उतपन्न क्रुड फाइबर तत्व पर डाटा 4000 से अधिक सैम्पलों को समाविष्ट किया गया।

- असम में उत्पादित सफेद चाय में कैटेचीन तत्व की श्रेणी 10.15% से 15.35 है।

- एमओपी, माईका वेस्ट तथा देशी के एसबी स्ट्रेन ने सिफारिश की गई एमओपी की तुलना में ग्रीन शुट की पैदावार में वृद्धि हुई।

- फोलियर स्प्रे व यंत्रीकृत कटाई के प्रयोग में, यंत्रीकृत कटाई के प्रत्येक चक्र के बाद हल्की प्रुन्ड झाड़ियों पर युरिया से स्प्रे ने एकत्रित पैदावार 19% वृद्धि हुई। माइक्रोबियल बायोसाइड के वृहद उत्पादन की पुर्ति उद्योग को दी गई।

- नीम कोटेड यूरिया (एनसीयू) बनाम यूरिया पर अध्ययन के अधीन, चाय की औसत ग्रीन पत्ती नवम्बर 2017 तक रिकॉर्ड किया गया कि एन के 75-100% के सिफारिशी डोस जो नीम कोटेड यूरिया पर लगाए गए से 8% की औसत पैदावार में वृद्धि हुई (45.7-46.1कि.ग्रा /प्लॉट क्रमश:) जोकि एन के 100% यूरिया (42.6कि.ग्रा/प्लॉट) से अधिक थी। एन.सी.यू. के फोलियर एपलीकेशन से सममूल्य यूरिया पर स्प्रे के समान घनत्व पर था।

- चाय के कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के चाय की संभाव्यता पर पर्यावरण बदलाव के प्रभाव पर अध्ययन में एवं मृदा जैव कार्बन तत्व के सम्बंध, पॉट से मृदा सैम्पल का विश्लेषण हयूमीक व फल्वीक एसीड के लिए तत्व की श्रेणी

2. उपासी -टी आर एफ

- चाय मच्छर कीट के लिए ग्लू ट्रैप सहित संशोधित फरोमोन ट्रैप का परिक्षण सफलतापूर्वक हो गया।
- टी.टी.एस.एस. -1 एवं टी.टी.एस.एस.-2 के बाई-क्लोनल बीज स्टॉक का क्लोनल चुनाव कार्यक्रम सहित भूमि स्थापन हेतु नर्सरी में फैलाया गया।
- टीआरएफ-3,टीऐरएफ-4 एवं टीआरएफ-5 क्लोनल रुपों को मूल की तरह प्रयोग कर नियंत्रित संक्रमण का कार्य किया गया ताकि ऐसे उपयुक्त क्लोन विकसित कर सके जिसमें उच्चकोटी का बेहतरीन पैदावार तथा सूखे से जुझने की क्षमता हो।
- एन के सहित हयूमीक एसीड सूत्रीकरण के मृदा का प्रयोग किया गया ताकि उर्वरक की क्षमता बढ़ायी जा सके।
- टीएमबी के विपरित एनामल्लाइस के दो संपदाओं में आईपीएम रणनीति के तहत पैकेज का प्रांरभ किया गया। छह सप्ताह के अध्ययन नें यह दर्शाया कि आईपीएम रणनीति को अपनाकर टीएमबी की जनसंख्या के काफी काम किया जा सका है।
- टीआरआई, उपासी टीआरएफ में फेनपाइरोक्सीमेट 5 ईसी /एससी के जैवनिम्नीकरण का अध्ययन कृत्रिम परिवेशीय स्थिति में चाय राइजोस्फीयर से पृथक माइक्रोबीयल स्ट्रेन को चुनकर किया गया। निर्दिष्ट डोज पर चुनिंदा कीटनाशकों के निम्नीकरण तत्वों के आधार पर कुल चार स्ट्रेनों की स्क्रीनिंग की गई। सभी जांच की गई सूक्ष्मजीवों ने उच्च श्रेणी के निम्नीकरण क्षमताओं को प्रदर्शित किया। स्ट्रेनों में स्यूडामोनस लीचेनीफोरमीस (92.3%) तथा बैसीलस सबटीलिस (87.8%) ने चुने हुए कीटनाशकों को निम्नीकरण की बेहतरीन क्षमता दर्शायी।
- चाय में बलीस्टर बलाईट व ग्रे बलाईट रोगों को रसायनिक तकनीक द्वारा नियंत्रित करने में थिमलूजामाइड (थियाजोलकार्बोक्सामाइड समूह का फफूँदनाशक) विकसित किया गया।
- सुखा, गुणवत्ता तथा रोग प्रतिरोधक से सम्बंधी विभिन्न रुप से अभिव्यक्त प्रतियों को श्रेणीबद्ध किया गया तथा उनके कार्यों का टिपणिकरण किया गया।
- चाय मच्छर कीड़े के प्रबंधन हेतु जैवे नियंत्रण प्रद्धति की तकनीक विकसित की गई।
- नीलगिरी क्षेत्र में सुगंध उत्पादन गतिविधियों का अध्ययन किया गया। विभिन्न क्लोनों में विभिन्न एन्जाइम गतिविधियाँ सामने आई। काइरोमोन ट्रैप के प्रयोग द्वरा शॉट होल बोरर के लिए बृहद परिमाण में ट्रायल किए गए।
- जीनट्रैक, जींक के ऑक्साईड सूत्रीकरण के फोलियर एप्लीकेशन के अध्ययन का परिमाण यह हुआ कि तैयार चाय की कुल तरल रंग में काफी वृद्धि हुई जब जींक सल्फेट की तुलना में जिंकट्रैक का प्रयोग किया गया। गुणवत्ता के अन्य मानक जिंकट्रैक के फोलियर एप्लीकेशन द्वारा प्रभावित नहीं हुआ।
- सम्पूर्ण दक्षिण भारत में चाय में सुगंध उत्पादन एनजाईम गतिविधियों तथा सुगंध पूर्ववती तत्व के बीच अंतर को समझाने के लिए चाय के पौधों को क्लोन से कटाई की गई जैसे उपासी-3 उपासी-9 उपासी-17, टीआरएफ -1 एवं सीआर-6017 तथा सुगंध उत्पादन एनजाइम जैसे पॉलीफेनल पेरोक्सीडाइस,β -ग्लाइकोसीडेज एवं लीपॉक्सीजीनेस का विश्लेषण किया गया। अन्य चार क्लोनों की तुलना में उपासी -9 में पॉलीफेनल ऑक्सीडेस तथा पॉलीफेनाल पेरोक्सीडाइज एनजाईम की गतिविधियाँ अधिक पाई गई। β-ग्लाइकोसाईडएनजाइम गतिविधियाँ उपासी-17 में उच्चतम थी तथा अन्य चाय क्लोनों की तुलना में उपासी-3

3. डीटीआर एवं डीसी,कर्सियांग

- डीयूएस विशिष्टता पर अध्ययन किया गया जैसे गर्थ, कीड़ों का आक्रमण, पत्तियोंका वजन, वेकेन्सी काउंट ,शाखाओं की संख्या, एवं रोहिणी व कैसेलटन टी एस्टेट के एलटीटी प्लॉट के अन्य मॉरफोलोजीकल मानक।
- पत्तियों के जल तत्व के माप (एल डब्लू सी) की गणना की गई (15लोकप्रिय क्लोन) एवं सबसे अधिक एलडब्लूसीटी 253 (63.29%) तथा बी 157 (62.05%) में थी। डीटीआरडीसी में सबसे न्यूटन टी 78 तथा टीटीवी 1 (61.14%) थी।
- डीटीआर व डीसी में ब्यूबेरिया बासियाना के दो आइसोलट्स को पृथक किया गया तथा अधिक अध्ययन के लिए क्यूसीएल सिलीगुड़ी में संस्कृति का रख-रखाव किया गया ।
- भूमि से ताजे नमूने संग्रहीत किए गए एवं स्पोरुलेशन व एसचरसोनिया को एक्सेनिक कल्चर में लाने के प्रयास में नम स्थिति में उन्हे सनाई के लिए रखा गया।
- चाय पत्ती सतह से ट्राइकोडर्मा एस.पी. को पृथक किया गया एवं अनुवर्ती कायज्ञ हेतु प्रयोगशाला में अनुरक्षित किया गया।
- प्रथम फ्लश के आर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन से पत्ता चला कि एमबी 6, एवी 2 एवं पी 312 स्वाद की उच्चतम मूल्यवता मौजूद है जबकि बी 777, पी 312 बी 668 और एम.बी 6 कप रंग एवं तेजी में बहुत अच्छे है।
- एकल कलोन पी 312 से विभिन्न विनिर्माण तरीकों में तीन नमूने लिए गए,जिन्हे 15 मिनट तथा बिना फर्मेंटेशन के 30 मिनट तक रोल किया गया ।इसे फर्मेन्टेशन के साथ भी रोल किया गया इसमें प्रथम नमूने जिसे बगैर फर्मेंटेशन के 15 मिनट रोल किया गया, में सर्वोत्तम परिणाम मिले। ये सभी तेजी, चमक,कप रंग एवं स्वाद के मापदण्डों पर आधारित थे।
- चाय में लगने वाले कीड़ो के प्रतिरोध के रुप में विविध पौधों जैसे यूपेटोरियम ओडेरेटम, अर्टिका डायोका, आर्टेशियम वल्गेरिस, एजेरेटम कोनीज्योडिस, इइक्वसेटम आरेंसे और मालाबार मेलास्टोमीयरे के तत्वों का अध्ययन किया जा रहा है।
- उत्पादकता, गुणवत्ता और दबाव सहने की क्षमता के लिए नए क्लोनों के विकास के लिए लागू परियोजना में ब्रीडींग के परम्परागत और गैर परम्परागत तरीकों का समेकन किया गया। यह परीक्षण कैसेलटन चाय बागान और रोहिणी चाय बागान में किया गया। इसमें लिटर भार प्रूनिंग प्रूनिंग गर्थ तथा शुष्क भार पर विचार किया गया। इसमें पौधों की ऊँचाई और चढ़ाई को लिया गया रोहिणी और कैसलटन चाय बागानों के एलटीटी के रुप में विज्ञान के आधार पर उत्पादन गुणवत्ता और क्लोनों के मानकों की जाँच की गई।
- कुछ क्लोनों की चढ़ाई की क्षेत्र ग्राफिंटग डीटीआरडीसी के क्लोनल ब्लाक पर गई। नर्सरी मूल्यांकन हेतु प्रयोग स्थापित किए गए जिसमें बीज चिन्हीकरण और जर्मिनेशन का पर्यवेक्षण डीटीआर एवं सी की नर्सरी में हुआ।
- आरडीटीआरडीसी एवं रोहिणी चाय बागान के बीज बारी से बीजों का संग्रह किया गया। उपजे बीजों के भार संग्रहित बीजों की संख्या, बीजों की माप और लोक्मूलों की संख्या सम्बन्धी ब्योरे एकत्र किए गए।
- एवीं 2 और टी 78

4. गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला

- गु नि प्र. सिलीगुड़ी में एनएबीएल के लिए मूल्याकंन पूर्ण किया गया है। 20 अतिरिक्त मानको पर सत्यापित किया गया (पहले से ही सत्यापित 13 मानकों के अतिरिक्त) प्रयोगशाला को 33 मानकों हेतु एनबीएल से सत्यापन प्राप्त हुए है। कुल परीक्षित वाणिज्यक नमूनों की संख्या 260 थी जिससे रु. 11,39,767.00 की राजस्व प्राप्ति हुई।

- तीन स्ट्रेन संयोगों में चार कैरियर सामग्री में जैव उर्वरक तैयार किए जा रहे हैं। ये निम्नवत है फार्म यार्ड खाद में फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया, गोबर में फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया, सक्रिय चारकोल में फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया, सक्रीय चारकोल में फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया। जैव उर्वरक के शेल्फ जीवन के निर्धारण का कार्य चल रहा है।

- एफएसएसएआई मानकों के अलवा टीएफ, टीआर, टीएसएस, एचपीएस, टीएलसी, कुल पॉली फेनाल्स आदि गुणवत्ता मापढण्डों पर वाणिज्यिक परीक्षण चल रहा है। टीबी, डाले गए रंग के अलवा कीटनाशों जैसे डिकोफोल, एथिआन, फेनाजाक्वीन, प्रापरगाइट, क्विनालफॉस, प्रापेकोनाजोल, बिफेनथ्रीन, फेनप्रोपारथीन, क्लोरोपाइरीफोस, साइपरमेथ्रीन, डेल्टामेथ्रीन में अवशिष्टों का भी विश्लेषण किया जा रहा। क्यूसीएल में परीक्षित होनेवाली भारी धातुओं में ताँबा, शीशा, क्रोमिम कैडमियम आदि है। निर्मित चाय की कुल प्लेट गणना, खमीर और मोल्ड गणना आदि भी किए गए जा रहे हैं।

एमटीएफ के तहत XI वीं योजना की अनुसंधान परियोजनाओं को जारी रखना (2017-18 से 2019-20)

(1) उत्पादकता, गुणवत्ता और दबाव सहन हेतु परम्परागत और गैर परम्परागत ब्रीडिंग के तरीकों के समेकन द्वारा नए क्लोनों का विकास। टीआरए उपासी-टीआरएफ, डीटीआर एवं डीसी तथा आईएचबीटी

(2) चाय फसल कटाई एंव कल्चरल प्रचालन हेतु मशीनरी का विकास। (उपासी -टीआरएफ, टीआरए एवं आईएचबीटी)

(3) वर्तमान चाय प्रक्रमण मशीनरी की क्षमता एवं चाय की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु अभिगम। (टीआरए)

(4) फास्फेट घुलनशील राइजों बैक्टीरिया के प्रयोग द्वारा चाय की फंगल बीमारियों के लिए जैव कीटनाशकों का विकास (विश्व भारती)

इन परियोजनाओं का मूल्याकंन अनुसंधान मूल्याकंन समिति के सदस्यों द्वारा 73 वीं टीएलआरसी में किया गया। परियोजनाओं की प्रगति इनके उद्देश्यों के अनुरुप ही पाई गई ।

विनियामक मामले

- **कीटनाशक अवशेष डाटा:** टीआरआई से प्राप्त अवशेष सम्बन्धी आँकड़ों को सीआईबी एवं आर सी तथा एफएसएसएआई के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। चाय के एमआरएल सूची के एपएसएसएआई में यथासंभव कोडेक्स एमआरएल के अंगीकरण द्वारा एम आरएल सूची के विस्तार हेतु प्रयास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

- **पौध संरक्षण कोड:** पीपीसी से 9वें संस्करण को जारी कर दिया गया है तथा पीपीसी के तकनीकी समूह के सुझावों के अनुसार इसको अद्यतन कर उद्योग के जारी कर दिया गया है।

महत्वपूर्व बैठकें

निदेशक (अनुसंधान) ने रोपक समितियों और डीटीआर एवं डीसी, कुर्सियांग और नियंत्रण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, सिलीगुड़ी की निगरानी लेखा परीक्षा बैठकों में भी भाग लिया। अन्य बैठकों में सीसीसीएफ और सीसीपीआर, की शैडो समिति की बैठक, सीबीडीटी, नई दिल्ली में आयकर सम्बन्धी बैठक। 12-13 अगस्त, 2017 को चाय पर एफएओ की आईजीजी बैठक कोलम्बो, श्रीलंका एनबाएल की एकीकृत सत्यापन अभिगम, नई दिल्ली, 25 अगस्त 2017 ईआईसी द्वारा कीटनाशकों / एमआरएल पर आयोजित सघन विचार सत्र, नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2017 आईएसओ/ टीसी34 एससी 8 उद्योग भवन में 8 दिसम्बर, 2017 को जानकारी बैठक तथा 3-8 मार्च को ईरान में तकनीकी प्रतिनिधि-मण्डल की बैठक शामिल है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रबंधन परिषद, टीआरए की वैज्ञानिक परामर्श समिति की बैठक और उपासी की ट्रस्टी बैठकों में भी वर्ष के दौरान निदेशक (अनुसंधान) द्वारा भाग लिया गया।

टी बोर्ड के अनुसंधान अधिकारियों ने कोलकाता में आयोजित आईएसओ/ आईईसी 17025 के पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लिया।

हितधारकों की बैठक अनुसंधान निदेशालय द्वारा टी बोर्ड, कोलकाता और होटल सोनार बांग्ला में एफएसएसएआई के मु.का.अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित की गई। इसमें खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सम्बन्धी मामलों पर चर्चा की गई। इसमें चाय अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों और वैज्ञानिकों के अलावा उद्योग के वरिष्ठ सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया।

चाय अमुसंधान मूल्याकंन समिति की 73वीं बैठक 22 मार्च 2018 को टी बोर्ड में आयोजित की गई जिसमें टीआरएलसी सदस्यों, टीआरआई के निदेशकों और उद्योग के सदस्यों ने अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इसमें टीआरआई और पीआई XII वीं योजना में की प्रगति भी शामिल है।

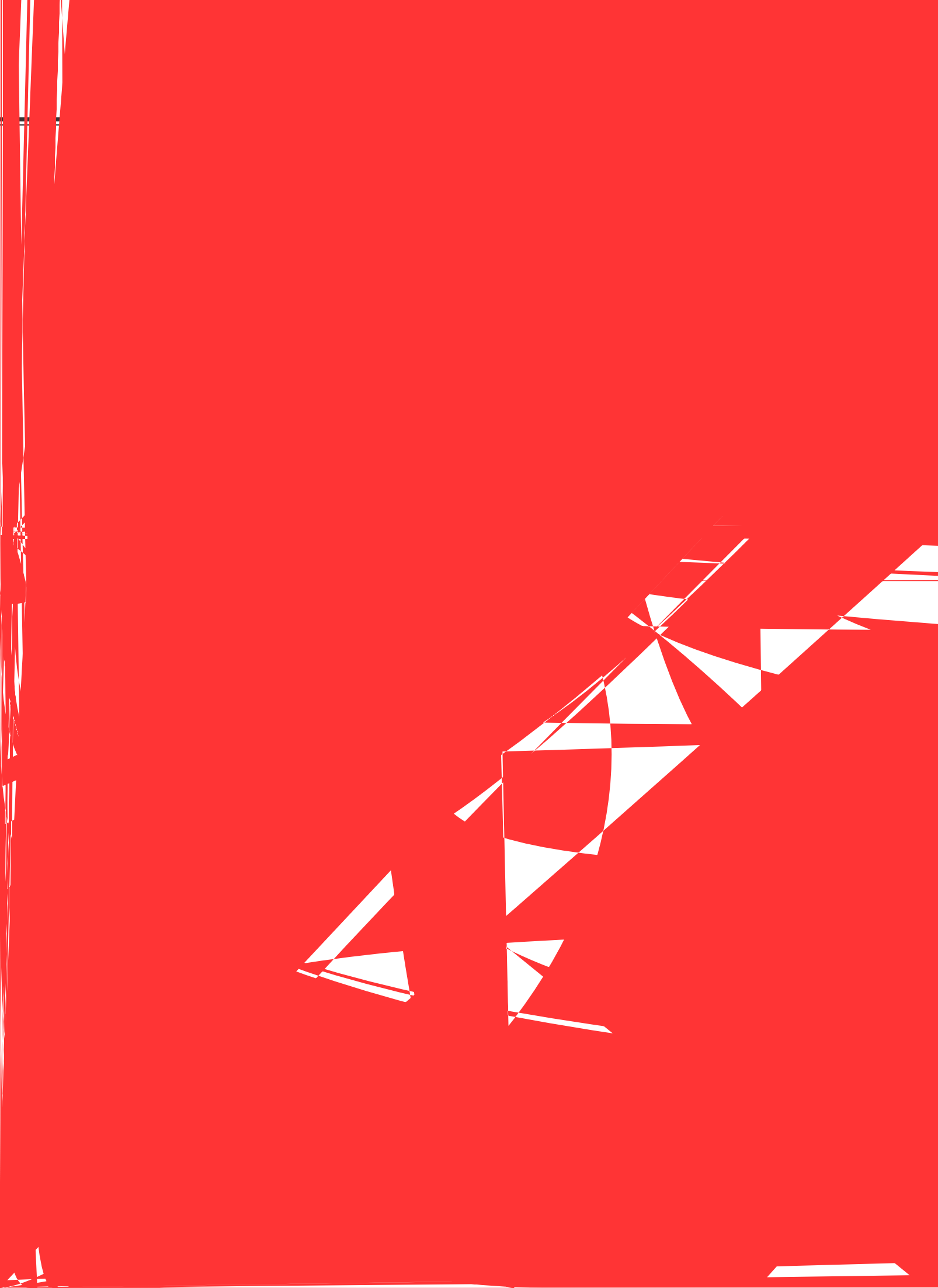

2017-18 के दौरान संवर्धनात्मक क्रियाकलापों का अवलोकन

वर्ष 2017-18 के दौरान चाय बोर्ड ने महत्वपूर्ण व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता द्वारा मिस्र जैसे महत्वपूर्ण देशों में चाय शिष्टमण्डलों को ले जाकर विभिन्न संवर्धनात्मक क्रियाकलापों को कार्यान्वित किया। बोर्ड चाय व्यापार के साथ सम्पर्क कार्य चला रहा है, चाय सम्बंधित व प्रश्नों पर ध्यान दे रहा है, ईरान, जापान, स. राज्य अमेरिका जैसवे प्रमुख बाजारों के लिए गुणवत्ता एवं सुरक्षा विनियमों से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दे रहा है। चाय बोर्ड रुस, कजाखस्तान, ईरान, मिस्र, अमेरिका, जर्मनी, जापान, स.अ.अमिरात आदि प्रमुख देशों में भारतीय चाय की मांग बढ़ाने और उन देशों में बाजार की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मॉस्को में स्थित विदेश कार्यालय तथा मुख्यालय में स्थित कार्यालयों के माध्यम से चाय व्यापारियों को निर्यात एवं बाजार सूचनाओं से संबंधित सभी प्रकार की अद्यतन जानकारियों से अवगत कराया है। बोर्ड के अन्य क्रियाकलापों में बाजार विश्लेषण भारतीय चाय की छवि को बनाए रखने तथा भारतीय चाय बोर्ड के प्रति एक सकरात्मक तरीके से जनमत प्रभावित करने में विभिन्न प्रचारात्मक कार्य करना शामिल है। ट्वीटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से किए जा रहे सतत अभियान भी विभिन्न प्रकार के भारतीय चाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। सूचनाओं के प्रसारण अभियान के एक अंग के रूप में विभिन्न मेलों एवं प्रदर्शनियों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त व्यापारिक पूछताओं को उद्योग जगत के लोगों के साथ साझा किये गए।

भारत टी काउन्सिल ऑफ यू.एस.ए., जापान एण्ड कनाडा का अब भी सदस्य है और इन परिषदों द्वारा आयोजित 'चाय' के जेनेरिक प्रोमोशन से लाभान्वित हुआ है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, भारतीय चाय के गुणों एवं खासियतों का विदेशी दर्शकों के सम्मुख प्रचार-प्रसार करने की दृष्टि से क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच प्रभावी बातचीत के लिए भारतीय चाय बोर्ड ने जर्मनी यू.ए.ई., रुस, कजाकिस्तान एवं जापान जैसे प्रमुख बाजारों में आठ (8) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रतिभागिता ली। इसके अतिरिक्त इसी अवधि के दौरान भारतीय चाय बोर्ड ने विभिन्न स्थानों पर कुल छः (6) घरेलू व्यापार मेलो में भाग लिया। ये B-2-C वार्तालापों को तीन सुगठित व्यापार शिष्टमण्डलों से भी पूरा किया गया जिनमें यू.एस.ए. एण्ड चिली (सम्मिलित) के महत्वपूर्ण बाजार शामिल है। इसके साथ ईरान और मिस्र भी है

सी आई एस क्षेत्र में प्रमुख देशों के लिए संक्षिप्त बाजार दृश्य

देश	बाजार का आकार मि. कि.ग्रा.	पी सी सी कि.ग्रा./पी.ए.
रुस	169	1.27
कजाखस्तान	24	1.50
यूक्रेन	16	0.89
उजबेकिस्तान	23	0.89

सी आई एस क्षेत्र में कुल बाजार का आकार अनुमानित 250 मिलियन कि.ग्रा. है और उपरोक्त देश सामूहिक रूप से उस क्षेत्र के 90% आयात बाजार का नेतृत्व करते हैं। रुस संघ, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार है, द्वितीय स्थान कजाखस्तान का है। रुस 20 से अधिक देशों से लगभग 169 मि. कि.ग्रा. चाय आयात करता है। भारतीय चाय का बाजार लगभग 29% है अर्थात सबसे करीबी प्रतिस्पर्धी देश श्रीलंका के 37 मि. कि. (22%) की तुलना में रुसी चाय बाजार का 50 मि. कि.ग्रा.। 5-5-5 स्कीम के तहत कजाखस्तान के साथ-साथ रुस को 'ब्राण्ड इंडिया' के महत्वपूर्ण बाजारों में से एक रूप में चयनित किया गया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, भारतीय चााय बोर्ड की प्रतिभागिता को निम्नलिखित इवेन्ट्स के लिए आयोजित की गई थी :

अ) व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियॉ :

ए) (i) 11-14 सितम्बर, 2017 के दौरान रुस में 'वर्ल्ड फूड, मॉस्को' में प्रतियोगिता

''वर्ल्ड फूड मॉस्को'' रूप में खाद्य पदार्थों के लिए अग्रणीय अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है जो 11 से 14 सितम्बर, 2017 तक मॉस्को शहर के एक्सपो सेन्टर में सम्पन्न हुआ।

विगत 20 वर्षों में वर्ल्ड फूड मॉस्को, फूड एण्ड ड्रिंक्स इण्डस्ट्रीज तथा रुसी बाजार के लिए उत्पादों का एक जीवन्त स्रोत के लिए एक प्रमुख मिलन स्थल के रूप में बन गया है। प्रदर्शकों को नौ नए क्षेत्रों में बाँटा जाता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आगन्तुक अपनी रुचि के उत्पाद प्राप्त कर सके, उनकी तुलना कर सके तथा उनके निविर्माताओं से सीधे बात कर सके।

इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग आए जिनमें थोक विक्रेता, वितरक, खुदरा व्यापारी और रेस्तरां के मालिक थे। इसका अर्थ यह है कि प्रदर्शक एक ही समय में दो मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके यथा (1) उन्हें एक विश्वसनीय वितरक मिल सकता है और (2) इस उभरते बाजार में अपने उत्पादों की मांग को भांप सकते हैं। इस प्रदर्शनी में विश्व भर से 70 देशों से 1500 से भी अधिक प्रदर्शनकारी तथा 50 देशों से लगभग 26000 आगन्तुक आए थे।

इंडिया टी पैविलियन / भारतीय चाय मंच

इंडिया टी पैविलियन का आयोजन पैविलियन 8 में 150 वर्ग मी. क्षेत्रफल में (भारतीय चाय बोर्ड द्वारा ली गई सबसे बड़ी जगह) प्रदर्शनी के पेय सेक्शन में किया गया था। इस पैविलियन का चयन इंडिया टी ब्राण्डिंग को अधिक से अधिक लोगों को आकृष्ट करने के इरादे से किया गया था।

भारतीय चाय बोर्ड के पैविलियन से 16 नामचित निर्यातकों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिये।

व्यापार सम्बन्धी पूछताछ की संख्या काफी सराहनीय थी। प्रदर्शनी के पहले ही दिन 100

'बायर-सेलर मीट' का आयोजन 12 सितम्बर, 2017 की शाम को किया गया था। इसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

1. भारतीय निर्यातक (वर्ल्ड फूड एक्सपो में आए प्रतिभागी)।
2. भारत के साथ आयात-निर्यात में संलग्न रुसी कॉरपोरेट्स।
3. कॉमर्सियल इन्डो बैंक, मॉस्को के पहले के कुछ भारतीय ग्राहक।

यह प्रदर्शनी सी आई एस क्षेत्र से निर्यातकों एवं आयातकों में विजनेस नेटवर्किंग में बहुत ही अधिक कारगर सिद्ध हुआ।

ए (ii) नवम्बर, 1-3, 2017 तक अलमाटी में 'वर्ल्ड फूड कजाखस्तान' में प्रतिभागिता

भारत सरकार की अनुमति से चाय बोर्ड ने कजाखस्तान के महत्वपूर्ण बाजार में भारतीय चाय की दृश्यता और संवर्धन के लिए सात (7) निर्यातकों सहित 71.5 वर्ग मीटर के पैविलियन के माध्यम से 'वर्ल्ड फूड कजाखिस्तान' में भाग लिया।

इस प्रदर्शन में एक प्रभावशाली प्रतिभागिता के लिए चाय बोर्ड ने आयोजकों की ओर से कृतज्ञता का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। अगले वर्ष 2018 की प्रदर्शनी में भारत को एक साझा देश बनाने की योजना है।

ए (iii) रुस के मॉस्को शहर में 5 9 फरवरी, 2018 के दौरान 'प्रोडेक्सपो' में प्रतिभागिता

प्रोडेक्सपो रुस में सबसे बड़ा वार्षिक विशेषीकृत प्रदर्शनी है। 20 वर्षों से भी अधिक समय से इसने रुस में घरेलू खाद्य उद्योग के विकास को निर्धारित किया है। इन वर्षों में इस प्रोडेक्सपो प्रदर्शनी ने रुसी खाद्य उद्योग को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यह प्रदर्शनी खाद्य पेय एवं खाद्य सामग्रियों/कच्चा माल की 25वी वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी जिसका आयोजन मेसर्स एक्सपो सेन्टर, मॉस्को, रुसी संघ ने किया था।

भारतीय चाय बोर्ड ने 63 वर्ग मीटर के स्टॉल में 8 कंपनियों के साथ इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। चाय बोर्ड के स्टॉल के अलावा अनेक स्थानीय चाय कंपनियों जैसे मेसर्स प्रीमियर टी तथा मेसर्स इन्दु टी ने भी भाग लिया।

श्रीलंका चाय बोर्ड, और नेपाल चाय बोर्ड ने भी अपने-अपने स्टॉल से अपने-अपने उत्पादों एवं मूल्य संवर्धित चाय उत्पादों का प्रदर्शन किया।

प्रोडेक्सपो 2018 का अनावरण रुसी संघ के उप कृषि मंत्री श्रीमान ग्रोमिको एवजेनि तथा रुसी संघ के वाणिज्य एवं उद्योग चेम्बर के उप सभापति/उपाध्यक्ष श्रीमान फदीव माकसिम की उपस्थिति में श्रीमान रजिन एण्ड्रे ने किया।

श्री जॉर्ज थोमस, आई.एफ.एस. द्वितीय सचिव, वाणिज्य तथा प्रभारी चाय संवर्धन निदेशक (डी टी पी) भारतीय चाय बोर्ड, की उपस्थिति में भारतीय दूतावास के काउन्सेलर तथा आर्थिक एवं वाणिज्यिक विंग के प्रमुख श्री एस. इनबासेकर ने भारतीय चाय बोर्ड स्टॉल का अनावरण किया।

असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी चाय कांगड़ा के विभिन्न चायों की प्रदर्शनी चाय बोर्ड के स्टॉल में की गई। साथ ही इन सभी प्रकार की चाय की विशिष्टताओं आदि पर समुचित जानकारियॉ भी उपलब्ध कराई गई। असम नीलगिरी, दार्जिलिंग और कांगड़ा चाय भी आगन्तुकों को नि:शुल्क बॉटे गए। स्टॉल में आए दर्शकों को विभिन्न प्रकार की भारतीय चाय और उनके उत्पादन में विविध भौगोलिक क्षेत्रों की भूमिका तथा सतत गुणवत्ता पर अनेक जानकारियाँ दी गई। चाय व्यापारियों को भारतीय चाय बोर्ड की संवर्धनात्मक योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस प्रदर्शनी में यह बात देखने में आयी कि भारत से आए लगभग सभी चाय

बी) अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलाप

बी) (i) ''डेज ऑफ इंडिया'' मिन्स्क, बेलारुस

भारतीय चाय बोर्ड ने 27 अगस्त, 2017 को बेलारुस के मिन्स्क शहर में आयोजित 'डेज ऑफ इंडिया' में चाय स्वादादन सत्र (टी टेस्टिंग सेशन) तथा सुसज्जित स्टॉल से दार्जिलिंग असम और नीलगिरी जैसी प्रीमियम एकल मूल की प्रदर्शनी के माध्यम से भाग लिया। इस अवसर पर भारत की सांस्कृतिक विरासतों पर आधारित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

यह इवेन्ट भारत और बेलारुस के राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के 25 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया था।

बी) (ii) मॉस्को, रुस में ''वार्षिक ग्रीष्म बाजार''

मॉस्को में अवस्थित भारतीय दूतावास मिशन के पते पर 'भारतीय महिला संघ (आई.डब्लू.ए) के सक्रिय सहयोग से हर वर्ष 'वार्षिक ग्रीष्म बाजार' इवेन्ट आयोजित करता आया है जिसके अन्तर्गत विशिष्ट मेहमानों जिनमें महत्वपूर्ण क्रेता विदेशी आगन्तुक और विभिन्न मिशन से आए प्रतिनिधियों के समक्ष भारतीय खाद्य एवं पेय पदार्थों की प्रदर्शनी करता है। इंडिया टी प्रोमोशन के लिए मूल रूप से 26 अगस्त, 2017 को भारतीय चाय बोर्ड की प्रतिभागिता का आयोजन किया गया था। इन इवेन्टस में बड़ी संख्या में क्रेताओं ने भाग लिया जहाँ विभिन्न प्रकार की भारतीय चाय का प्रदर्शन किया गया और टी टेस्टिंग सेशन्स भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर मुफ्तमें चाय के नमूने तथा तरल चाय के नमुने भी लोगों में वितरित किए गए।

पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका (वाना) देशों के लिए बाजार अवलोकन

लगभग 33% भारतीय चाय पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका (वाना) में निर्यात की जाती है। इन देशों में विशेष रूप से संयुक्त अरब अमिरात, इरान, मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान में प्रति व्यक्ति उच्च खपत है तथा यहाँ निर्यात की वृद्धि की अच्छी संभावना है।

यू.ए.ई (दुबई), ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और लिबिया वाना क्षेत्र में प्रमुख बाजार है (492 मि. कि.ग्रा. के सम्मिलित आयात बाजार आकारया इस क्षेत्र में कुल बाजार के आकार का 85% के साथ)। मध्य पूर्व देश के बाजार कीमत और गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत स्पर्धी है। यहाँ चाय अधिकांशत: बिना दूध के ही पी जाती है तथा चाय का रंग रूप उसके पसन्द नापसन्द का मापदण्ड है। एक प्रमुख चाय उपभोक्ता वाला क्षेत्र होने के नाते अपने हल्के और शुभ्र विशिष्टताओं, कीमत स्पर्धात्मकता तथा गुणवत्ता से परिपूर्णता के कारण अफ्रीकी चाय बाजार में अपनी पहचान बना रही है। परन्तु कुछ देशों जैसे ईरान, सीरिया, सऊदी अरब जो पहले से ही ऑर्थोडॉक्स चाय पसन्द करते आए हैं, में हाल ही में सी टी सी चाय की माँग में तेजी देखी गई है। यू.ए.ई. में भारत और पाकिस्तान से आए प्रवासियों की बड़ी जनसंख्या के कारण सी टी सी चाय प्रसिद्ध है।

ईरान

ईरान एक चाय उत्पादक देश है जिसका वार्षिक उत्पादन लगभग 14 मि. कि.ग्रा. है। वार्षिक चाय की खपत 68 मि. कि.ग्रा. (मुख्य रूप से) ऑर्थोडॉक्स चाय जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 0.90 कि.ग्रा. चाय की खपत है। वर्ष 2015 में ईरान ने 59 मि. कि.ग्रा. की तुलना में वर्ष 2016 में 65 मि. कि.ग्रा. ऑर्थोडॉक्स चाय का आयात भारत से किया। इस तरह आयात में 10% की वृद्धि हुई। ईरान ने अपने कुल आऊटपुट का लगभग 9% सी आई एस देशों, यू ए ई, अफगानिस्तान आदि को पुर्ननिर्यात किया। ईरान की चाय की गुणवत्ता अन्य देशों की चाय की गुणवत्ता से कहीं कम है इसी कारण इसमें आयात की गई चाय मिलाकर उसे घरेलू बाजार में पीने लायक बनाया जाता है। खपत वार, इस मिश्रण में 90% ऑर्थोडॉक्स और 10% सी टी सी चाय मिलायी जाती है। उच्च,

(1) 3-6 मार्च, 2018 के दौरान ईरान में व्यापार शिष्टमण्डल की यात्रा

जी एम पी रजिस्ट्रेशन के मुद्दों, कीटनाशकों एवं एम आर एल तथा बैंकिंग मुद्दों पर बातचीत और उनका हल निकालने के लिए चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री श्यामल मिश्रा, आई.ए.एस. के नेतृत्व में 25 सदस्यी एक भारतीय चाय शिष्टमण्डल जिसमें चाय बोर्ड के अधिकारी चाय उद्योग के वरिष्ठ सदस्य (उत्पादक, निर्यातक एवं व्यापारी निर्यातक) और वैज्ञानिकों ने मार्च 3 से 6 मार्च, 2018 के दौरान ईरान के तेहरान का दौरा किया।

इस शिष्टमण्डल ने विभिन्न सरकारी विभागों के साथ बैठक की जैसे खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य मंत्रालय, ईरान मानक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (आई एस आई आर आई), इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरानियत कस्टमस एण्ड तेहरान चेम्बर ऑफ कॉमर्स। ये बैठकें 4-5 मार्च, 2018 को हुई। 04 मार्च, 2018 की संध्या में एक अनौपचारिक क्रेता विक्रेता बैठक (बायर सेलर मीट) का आयोजन किया गया था।

इन सभी बैठकों में दोनों ही ओर से विश्व के दो महान सभ्यताओं के बीच शताब्दियों पूर्व ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्धों को याद किया गया भारतीय चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं भारतीय शिष्टमण्डल के अगुआ श्री श्यामल मिश्रा ने उल्लेख किया कि ईरान भारत का एक महत्वपूर्ण चाय व्यापार साझेदार है। ईरान ऑर्थोडॉक्स चाय का आयात करता है तथा भारतीय चाय उप्तादकों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली ऑर्थोडॉक्स चाय का उत्पादन किया जा रहा है जो ईरान द्वारा बड़े पैमाने पर खपत की जा रही है (2017 में कुल 99 मि. कि.ग्रा. ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादन का 28%)।

(2) ईरान में भारतीय निर्यातकों के लिए जी एम पी रजिस्ट्रेशन, वैधता और नवीनीकरण का मुद्दा

मई, 2018 में तेहरान में स्थित हमारे दूतावास के माध्यम से ईरान में भारतीय चाय के निर्यात के लिए जी एम पी रजिस्ट्रशन, उसकी वैधता और नवीनीकरण के महत्वपूर्ण विषय पर ईरान के स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा हुई।

मिस्र का अरब गणराज्य

92 मिलियन आबादी वाला मिस्र के अरब गणराज्य का बाजार आकार 97 मि. कि.ग्रा. ग्राम तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 0.99 कि.ग्रा. है। सरकार लोक वितरण के लिए लगभग 20 मि. कि.ग्रा. चाय आयात करती है तथा शेष मात्रा निजी कम्पनियाँ आयात करती हैं। आपूर्ति एवं आन्तरिक व्यापार मंत्रालय एक निकाय है जो यह तय करता है कि सरकार को कितनी मात्रा में चाय की आवश्यकता है और वही मात्रा दो पब्लिक सेक्टर संगठनों यथा मेसर्स ई आई नासा एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट कं. तथा मेसर्स मिस्र एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट कम्पनी द्वारा प्राप्त किया गया। अभी ज्यादातर निजी कम्पनियाँ चाय का निर्यात कर रही हैं। हाल ही में मिस्र की सेना भी अपनी जरुरतों के लिए भारत से सीधे चाय आयात कर रही है।

बाजार में मुख्य रूप से सी टी सी डस्ट और फैनिंग्स की मांग है। मिस्र में पेय पदार्थ के रूप में चाय सबसे अधिक पसन्दीदा पेय है जहाँ डस्ट और फैनिंग्स युक्त सी टी सी चाय की कुल मांग 95% है। सामान्यत बड़ी मात्रा में चाय आयात की जाती है और फिर उसे घरेलू खपत के लिए निजी कम्पनियों द्वारा मिश्रित और पैक्ड की जाती है। अल्प मात्रा में पैक्ड चाय भी आयात की जाती है। 'टी बैग्स' एक छोटा परन्तु धीमी गति से बढ़ने वाला क्षेत्र है। 88% आयात की हिस्सेदारी के साथ केन्या

7 मार्च से 9 मार्च, 2018 के दौरान भारतीय चाय शिष्टमण्डल का मिस्र दौरा

श्री श्यामल मिश्रा (एस.एम.) संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग तथा उपाध्यक्ष, भारतीय चाय बोर्ड के नेतृत्व में 22 सदस्यीय एक भारतीय चाय शिष्टमण्डल ने 7-9 मार्च, 2018 के दौरान मिस्र का दौरा किया जिसमें भारतीय चाय कंपनियों के प्रतिनिधि भी थे।

इस यात्रा के दौरान- ''India by the Nile'' वार्षिक महा सांस्कृतिक उत्सव के एक भाग के रूप में काहिरा में स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से 7 मार्च, 2018 को 'इंडिया टी प्रमोशन सेमिनार एण्ड वायर सेलर मीट (बी एस एम) का आयोजन टी बोर्ड, भारत द्वारा किया गया। इस शिष्टमण्डल ने मिस्र के आपूर्ति एवं आन्तरिक व्यापार मंत्री डॉ. अली मोसेलही को भी आमंत्रित किया तथा वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सामान्य प्रधिकरण के अधिकारियों से भी भेंट की। इसके अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय तथा आर्म्ड फोर्सेस लॉजिस्टिक, रक्षा मंत्रालय के व्यापार सहमति क्षेत्रों के अधिकारियों से भी मुलाकात की।

संयुक्त अरब अमिरात (यू ए ई)

सं.अ.अ. अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति तथा लॉजिस्टिक और भण्डारण सेवाओं की उत्कृष्ट सुविधाओं विशेषत दुबई मलटी-कॅमोडिटिज सेन्टर के तहत जेबेल अली फ्री जोन में दुबई चाय व्यापार केन्द्र के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय चाय व्यापार में एक अहम भूमिका निभा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय चाय पुर्ननिर्यात हब्स में से एक होने के नाते डीटीटीसी में चाय व्यापारियों एवं मर्चेन्टस के लिए भण्डार, मिश्रण, टेस्टिंग और पैकेजिंग के लिए विश्व श्रेणी की सुविधाएँ मौजूद है। इसका बाजार लगभग 73 मि. कि.ग्रा. है।

सं.अ.अ. से होने वाला चाय का पुर्न निर्यात, वैश्विक चाय के पुर्ननिर्यात का लगभग 70% है। सं.अ.अ. के भौगोलिक वितरण का लगभग 86% पुर्ननिर्यात तीन देशों यथा ईराक (50%), ईरान (17%) और रुस (25%) को किया गया। जबकि कम आबादी होने के कारण सं.अ.अ. में चाय के लिए घरेलू बाजार बहुत बड़ा नहीं है, परन्तु चाय के पुर्ननिर्यात के लिए एक हब के रूप में बाजार बहुत बड़ा है। इस बाजार में टी बैग्स और पैक्ड टी का बहुत बड़ा बाजार है तथा ऑर्थोडॉक्स चाय (लीफ/ब्रोकेन्स) का यहाँ एक अच्छा बाजार है। टी बैग्स में मुख्य रूप से BPO, BP, PD सी टी सी श्रेणी की चाय प्रयुक्त होती है। जहाँ पैकेट टी में, विशुद्ध असम सी टी सी उपलब्ध होती है, वहीं टी बैग बाजार में अधिकतर भारतीय और केन्याई चाय के मिश्रण अथवा विशुद्ध श्रीलंकाई चाय मिलती है।

2016-17 के 18.84 मि. कि.ग्रा. की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान भारत ने ईरान में 21.63 मि. कि.ग्रा. (15% वृद्धि) चाय का निर्यात किया। रुस और ईरान के बाद भारतीय चाय का यह तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।

1) 18-22 फरवरी, 2018 के दौरान दुबई में गल्फ फूड में प्रतिभागिता

एक सुव्यवस्थित और प्रख्यात व्यापार प्रदर्शनी प्रचार के प्रभावी माध्यम एवं क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच संवाद के लिए एक तत्क्षण मंच उपलब्ध कराती है। दुबई में आयोजित गल्फ फूड के साथ सं.अ.अ. सम्पूर्ण मध्य-पूर्व और यूरोप के महत्वपूर्ण क्रेताओं का एक प्रमुख संगम स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है। इस गल्फ फूड में प्रतिभागिता क्रेता-विक्रेता वार्तालाप को सफलतापूर्वक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई।

भारत सरकार के अनुमोदन से भारतीय चाय बोर्ड ने 17

भारतीय चाय बोर्ड ने 120 वर्ग मी अब तक का सबसे बड़ा) समग्र स्थान पर अपना स्टॉल बनाया था जिसका निर्माण समुचित फर्निचर एवं सामान के साथ अनु डिजाइन पर आधारित था तथा सभी जगहों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी की गई थी। टी बोर्ड के माध्यम से 17 निय इस मेले में भाग लिया था जहाँ स्पेशालिटी टीज, फ्लेवर्ड टी और ऑर्गेनिक टी सहित भारतीय मूल के सभी प्रकार की का (ब्लक से पैकेज्ड तक) प्रदर्शन किया।

भारतीय चाय बोर्ड का समय स्टॉ बुथों वाला था, जो Zaa beel हॉल नम्बर 5 में Z-5 पर था जहाँ बोर्ड का मंच आकर्षक प्रचार पोस्टर्स से तथा प्रतिभागी कंपनियों के उपस्थिति से आभा मण्डित हो रहा था। बोर्ड की प्रचार सामाग्रियाँ दार्जिलिंग, असम, निलगिरी, कांगड़ा, डुआ ई और सिक्किम की एकल मूल की विभिन्न प्रकार की चायों का और चाय बागानों की सुन्दर तस्वीरों से पैविलियन में ले लोगों का ध्यान अपनी ओर खिंचती थी। इसके अतिरिक्त चाय के लोगो, विभिन्न चाय उत्पादों, चाय की श्रेणियों का भ न किया गया। दार्जिलिंग, असम, निलगिरी, सिक्किम और कांगड़ा जैसी एकल मूल की गुणवत्तायुक्त चाय के नमुने सभी टर पर प्रदर्शित किए गए। इससे काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई जो हमारे विशिष्ट चाय का आनन्द लेने के लिए क खड़े देखे गए। इस मेले की विशेषता यह थी कि विभिन्न समूहों में गंभीर विचार-विमर्श के परिणाम स्वरूप 17 निर्यातकों ड़ी संख्या में व्यापार संचालन एवं नए व्यवसाय के अवसर के द्वार खुले। चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष ने 18-19 फरवरी, 2 के दौरान बोर्ड के स्टैण्ड से भारतीय निर्यातकों को सम्बोधित किया और सभी से एक एक करके बातचीत की। उन्होंने प्रत्ये तिभागी निर्यातकों के तथा चाय बोर्ड के अन्तर्गत प्रतिभाग नहीं लेने वाले निर्यातकों (भारतीय निर्यातकों) के बुथ का भी दौरा । 18 फरवरी, 2018 को चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष ने दुबई चाय व्यापार केन्द्र (डीटीटीसी) का दौरा किया। यह केन्द्र जेबेल फ्री जोन में स्थित दुबई मल्टी कोमोडिटी सेन्टर (डीएमसीसी) का एक हिस्सा है। उपाध्यक्ष ने वरिष्ठ प्रबन्धक सुनीता मूर्ति से पी, पैकेजिंग, लेवेलिंग और शिपमेन्ट की दी गई सेवा के आधार पर वेयर हाऊसिंग और ब्लेडिंग के बारे में विख्यात चाय तों को मुहैय्या कराई जा रही विशिष्ट एवं सामान्य सुविधाओं के बारे में बातचीत की। यह ज्ञात हुआ कि डीटीटीसीएचएसीसीपी णित है और इसे शीघ्र ही आईएसओ प्रमाणन मिलने वाला है। इस इकाई के दो भिन्न केन्द्र हैं यथा ''ब्लेन्डेड टी यूनिट'' और स्पेशालिटी टी यूनिट''।

उपाध्यक्ष ने 18 फरवरी, 2018 ''खलीज़ टाइम्स'' से वार्तालाप किया और भारतीय चाय परिदृश्य का सम्पूर्ण चित्रण दिया।

19 फरवरी 2018 को चाय बो के उपाध्यक्ष ने लुलु ग्रुप के अध्यक्ष और विपणन निदेशक (सीएमडी) से भारतीय चाय की नियमित आपूर्ति की सम्भावना (लक और पैकेज्ड) पर बैठक की और भारतीय चाय के ब्राण्डस के लिए शेल्फ समर्पित किया जिसकी पुष्टि दोनों ही लोगों ने की थी। फलस्वरूप, डीडीटीपी श्री जयदीप बिश्वास ने लुलुग्रुप के निदेशक (एफएमसीजी) श्री नारायणन एमन को मिली [illegible]

[redacted]

अन्य बाजार अवलोकन

स.राज्य अमेरिका (यूएसए)

वर्ष 2017 के दौरान यू.एस.ए. का एक अनुमानित बाजार आकार लगभग 126 मि. कि.ग्रा. है जिसमें भारत का निर्यात लगभग 14 मि. कि.ग्रा (11%) है। यहाँ चाय की बिक्री का मुख्य कारण चाय पीने के स्वास्थ्य लाभ है जहाँ ऑरगेनिक, ग्रीन टी लोगों में चाय की अधिक और विशेष रुचि पैदा कर दी है। स्पेशलिटी टी इसी क्रम में एक अन्य वर्ग है जिसकी एक अच्छा भविष्य है क्योंकि उपभोक्ता मूल विशिष्ट चायों के बारे में और अधिक या ज्यादा से ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। यू.एस.ए. में आईस्ड टी (95%) रूप में ज्यादातर चाय पी जाती है। ऐसे में यहाँ का बाजार भारतीय चाय के निर्यात के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है।

यूएस टी काउन्सिल का स्थापना सदस्य होने के नाते भारत ने अमेरिकी चाय उद्योग के प्रमुख स्टेकहोल्डरसों के साथ विभिन्न अवसरों पर कई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया।

वर्ष 2017-18 के दौरान अमेरिका में भारतीय चाय का निर्यात वर्ष 2016-17 की 14.61 मि. कि.ग्रा. की तुलना में 13.23 मि. कि.ग्रा. था जिसमें औसत निर्यात मुल्य 2016-17 तक 4.14 डॉलर/कि.ग्रा. की तुलना में 4.26 डॉलर/कि.ग्रा. रहा। सतत संवर्धन के लिए अमेरिका एक 5-5-5 बाजार है।

25-27 जून 2017 के दौरान ''समर फैन्सी फूड शो न्यूयार्क'' के नाम से व्यापार मेला में भारतीय चाय बोर्ड की सहभागिता।

25-27 जून 2017 में न्यूयार्क में आयोजित 63 वें समर फैन्सी फूड शो में 12 निर्यातकों के साथ 1000 वर्ग फीट एक इंडिया टी पैविलियन के माध्यम से भारतीय चाय बोर्ड ने सहभागिता की। आगन्तुकों का आना जारी था तथा चुनिन्दा भारतीय चाय (दार्जिलिंग ब्लैक, दार्जिलिंग ग्रीन, असम, निलगिरि, मसाला चाय और सिक्किम चाय) के नमूने प्रदर्शित किए गए एवं आगन्तुकों ने चाय का आनन्द उठाया।

26 जून 2017 की संध्या के समय भारतीय दूतावास के बॉल रुम में भारतीय चाय बोर्ड, भारतीय दूतावास न्यूयॉर्क और अमेरिकी चाय संघ द्वारा संयुक्त रूप से एक क्रेता विक्रेता वार्तालाप (Buyers seller interaction) का आयोजन किया गया था। इसका शुभारम्भ भारतीय दूतावास की राजदूत मिस रिवा गांगूली दास के शब्दों से हुई, इसके बाद भारतीय चाय बोर्ड के अध्यक्ष श्री पी.के. बेजबेरुआ ने स्वागत भाषण से वार्तालाप को आगे बढ़ाया तथा अन्त में श्री संतोष सारंगी, उपाध्यक्ष, भारतीय चाय बोर्ड, ने बैठक को सम्बोधित किया।

6-9 मार्च, 2018 के दौरान ''फूडेक्स, जापान'' में सहभागिता

चाय बोर्ड भारत ने 108 वर्ग मीटर इंडियन टी पैविलियन में 11 प्रख्यात निर्यातकों के साथ इस प्रदर्शनी में भाग लिया।

चाय बोर्ड का स्टॉल दार्जिलिंग, असम, निलगिरि, सिक्किम और कांगड़ा चाय (जापानी भाषा में) के पोस्टरों से सजाया गया था। इनमें से हर एक चाय के कैडिज को भी स्टॉल में प्रदर्शित किया गया। विभिन्न प्रकार के भारतीय चाय के बारे में जानकारी देने के लिए जापानी भाषा में पर्चियाँ बाँटी गई। भारत के लोग किन-किन प्रकार के चाय का रसास्वादन करते हैं यह दिखाने के लिए भारतीय चाय पर एक छोटी फिल्म भी स्टॉल में दिखाई गई।

निर्यातकों ने भी इस मेले में विभिन्न प्रकार के चाय का प्रदर्शन किया। अच्छी गुणवत्ता वाली ऑर्गेनिक दार्जिलिंग चाय जिनकी जापान में हमेशा से अच्छी मांग रही है, के अलावा निर्यातकों ने अन्य प्रकार की चायों का भी प्रदर्शन किया जैसे-उच्च गुणवत्ता वाली असम चाय, ग्रीन चाय, उलोंग चाय, मूल्य संवर्धित चाय फ्लेवर चाय, दक्षिण भारतीय ऑर्थोडॉक्स/सीटीसी आदि। इन सभी प्रकार की चाय पर क्रेताओं की ओर से अनेक जिज्ञासाएं भी रहीं। सिक्किम सरकार की टेमी टी एस्टेट ने भी इस प्रदर्शनी में भाग लिया तथा जापानी क्रेताओं का ध्यान आकृष्ट किया।

6 मार्च, 2018 के उद्घाटन वाले दिन श्री राज कुमार श्रीवास्तव, मिशन के उप प्रमुख तथा श्री भागीरथी बेहेरा, प्रथम सचिव (आर्थिक), भारतीय दूतावास टोक्यो ने चाय बोर्ड के स्टॉल एवं सम्पूर्ण टी पैविलियन का दौरा किया। अधिकारियों ने भारतीय निर्यातकों से वार्तालाप किया और जापान में भारतीय चाय के भविष्य में बाजार परिदृश्य पर जानकारी ली। इसके साथ उन्होंने ऐसे क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी ली जहाँ जापानी क्रेताओं के बढ़ती मांग के अनुसार भारतीय निर्यातक अपना ध्यान लगाने की योजना बना रहे हैं। अधिकारियों ने जापान में भारतीय चाय को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। जापान चाय संघ के वरिष्ठ प्रबन्धन निदेशक श्री साकेइ योनकावा और जापान के साथ भारतीय चाय बोर्ड के पैविलियन में बैठक के लिए आए और चर्चा हुई जहाँ उन्होंने जापान में भारतीय चाय के विपणन के लिए समर्पित चाय सेमिनार/प्रचारात्मक अभियान संचालित करने में रुचि दिखाई।

जर्मनी

वर्ष 2017 के दौरान कुल 53

2,84,000 वर्ग मीटर प्रदशनों के जगह पर 107 देशों से आई 7405 कंपनियों ने अनूगा 2017 में भाग लिया। इनमें जर्मनी से 716 तथा अन्य देशों के 6689 प्रदशकों शामिल थे। विदेशी प्रदशकों की हिस्सेदारी 90% थी। 198 देशों से आए 1,65,000 व्यापारिक आगान्तुकों नें सोर्सिंग, इन्फॉरमेशन एण्ड ऑर्डरिंग ऐट टॉप लेवेल इनमें से 785% आगान्तुकों विदेशों से थे।

NEW Minister, Christine Schule Focking ने 7 अक्टूवर 2017 को इस व्यापार मेला का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल उपस्थित थी। भारत अनूगा 2017 के लिए साथी देश) पार्टनर कन्ट्री था। आईबीईएफ की ओर से प्रसंस्कृति खाद्य, चाय ,कॉपी ,चावल दुग्ध उत्पाद आदि को सम्मिलित करते हुए ने इस अवसर को भी और बी सतत दृश्यता बनाए रखने तथा काफी हद तक भारतीय चाय का संर्वधन करने के लिए भारतीय चाय बोर्ड ने इस विख्यात मेले में सहभागिता ली।

उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली कम्पनियों में मेसर्स एल.एम.जे.इन्टरनेशनल लिमिटेड मेसर्स आदित्य ट्रेडिंग कम्पनी, मेसर्स जिवराज टी रिटेल) गुजरात (प्राइवेट लि., मेसर्स साकेत इम्पेक्स, मेसर्स वाहदाम टीज और मेसर्स सिग्नेचर एस्टेट्स प्रमुख थी वही अनूगा 2017 में टी बोर्ड बारत की ओर से श्रेणी जयदीप विश्वास, उप-निदेशक चाय संर्वधन द्वारा टी बोर्ड का प्रतिनिधत्व किया गया।

चाय बोर्ड, भारत ने 54 वर्गमीटर स्थान पर अपना सटॉल लगाया था और छः प्रतिभागी कंपनियों में से प्रत्येक को 6 वर्गमीटर जगह आंवटित की गई थी। स्टॉल का निर्माण अनुकूलित डिजाइन पर आधारित था जहाँ यथोचित फर्निचर एंव सहायक उपकरणों के साथ-साथ पर्याप्त रोशनी की भी व्यवस्था थी।

B-029g हॉल सं. 7 में सात बूथों वाला भारतीय चाय बोर्ड का समग्र स्टॉल एक नए भेष में नजर आ रहा था जहाँ लगे विभिन्न

700 कप चाय सर्व की गई। आगान्तुकोंने भारतीय चाय विशेषकर दार्जिलिंग चाय के बारे में काफी जानकारीयाँ टी बोर्ड के स्टॉल से प्राप्त की। बायोफैक में जिन ट्रेन्ड्स पर मेला आयोजित किया गया था दे थी–सुविधा, स्पेशालिटी फूड्स द टेस्ट ऑफ कोकोन्ट, सुपर फूड्स फ्री–फ्राम प्रोडक्ट्स एण्ड सीवीड्स।

जर्मन फेरेशन ऑप द ऑर्गेनिक फूड इन्डस्ट्रीज (Bund Oklogische Lchensmittel wirichaft) के अनुसार जर्मन वासियों ने वर्ष 2016 में ऑर्गेनिक फूड पर वर्ष 2015 की तुलना में लगभग 10% अधिक खर्च किया जिसने बिक्री की राशि को Eurतक पहुँचा दिया । ऐसा नही है कि ऑर्गेनिक उत्पाद केवल जर्मनी में ही प्रचलित हो गए है बल्कि सम्पूर्ण रुप से यह यूरोपीय संघ क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए है। एक मार्केट रिसर्च कम्पनी ऑर्गेनिक मॉनिटर के कलन के अनुसार (2014) ऑर्गेनिक का वैश्विक बाजार Eur 60 अरब तक है।

ऑर्गेनिक उत्पादों की दुनिया में अपना कदम रखने के लिए भारतीय ऑर्गेनिक चाय ती सतत दृश्यता और संर्वधन मेसर्स सुरेसा टी

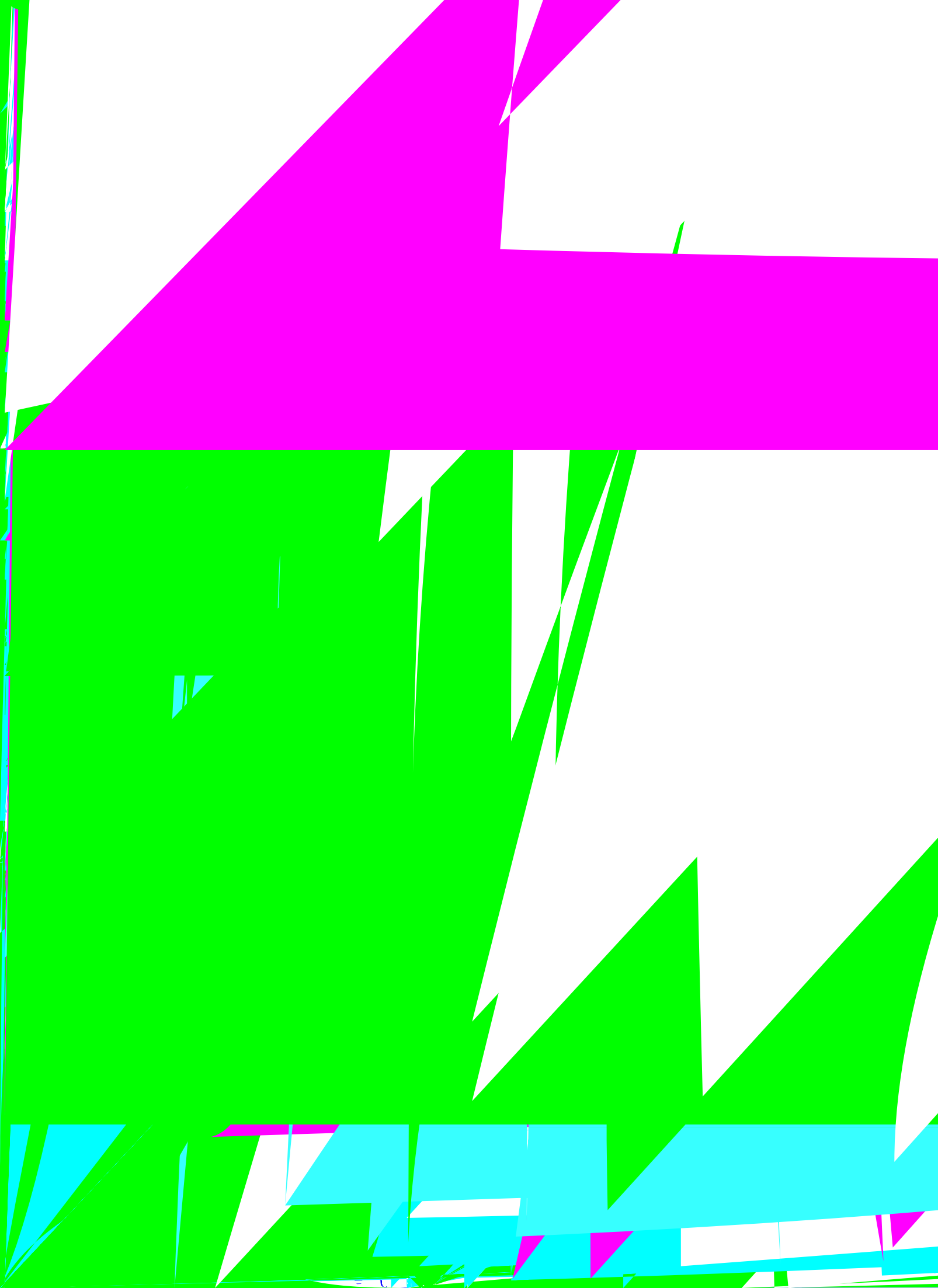

जून 25-27, 2017 न्यूयार्क में आयोजित समर फैंसी फूड में टी बोर्ड की सहभागिता

26 जून, 2017 को कॉनसुलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयार्क में क्रेता विक्रेता अंत:क्रिया एवं भारतीय चाय सराहना सत्र। क्रेता विक्रेता अंत:क्रिया कॉनसुलेट जनरल ऑफ इंडिया, टी बोर्ड भारत एवं यूएस टी एसोशिएशन का संयुक्त उद्यम था।

11-14 सितम्बर, 2017 को वर्ल्ड फूड मॉस्को में भारतीय चाय सैंपलिंग सत्र एवं प्रस्तुतिकरण के दौरान टी बोर्ड की सहभागिता।

1-3 नवम्बर, 2017 वर्ल्ड फूड कजाख अल्माटी में टी बोर्ड की सहभागिता।

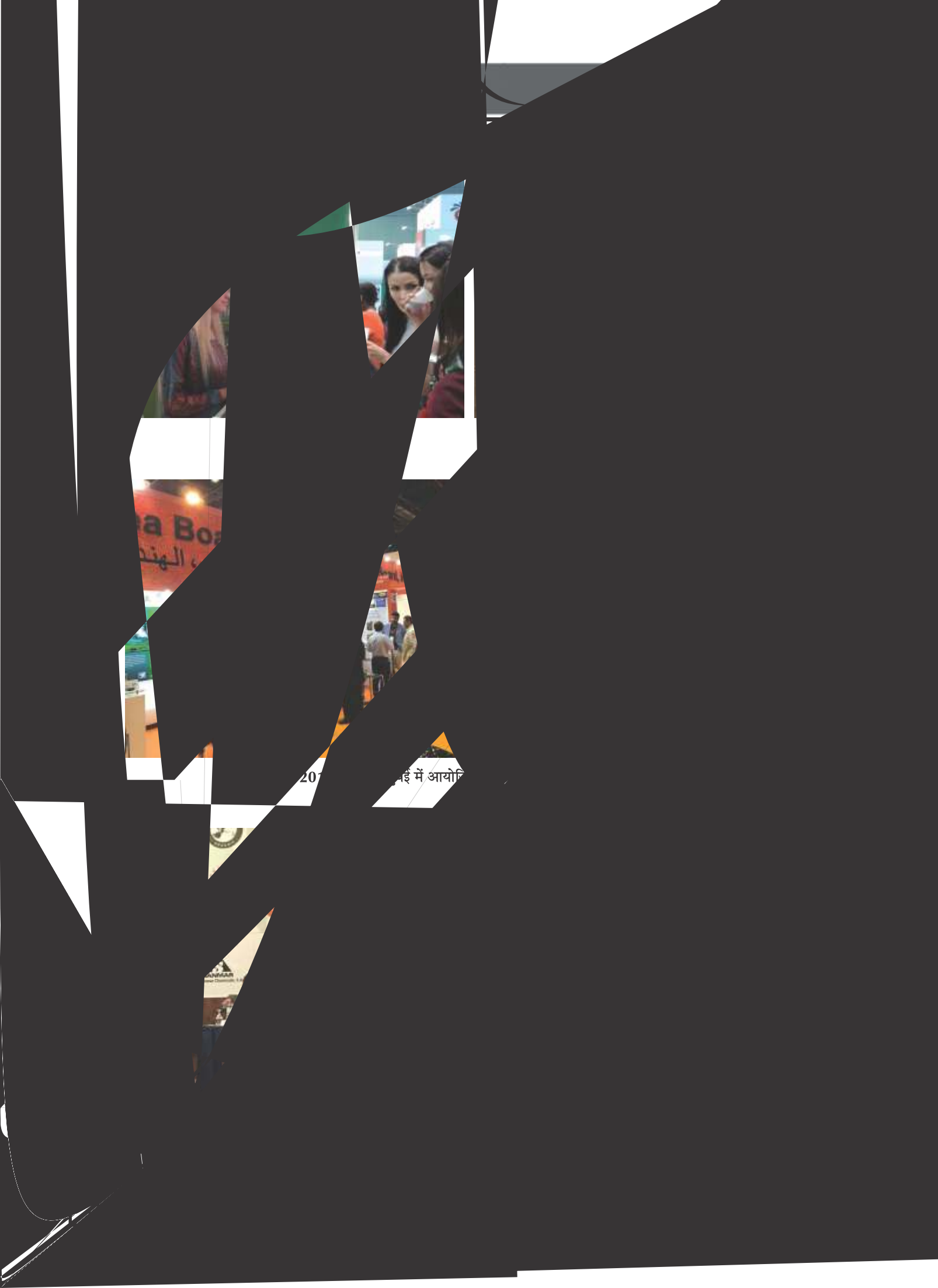

3-6 मार्च, 2018 भारतीय चाय प्रतिनिधिमंडल का ईरान दौरा।

7-24 फरवरी, 2018 सऊदी अरब, रियाद के जनाद्रिया उत्सव में टी बोर्ड की सहभागिता।

6-9 मार्च, 2018 को फूडेक्स जापान में टी बोर्ड की सहभागिता।

अध्याय 7

अनुज्ञापन

7.1 परिचय :

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले विविध सांविधिक एवं विनियमन आदेशों के क्रियान्वयन हेतु लाइसेन्स शाखा बोर्ड का एक महत्वपूर्ण विभाग है। लाइसेन्स शाखा विविध लाइसेन्स संबंधी कार्यकलाप संचालित करता है, जिसमें हितधारकों को चाय व्यापार करने हेतु विविध लाइसेन्स जारी करने के साथ-साथ अन्य कार्यकलापों जैसे कि विनियमन नीतियों का निर्माण, विद्यमान नियंत्रण आदेश में संशोधन, लाइसेन्स जारी करने हेतु दिशा-निर्देशों की तैयारी, हितधारकों के विभिन्न कार्यकलापों की निगरानी तथा विनियमन हेतु केंद्र सरकार तथा टी बोर्ड द्वारा समय - समय पर द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न निर्देशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिशित करना शामिल हैं। यह विभाग नीलामी प्रक्रिया, आयात व निर्यात इत्यादि की निगरानी हेतु भी उत्तरदायी है, जो चाय व्यापार में महत्वपूर्ण होता है।

7.2 विनियामक प्रावधान

चाय अधिनियम के धारा 30 के उपधारा (3) एवं (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हेतु निम्नलिखित सांविधिक प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी थी, जो सम्पूर्ण लाइसेन्स एवं विनियामक गतिविधियों को संचालित करती है :—

1. **चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003**
2. **चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005**
3. **चाय अवशेष (नियंत्रण) आदेश, 1959**
4. **चाय गोदाम (लाइसेन्स देना) आदेश, 1989**

7.2.1 लाइसेन्स की प्रकृति / प्रकार :

A) विनियामक प्रावधानों के तहत जारी की जाने वाली विभिन्न प्रकार के **उपरोक्त वर्णित लाइसेन्स** नीचे दी गयी है :—

क्र. सं.	नियंत्रण आदेश	लाइसेन्स / पंजीकरण, जिसे जारी किया जाता है	वैधता	लाइसेन्स / पंजीकरण / प्रमाणपत्र शुल्क (रु.)
1	चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003	विनिर्मान इकाईयों को अनापत्ति प्रमाणपत्र	12 महीना	शून्य
		विनिर्मान इकाइयों का पंजीकरण	आजीवन	2500
		क्रेता का पंजीकरण	आजीवन	2500
		ब्रोकर लाइसेन्स	प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में नवीकरण योग्य	नए - 2500 नवीकरण -500
		नीलामी आयोजक लाइसेन्स	प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में नवीकरण योग्य	नए - 2500 नवीकरण -500
		मिनी चाय फैक्ट्री को प्रमाणपत्र	आजीवन	1000

क्र. सं.	नियंत्रण आदेश	लाइसेन्स / पंजीकरण, जिसे जारी किया जाता है	वैधता	लाइसेन्स / पंजीकरण / प्रमाणपत्र शुल्क (रु.)		
4	चाय अधिनियम	पंजीकृत टी इस्टेटों एवं फैक्ट्रियों के स्वामित्व में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग	आजीवन		6, सितंबर, 2017 से पहले	6, सितंबर, 2017 के बाद
				इस्टेट	10000	57500
				फैक्ट्री	10000	1,16,000

7.2.2 जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निर्मित राजस्वों की मात्रा सहित पूरे देश भर में जारी किए गए लाइसेसों की कुल संख्या को नीचे के तालिका में दिया गया है :

क्र. सं.	नियंत्रण आदेश	लाइसेन्स / पंजीकरण,	जारी किए गए लाइसेन्स लाइसेन्स / पंजीकरण / प्रमाणपत्र की संख्या	संगृहीत राजस्व (रु.)
1	चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003	विनिर्मान इकाइयों को अनापत्ति प्रमाणपत्र	30	.....
		विनिर्मान इकाईयों का पंजीकरण	54	1,35,000
		क्रेता का पंजीकरण	318	7,95,000
		ब्रोकर लाइसेन्स	20	10,000
		नीलामी आयोजक लाइसेन्स	9	4500
		मिनी चाय फैक्ट्री को प्रमाणपत्र	7	7000
2	चाय वितरण (नियंत्रण) आदेश, 2005	निर्यातक लाइसेन्स	368(300 नए एवं 68 नवीकरण)	3,68,000 (3,00,000 नये एवं 68,000 नवीकरण)
		स्थायी निर्यातक लाईसेन्स	2	5000
		वितरक लाइसेन्स	16	40,000
		प्रयोगशालाओं का सूचीयन	4 (6 सितंबर 2017 के पश्चात ही नए जारी किए गए हैं)	4,28,000
3	चाय अवशेष (नियंत्रण) आदेश, 1959	चाय अवशेष लाइसेन्स	847 (114 नए एवं 733 नवीकरण)	48,050 (11,400 नए हेतु एवं 36,650 for नवीकरण हेतु)
4	चाय भंडारण (लाइसेन्स) आदेश, 1989	चाय गोदाम लाइसेन्स	186 (60 नए एवं 126 नवीकरण)	85,200 (60,000 नए हेतु एवं 25,200 नवीकरण हेतु

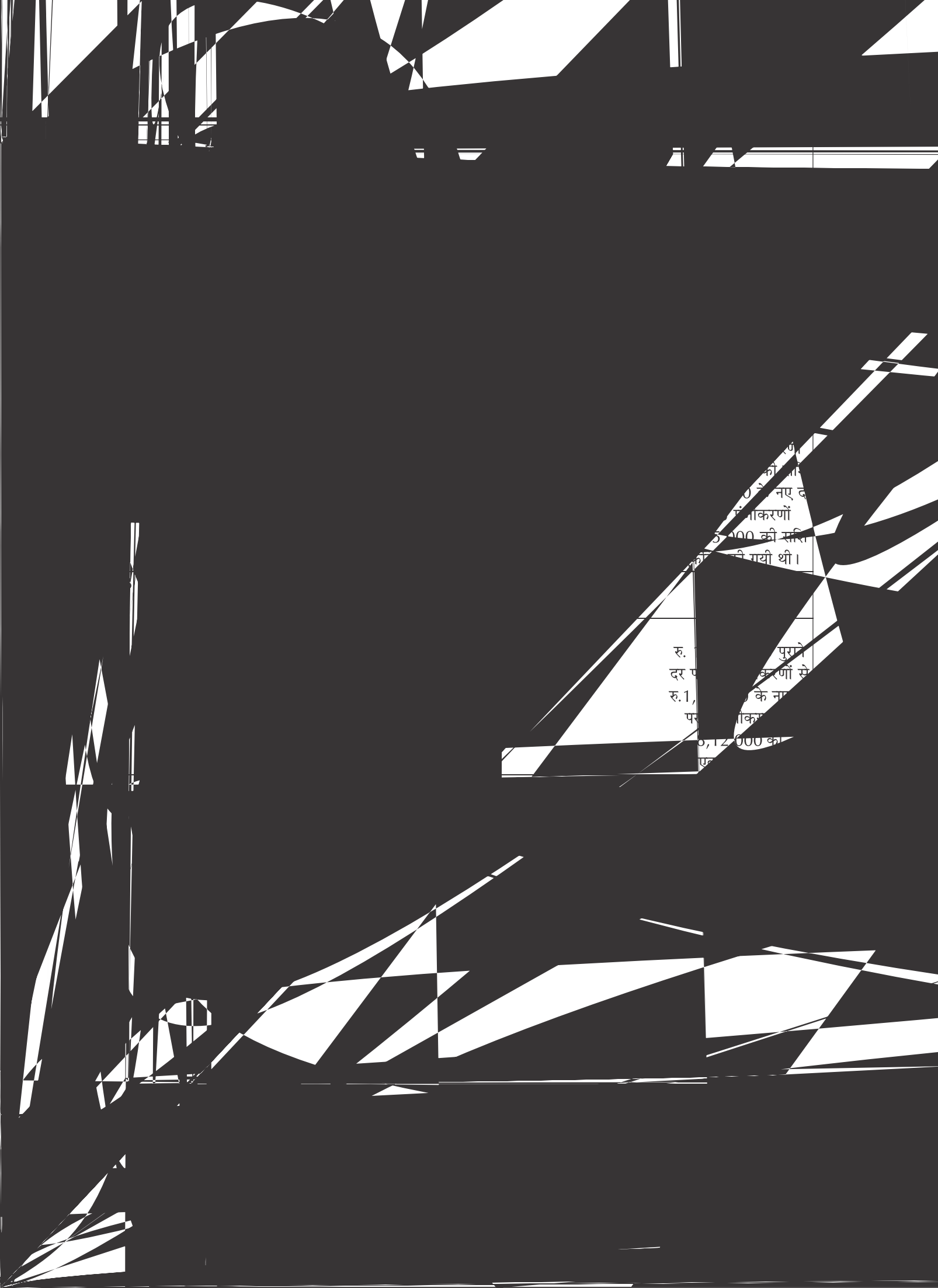

देश में कुल 7 पंजीकृत नीलामी केंद्र है, जैसे - कोलकाता, सिलिगुड़ी, गुवाहाटी, जलपाईगुड़ी, कुनूर, कोचीन एवं कोयम्बटूर हैं, जहाँ नीलामी प्रक्रिया फिलहाल टी बोर्ड के पंजीकृत हितधारक होते हैं।

2009 से 7 नीलामी केंद्रों में चाय नीलामी इलेक्ट्रॉनिक रुप से की जा रही है। हालांकि, सभी केंद्रों की नीलामी प्रक्रिया में समानता लाने के साथ-साथ शुरु से अंत तक एकीकृत नीलामी प्रणाली स्थापित करने हेतु टी बोर्ड ने नीलामी प्रक्रिया में बेहतर पद्धति के साथ क्रेताओं की बढ़ती हुई भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु 2016 से अखिल भारतीय नीलामी प्रणाली आरंभ किया है।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान अखिल भारतीय मॉड्यूल के तहत ई-नीलामी के माध्यम से खरीदे गए एवं विक्रय किए गए चाय की मात्रा निम्नलिखित है :

नीलामी केन्द्र	अप्रैल 2016 से मार्च 2017		अप्रैल 2017 से मार्च 2018	
	परिमाण (मिलियन कि.ग्रा.)	कीमत (रु/कि.ग्रा.)	परिमाण (मिलियन कि.ग्रा.)	कीमत (रु/कि.ग्रा.)
कोलकाता लीफ	117.65	157.70	116.72	161.63
कोलकाता डस्ट	41.99	148.05	38.82	160.22
कुल कोलकाता	**159.64**	**155.17**	**155.54**	**161.28**
गुवाहाटी लीफ	105.78	132.30	115.24	137.13
गुवाहाटी डस्ट	46.17	139.78	46.71	153.11
कुल गुवाहाटी	**151.95**	**134.58**	**161.95**	**141.74**
सिलीगूड़ी लीफ	104.87	128.31	120.33	126.63
सिलीगूड़ी डस्ट	14.11	124.71	15.21	129.46
कुल सिलीगूड़ी	**118.98**	**127.88**	**135.54**	**126.95**
कोचीन लीफ	7.78	132.08	8.78	128.31
कोचीन डस्ट	37.93	116.97	40.51	114.25
कुल कोचीन	**45.71**	**119.54**	**49.29**	**116.75**
कुन्नूर लीफ	33.24	98.15	41.77	79.08
कुन्नूर डस्ट	16.45	102.40	20.49	87.04
कुल कुन्नूर	**49.69**	**99.56**	**62.26**	**81.70**
कोयंबटूर लीफ	5.23	97.67	4.65	85.51
कोयंबटूर डस्ट	10.37	104.46	9.95	95.28
कुल कोयंबटुर	**15.60**	**102.19**	**14.60**	**92.17**
समग्र कुल	**541.57**	**133.76**	**579.17**	**133.69**

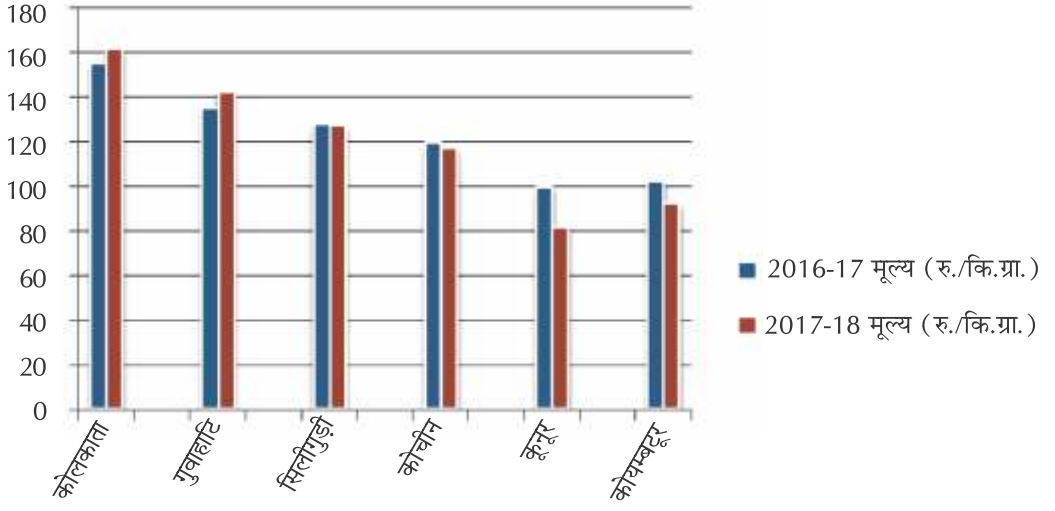

ii. पोस्ट सेटलमेंट मॉड्यूल का कार्यान्वयन :

हालांकि अखिल भारतीय प्रणाली का पहला चरण 2016 में कार्यान्वित की गयी थी , दूसरा चरण अर्थात पोस्ट सेटलमेंट मॉड्यूल

अध्याय - 9

श्रम कल्याण

1. परिचय :

बेहतर कार्य परिस्थितियों को सुरक्षित करने एवं श्रमिकों तथा उनके आश्रितों हेतु सुविधाओं और प्रोत्साहनों में सुधार हेतु कल्याणकारी उपायों को सहारा देना यथा संशोधित चाय अधिनियम, 1953 के अनुसार टी बोर्ड के प्रमुख उद्देश्यों और कार्यों में से एक है। यद्यपि बागान श्रमिक का विनियमन एवं कल्याण बागान श्रमिक अधिनियम के तहत आता है तथा यह राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित होती है, तथापि बोर्ड द्वारा संचालित किए जा रहे कल्याणकारी उपाय अनुपूरक मूलक होती हैं एवं इसके तहत सामान्य कल्याणकारी उपाय आते हैं। श्रमिक कल्याणकारी उपाय बोर्ड के समग्र 12 वीं योजना के चाय विकास व संवर्धन स्कीम के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) योजना के तहत संचालित किये गए थे। चाय बोर्ड की कल्याणकारी योजनाएं लिंग तटस्थ हैं।

II. श्रमिक कल्याण समिति :

बोर्ड की श्रमिक कल्याण समिति अपनी क्षमता के अनुसार सलाहकारी निकाय के रूप में मार्गदर्शन करती है। श्रमिक कल्याण समिति विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु बोर्ड को सहायता प्रदान करती है, जिसका गठन रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित सदस्यों को लेकर हुआ है :

1. उपाध्यक्ष, टी बोर्ड, समिति के पदेन अध्यक्ष
2. श्री तपन सेन, माननीय संसद सदस्य, सदस्य
3. श्री एमपी भार्गवन नायर, सदस्य
4. श्री दिनेश्वर ताशा, सदस्य
5. श्री सुनील किरवई, सदस्य
6. श्री एस रमेश, सदस्य
7. श्रीमती चंद्रमा स्वर्णकर, सदस्य
8. श्री बीके कुमारन, सदस्य
9. श्री अश्विन शेट्टी, सदस्य

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्रमिक कल्याण समिति ने निम्नलिखित तिथियों पर बैठक की:

बैठख संख्या	बैठक की तिथि	स्थान
बोर्ड की 232वीं	19 जून, 2017	नई दिल्ली
बोर्ड की 233वी	18 सितंबर, 2017	कोलकाता
बोर्ड की 234वी	05 डिसंबर, 2017	कोलकाता
बोर्ड की 235वी	24 मार्च, 2018	कोलकाता

III. एचआरडी कॉम्पोनेंट :

योजना का उद्धेश्य चाय बागान श्रमिकों और उनके आश्रितों के जीवन एवं जीवन-निर्वाह की परिस्थितियों में निम्नलिखित तीन व्यापक क्षेत्रों के तहत सुधार हासिल करना था।

(A) श्रमिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार:

i) उपचार सुविधा बढ़ाने हेतु अस्पताल/चिकित्सा क्लीनिकॉ एवं गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में चिकित्सा उपकरणों, सहायक उपकरण तथा एम्बुलेंस की खरीद हेतु पूंजी अनुदान एवं श्रमीकों व उनके आश्रितों के लिए कुछ अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण :

टीबी, कैंसर, कुष्ठ, आँख, हृदय, किडनी, इत्यादि रोग के इलास के लिए विशिष्ट चिकित्सा सुविधा हेतु सहयोग स्वीकृत की गयी थी, जो चाय बागान के अस्पताल में श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए उपलब्ध नहीं है; विशिष्ट इलाज हेतु आवश्यक चिकित्सा उपकरण जैसे कि एक्स-रे संयंत्र, शल्य चिकित्सा उपकरण, एंबुलेंस इत्यादि की खरीद हेतु अनुदान भी स्वीकृत की गयी थी; कुछ विशेष मामलों जैसे कि चाय बागान के इलाज हेतु अस्पताल में बेड के रख-रखाव हेतु आवर्ती अनुदान का भी प्रावधान था।

iv) **स्कूल / कॉलेज / छात्रावास भवन निर्माण हेतु पूंजिगत अनुदान के तहर XI वीं योजना के प्रतिबद्ध मामलें:**

XI वीं योजना के प्रतिबद्ध एवं अवशिष्ट अदायगी जैसे के निपटान हेतु प्रावधान था।

v) **भारत स्काउट्स एवं गाइड्स हेतु वित्तीय सहायता :**

भारत स्काउट्स एवं **गाइट्स** हेतु वित्तीय सहायता योजना के तरह बोर्ड का अनुदान जिलों के स्काउट्स / गाइड आयोजकों के पदों के रख-रखाव हेतु वेतन और भत्ते के भुगतान के लिए कवर किया गया है; प्रशिक्षण शिविर शुल्क की प्रतिपूर्ति; रैलियों, रैली-सह-शिविर, समारोह इत्यादि आयोजित करने हेतु भुगतान तथा चाय बागान के स्काउट्स / गाइड इत्यादि के लिए वर्दी की खरीद के लिए मैच अनुदान।

अनुदान राशि : (a) पूर्णकालिक जिला स्काउट्स / गाइड्स आयोजक हेतु मासिक वेतन 5000/- था एवं परिवहन भत्ता का दर 1500/- प्रति महिना की एक समान दर पर निश्चित किया गया था।

प्रशिक्षण शिविर : भोजन एवं टिफिन शुल्क हेतु रु.100/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन; प्रासंगिक शुल्क हेतु रु. 100/- प्रति उम्मीदवार प्रति प्रशिक्षण।

वार्षिक जिला रैली : भोजन एवं टिफिन शुल्क हेतु रु.100/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन से आधिक नहीं; प्रासंगिक शुल्क हेतु रु.1000/-।

राज्य रैली / शिविर : भोजन एवं टिफिन शुल्क हेतु रु.100/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन।

राष्ट्रीय समारोह : भोजन एवं टिफिन शुल्क हेतु रु.100/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन।

वर्दी अनुदान : रु. 200/- प्रति उम्मीदवार प्रति वर्ष।

(C)

तालिका-1

घटक-मानव संसाधन विकास

2017-18 के दौरान राज्यवार वित्तीय भुगतान एवं वास्तविक
(12 वीं योजना दिशानिर्देशें के अनुसार)

		स्वास्थ्य			शिक्षा				प्रशिक्षण		अन्य	
राज्य	गतिविधि	चिकित्सा उपकरणों की खरीद	सहायता उपकरणों हेतु विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता (व्यक्ति की संख्या)	कैंसर के लिए वित्तीय सहायता / हृदय रोगी (संख्या)	छात्रवृत्ति (संख्या)	नेहरू पुरस्कार (संख्या)	प्राकृतिक आपदा प्रभावित बंद / बगान हेतु पुस्तक एवं स्कूल यूनिफ़ोर्म अनुदान	भारत स्काउट्स एवं गाइड्स-प्रशिक्षण / शिविर रैली, समारोह / मुक़ाबला शिविरों संख्या की छात्र और लाभार्थियों (संख्या की)	व्यावसायिक प्रशिक्षण के छात्रों (पाठ्यक्रमों एवं छात्र लाभार्थियों की संख्या)	ग्यारहवीं योजना पूंजीगत अनुदान / स्कूल-(कॉलेज संख्या)	अन्य प्रशासनिक व्यय	कुल
असम	राशि (लाख)	-	-	0.64	95.88	8.69	-	-	15.35	11.65	-	**132.21**
	वास्तविक	-	-	-	1,567	198	-	-	7 246	5	-	-
त्रिपुरा	राशि (लाख)	-	-	-	1.35	0.42	-	0.40	-	-	-	**2.17**
	वास्तविक	-	-	-	19	10	-	1 28	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	राशि (लाख)	21.51	-	-	98.26	2.39	12.57	0.92	-	-	6.70	142.35
	वास्तविक	34	-	-	1,098	52	419	227 2743	-	-	-	-
तमिलनाडु	राशि (लाख)	-	0.04	-	115.28	1.14	-	1.50	-	-	-	**117.96**
	वास्तविक	-	1	-	468	24	-	25 -	-	-	-	-
केरल	राशि (लाख)	-	0.53	-	130.50	1.02	-	-	-	-	-	**132.05**
	वास्तविक	-	3	-	548	23	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	राशि (लाख)	-	-	-	1.46	-	-	-	-	-	-	**1.46**
	वास्तविक	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
उत्तराखंड	राशि (लाख)	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	**0.40**
	वास्तविक	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	राशि (लाख)	-	-	-	0.26	0.00	-	-	-	-	-	**0.26**
	वास्तविक	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
सम्पूर्ण भारत	**राशि (लाख)**	**21.51**	**0.57**	**0.64**	**442.99**	**14.06**	**12.57**	**2.82**	**15.35**	**11.65**	**6.70**	**522.16**
	वास्तविक	**34**	**4**	**1**	**3714**	**316**	**419**	**253 9958**	**7 246**	**5**	-	-

10.09 टॉलिक की गतिविधियों में सहभागिता

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता (नराकास) की गतिविधियों में बोर्ड सक्रिय रूप से भाग लिया।

10.10 बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ऑलिक) की वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में बैठके आयोजित हुई तथा बहुत ही उपयोगी निर्णय लिए गए।

10.11 कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी प्रयोग हेतु प्रोत्साहन योजना

बोर्ड ने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रोत्साहन योजना को प्रचारित किया जिसका उद्देश्य हिन्दी की कामकाज में गति लाना था। अधिकारी एवं कर्मचारियों ने इसका लाभ लिया। कुछेक कर्मचारियों ने इस योजना में हिस्सा लिया एवं उन्हें पुरस्कृत किया गया।

10.12 संघ की राजभाषा में कार्य करने हेतु वार्षिक कार्यक्रम

वर्ष 1967 में संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह निर्देश दिया गया था कि भारत सरकार एवं अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार कर कार्यान्वित करेगी जिससे हिन्दी के प्रसार एवं विकास को गति मिले। वर्ष 2017-18 का कार्यक्रम इसी क्रम

अध्याय 11

सतर्कता प्रकोष्ठ

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में टी बोर्ड के सचिव को नियुक्त किया गया है। सतर्कता प्रकोष्ठ के सामग्रिक कार्यकलापों को मुख्य सतर्कता अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन किया जा रहा है। उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सतर्कता प्रकोष्ठ के कुल दो कार्याधिकारी हैं।

सतर्कता प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य है सरकार/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित करना, चिसे नियमित रूप से अनुपालिन किया जाता है। सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा विधिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के साथ-साथ सरकार को मासिक व तिमाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत की चाती है। मुख्य सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशानुसार बोर्ड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के सलाह पर निविदा और निवारक सतर्कता इत्यादि संबंधी सभी पहलुओं का अनुसरण बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड के विधि अधिकारी ही सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। सतर्कता प्रकोष्ठ का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार बोर्ड में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना है, जिसमें चाय बोर्ड के सभी कार्याधिकारियों को चाय बोर्ड की बुनियादी सतर्कता मिशन की तरक ध्यान आकर्षित करने हुए दक्षता एवं पारदर्शिता रूपी शपथ-संदेश के माध्यम से उन्हें शपथ दिलायी जाती है। वर्ष के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ को एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, एवं आज की तिथि तक एक भी सतर्कता मामले लंबित नहीं हैं।

OFFICE USE ONLY

TEA BOARD INDIA
64th ANNUAL REPORT 2017-18

14, B.T.M. SARANI
KOLKATA - 700 001

PRINTED AT
SARASWATY PRESS LTD.
(GOVERNMENT OF WEST BENGAL ENTERPRISE)
KOLKATA - 700 056

INDEX

64th ANNUAL REPORT OF THE BOARD : 2017-18

Chapter No.	Subject	Page No
Chapter 1	Organisational Set-up & Functions	1 - 11
Chapter 2	India Tea in the International Perspective	12 - 15
Chapter 3	Finance	16 - 18
Chapter 4	Tea Development	19 - 30
Chapter 5	Tea Research	31 - 36
Chapter 6	Tea Promotion	37 - 53
Chapter 7	Licensing	54 - 59
Chapter 8	Statistics	60 - 61
Chapter 9	Labour Welfare	62 - 65
Chapter 10	Hindi Cell	66 - 67
Chapter 11	Vigilance Cell	68
Chapter 12	Legal Cell & RTI	69

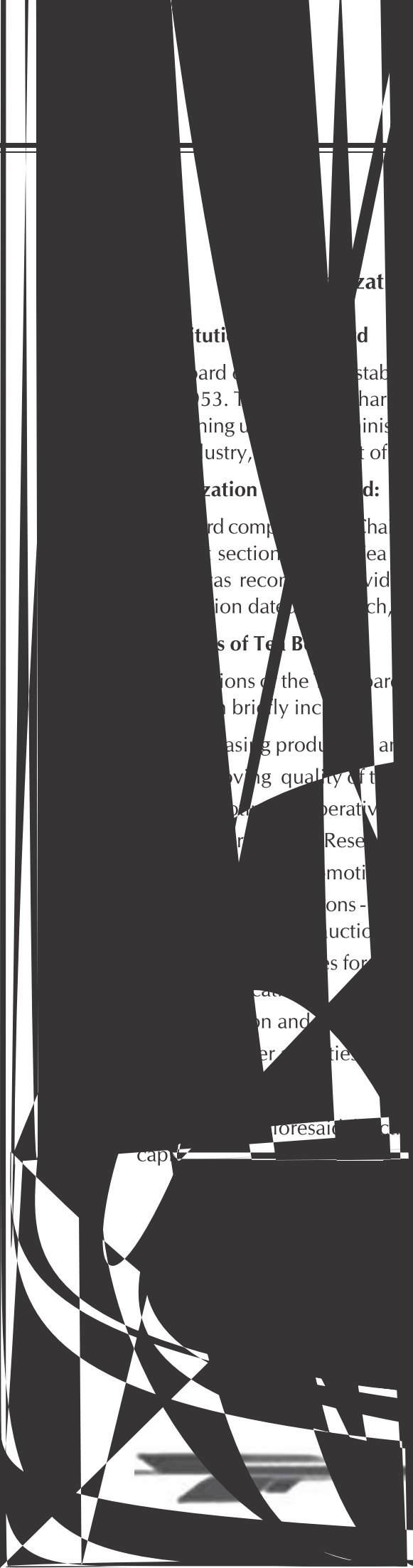

Taxation Laws (Amendment) Act, 2017 (No 18 of 2017) published in Part II Section I of official gazette of India.

Administrative Set-up:

As per Rule 3 of the Tea Rules, 1954, the Head Office of the Board is located in Kolkata, West Bengal and it is headed by Chairman and being assisted by Deputy Chairman in Kolkata. Two Executive Directors are stationed at Guwahati (Assam) and Coonoor (Tamil Nadu). The Board has twenty six (26) offices within India and one (1) abroad i.e. Moscow

ADMINISTRATIVE SETUP OF TEA BOARD

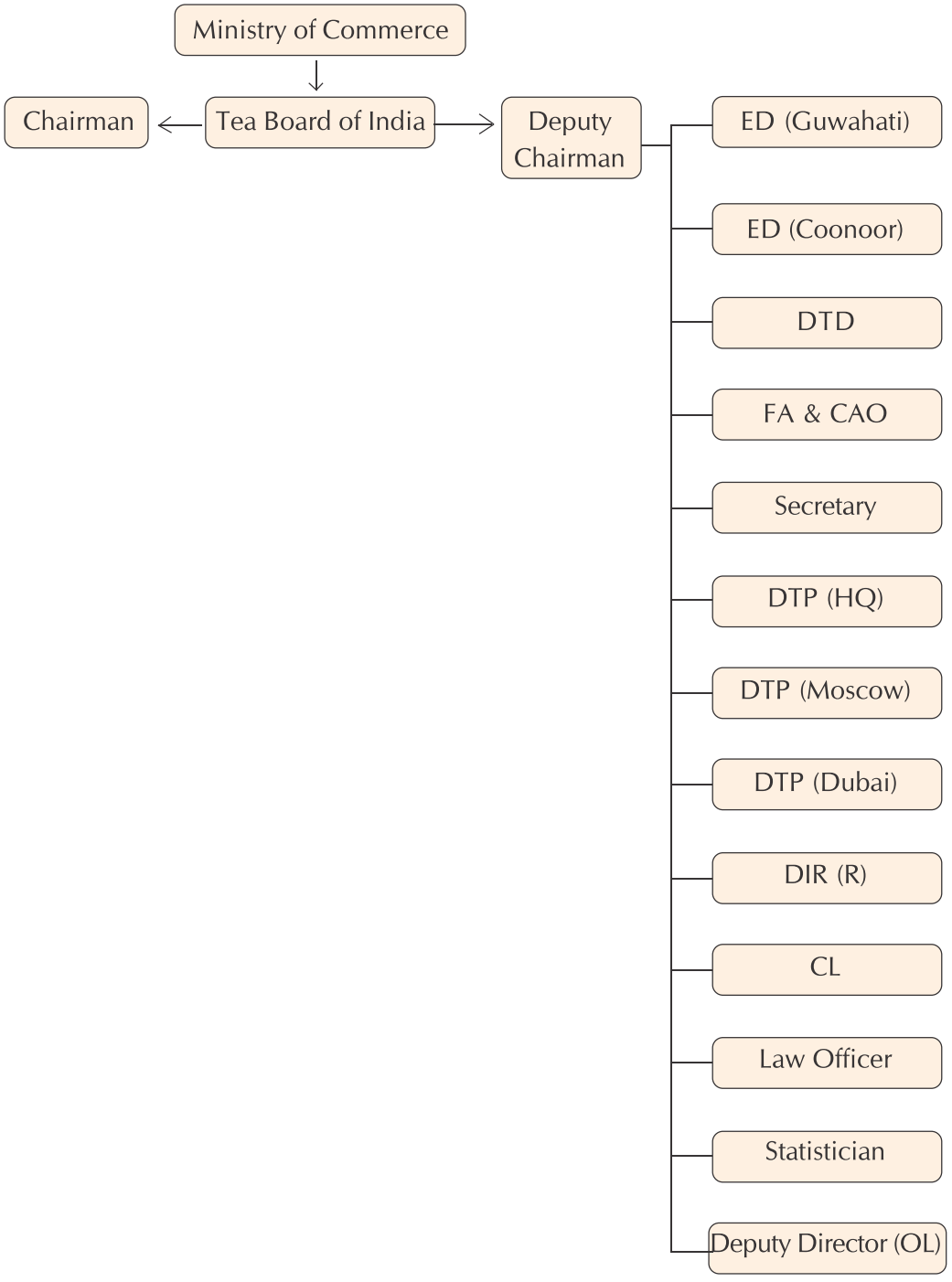

Retirement Chart of Tea Board (Next five Years)

Year	Gr. A	Gr. B	Gr. C	Total
2018	0	8	14	22
2019	2	7	5	14
2020	1	7	14	22
2021	0	6	8	14
2022	3	4	14	21

Changes in Man power of the Board during the year under review:

Promotions:

- As part of the austerity measures for effective economy in administrative expenditure, the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, the controlling ministry of the Tea Board vide letter dated 22.02.2017 had advised not to undertake any fresh recruitment and promotion without express approval of the Department for which there has been no promotion given in the year 2017-18.

Additional responsibilities:

- Shri Santosh Kumar Sarangi, IAS (OR: 94), Joint Secretary, Department of Commerce continued to hold additional charge of Deputy Chairman, Tea Board for the period 17.05.2017 to 16.08.2017.
- Shri S. Soundararajan, D.T.D. took additional responsibility of Secretary, Tea Board w.e.f. 24.05.2017.
- Shri Sanjio Kumar, IFS (1997), Executive Director, Tea Board, Guwahati took additional responsibility of F.A. & C.A.O. w.e.f. 07.06.2017.
- Shri Shyamal Misra, IAS (HY: 96), Joint Secretary, Department of Commerce took additional charge of Deputy Chairman, Tea Board for a period of six months w.e.f. 11.08.2017.
- Shri Shyamal Misra, IAS (HY: 96), Joint Secretary, Department of Commerce continued to hold additional charge of Deputy Chairman, Tea Board for period of three months w.e.f. 11.02.2018.

Resignation and relinquishments:

- Shri Amiya Kr. Das, IOFS (1998) was relieved of his duty as F.A. & C.A.O. w.e.f. 24.05.2017.
- Shri Ujjawal Kr. Jha, F.A.O. resigned from service of Board on 31.05.2017.
- Shri Satrajit Banerjee, D.D.T.P. resigned from service of Board on 29.08.2017.
- Three (03) other official resigned from their duty during the year under report

Appointments:

- Shri Prabhat Kamal Bezbaruah took charge of Chairman, Tea Board w.e.f. 12.05.2017.

Superannuation:

- Smt. Samata Saha, Section Officer, took voluntary retirement on 31.05.2017.
- Shri Prabir Ranjan Das, Labour Welfare Officer took voluntary retirement on 02.08.2017.

Annexure-I

Addresses of Tea Board Offices in India and Abroad:

West Bengal

Tea Board
14, BTM Sarani,
Kolkata - 700 001.
Tel. :033-22351331/Fax: 033-2221-5715
E-mail : secyteaboard@gmail.com
Website : www.teaboard.gov.in

BIRPARA
Tea Board, Usha Complex,
M.G . Road, Alipurduar,
W.B. 735204
Ph-03563-266542
Email: teaboardbirpara@gmail.com

Tea Board Regional Office, Darjeeling,
146-A, Marry Villa, Hill Cart Road, PO. &
Dist - Darjeeling,
West Bengal,
PIN - 734101.
Email: teaboarddarjeeling@gmail.com

Tea Board,
Power House Para,
Opposite to Main Bus Terminus,
PO Islampur, Dist. Uttar Dinajpur,
W.B. 733202
Email: teaboardislampur@gmail.com

Tea Board, Regional Office, "MALAYALAY",
439/310/c, Ward No. 3,
Jalpaiguri Municipality,
Hakimpara, P.O. & Dist. Jalpaiguri - 735101
Telefax: 03561-226146
Email: teaboardjal@gmail.com

Tea Board
Sahid Bhagat Singh Commercial Complex,
(3rd floor),
2nd Mile, Sevoke Road,

Tea Board,
17/170, Ramchand Square,
Kotagiri-643217
Nilgiris, Tamilnadu
Tel: 04266-273316
Email: teaboardkotagiri@gmail.com

Tea Board
Indira Gandhi Road,
Willingdon Island,
Cochin - 682 003, Kerala
Tel: 0484-2666523/2340481/
Fax: 0484-2666648
E-mail: teaboardkochi@sancharnet.in

Tea Board, Regional Office,
511/1, Kallolickal Building, Peermade Post,
Idukki Dt., Kumily,
Idukki District, Kerala-685 509
Tel: 04869-222628
Email: teaboard.kumily@gmail.com

Tea Nook, Near C.R.O.(G) Office,
(opposite to Railway Reservation Counter),
Tirumala- 517 504, Andhra Pradesh

Tea Board Regional Office,
139, Eldams Road,
Teynampet (2nd floor),
Chennai - 600 002, Tamil Nadu.
2. Tea Room, Tea Board Chenai Secretariat,
Shop No. 3, 4th St. George, Chennai-600 009
TEL: 044-24342754/Fax: 044-24341650
E-mail: teaboardchennai@sancharnet.in

Assam, Tripura, Arunachal Pradesh, Mizoram and Meghalaya

The Executive Director
Tea Board,
North Eastern Zonal Office,
Housefed Complex,
5th& 6th floor, Central Block,
Beltola-Basistha Road,
Dispur, Guwahati - 781006.
Ph: 0361-2234257/2234258/
Fax: 0361-2234251
Email: teaboardghy@hotmail.com

AGARTALA
Deputy Dir. of Tea Promotion
Tea Board, ITI Road, PO Indranagar,
via-Kunjaban, Agartala, Tripura-799006
Tel: 0381-2354639/Fax: 0381-2354182
Email: teaboard.agartala@gmail.com

Small Growers Development Directorate,
Dibrugarh
"VIJAY BHAWAN"
Amolapatty, P.O. : Dibrugarh,
Dist. : Dibrugarh, Assam - 786 001
TEL: (0373) 2324982/2328941/FAX : (0373) 2325506
E-mail: teaboardsgdd2017@gmail.com

Tea Board, Regional Office,
Club Road,
Silchar - 788 001,
Dist: Cachar, Assam.

New Delhi - 110 011
Telefax: 011-23074179
Mob: 09818007168
E-mail: nasstats@gmail.com,
daktboard@gmail.com

Tea Board Regional Office,
Kalu Di Hatti, Palampur, Kangra, HP
Tel-01894-238171/Fax-01894238178
E-mail: teaboardpalampur@gmail.com

Tea Board
Resham Bhavan,
78, Veer Nariman Road,
Mumbai - 400 020.
Tel: 022-22041699/Fax: 022-22041699
G.H. (Tel): 2367 5401
E-mail: mumteaboard@gmail.com

Russia

Tea Board of India, 4, VorontsovoPoyle Indian Embassy , Moscow Russian Federation
Tel/Fax +7 (495)916 3724, +7-495 783 7535
Ext 293 + 7(495)917 1657
Res+7(495)952 0524, Mob+0079653862273
E mail: teaboard@indianembassy.ru
dtp@indianembassy.ru

Annexure – II

Name of the Board Members

Sl. No	Name of the Member	Representation	The Gazette Notification
1	Chairman, Tea Board	Appointed under sub-rule (1) of rule 4	No.2383 dated 2nd November 2015F.No.T-49019/1/2013-Plant(A) dated 02/11/2015 S.O.2989 (E)
2	Additional Chief Secretary, Industries and Commerce Department, Government of Assam, Dispur	Representing the Government of the principal tea growing states appointed under clause (a) of sub rule (1) of rule 4	DO
3	Principal Secretary, Industries Department, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, Kerala	Representing the Government of the principal tea growing states appointed under clause (a) of sub rule (1) of rule 4	DO
4	Secretary, Department of Industries & Commerce, government of Tripura, Agartala, Tripura	Representing the Government of the principal tea growing states appointed under clause (a) of sub rule (1) of rule 4	No.2383 dated 2nd November 2015F.No.T-49019/1/2013-Plant (A) dated 02/11/2015 S.O.2989 (E)

Sl. No	Nar e of the Mer		
5	Secretary, I icro, Small a Enterprises Department, of Tamil N lu, secretari TN		
			DO
			DO
			DO
			DO
			No.6941 dated 8th March 2017 F. No.T-49019/1/ 2013-Plant (A) dated 07/03/2018 S.O.771 (E)

Sl. No	Name of the Member	Representation	The Gazette Notification
16	Shri B.Kumaran, 6/415, Honnathali, Billicombi, The Nilgiris 643 214, tamil Nadu	representing owner of the tea estate and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4	
17	Shri BinodHazarika,House No.13, Old MLA Hostel, Dispur, Guwahati, Assam 781 006	representing owner of the tea estate and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4	
18	Vacant	representing owner of the tea estate and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4	
19	Shri Dineshwar Tasha,Garamur Dulia Gaon, PO Jorhat Engineering		

Sl. No	Name of the Member	Representation	The Gazette Notification
24	Shri N.K.Krishnamoorthy, Managing partner, Admin Office, nankemp Tea Industry, Nankemp Hospital Premise, Coonoor 643101	Representing dealers including both exporters and internal traders of tea under clause (e) of sub rule (1) of rule 4	DO
25	Smt. Nabanita handique, C/o Handique Tea pvt. Ltd., PO. Sapekhati, dist, Sivasagar, Assam 785692	Representing dealers including both exporters and internal traders of tea under clause (e) of sub rule (1) of rule 4	DO
26*	–	–	No.2383 dated 2nd November 2015F.No.T-49019/1/2013-Plant (A) dated 02/11/2015 S.O.2989 (E)
27	Vacant	Representing manufacturer of tea under clause (f) of sub rule (1) of rule 4	DO
28	Shri Dilip Moran, Shankardevnagor, PO Doomdooma, Tinsukia, assam	Representing consumers of tea under clause (g) of sub rule (1) of rule 4	DO
29	Shri Sunil Kirwai, Bhartiya mazdoor sangh Karyalay, H.No.136/B,Water Work Colony, Near Fire Service Station, Pandu, P.O Rest camp, Kamrup 781 012, Assam	Representing consumers of tea under clause (g) of sub rule (1) of rule 4	DO
30	Shri M.P.Bhargavan Nair, Sathgamaya, CMC -23, Cherhala PO, Alappuzha, Pin 688524, Kerala	Representing other interests under clause (h) of sub rule (1) of rule 4	DO
31	Mrs. Diki Tashi Wangchuk, Tashi Utpal, Below Tatong Government School, Tatong, PO Daragaon, Gangtok 737102, Sikkim	Representing other interests under clause (h) of sub rule (1) of rule 4 Ex-Officio	DO DO

CHAPTER-2

BROAD OVER VIEW OF THE GLOBAL AND INDIAN TEA SCENARIOS

Global Tea Scenario

More than 36 countries spread over all the continents except North America with wide range of agro-climatic conditions between Georgia and Argentina grow tea. The global tea production and consumption during 2017 was 5812 million kg and around 5571 million kg respectively. Total exports from the producing countries during 2017 added upto 1796 million kg. Major tea producing and exporting countries are China, India, Kenya and Sri Lanka and they account for 76% and 73% of world production and exports respectively. (Table-1)

Table-1

Production and Export share of major producing and exporting countries during 2017

Country	Production		Export	
	Million Kg	Global share	Million Kg	Global share
China	2609	45	355	20
India	1322	23	252	14
Kenya	440	8	416	23
Sri Lanka	308			
Others	1133			
World Total	**5812**	**100**	**1796**	**100**

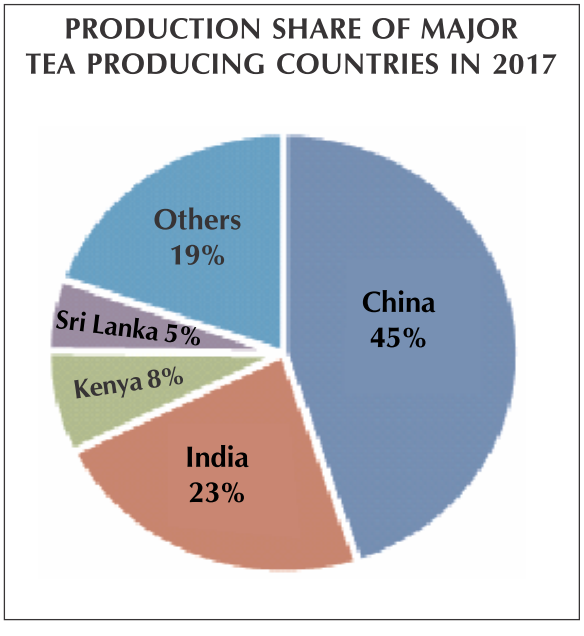

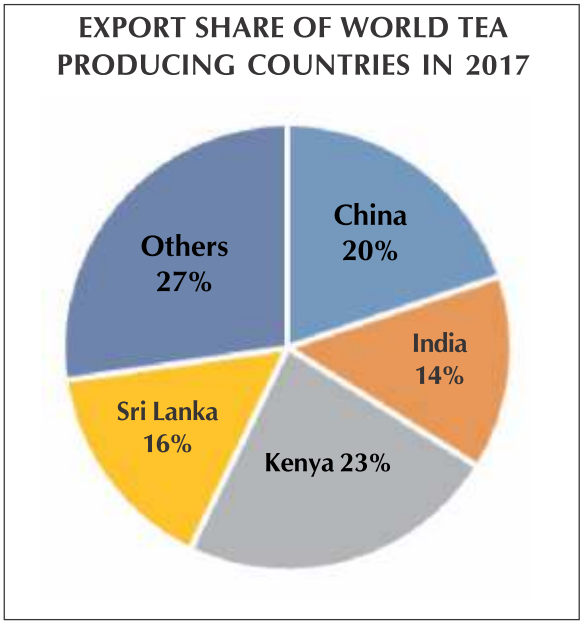

TABLE-2 : WORLD AUCTION PRICE OF TEA (IN US$/KG)

COUNTRY	2017	2016
India	2.04	2.00
Bangladesh	2.45	2.55
Sri Lanka	4.06	3.20
Indonesia	NA	1.56
Kenya	2.81	2.29
Limbe	1.84	1.55

The average per head consumption of tea varies widely from country to country. The consumption is highest in Turkey (3.20 kg), Libya (2.40 kgs), Afghanistan (2.20 kg) and around 2 Kgs in Morocco, United Kingdom, Ireland and Qatar. The consumption is around 1 kg in Hong Kong, Taiwan, Sri Lanka, China, Chile, UK and Egypt and while in India it is around 800 grams.

Even though per capita consumption of tea is lower in India as compared to other countries, due to its population the tea consumption in India accounts for 19% of the global consumption. Almost 76% of the total production is consumed within the country. This distinct position is in sharp contrast with other producing countries, particularly Kenya and Sri Lanka which hardly have any strong domestic demand and hence they are able to export most of their production.

The Global Tea situation in 2017

Production:

Total tea production during 2017 increased by 238 M.Kgs as compared to the year 2016. It may be seen from Table-3 that black tea production increased in India, Sri Lanka except Kenya. However, China, a leading green tea producer, has increased its production by 204 M.Kgs,.

Table-3: Tea production in major tea producing countries (MKgs)

Country	2017	2016	>/< over 2016
India	1322	1267	55
Sri Lanka	308	293	15
Kenya	440	473	-33
China	2609	2405	204
Others	1133	1136	-3
Total world Production	5		

Table-4: Exports of major producing countries (Million Kgs.)

Country	2017	2016	>/< over 2016
Kenya *	416	480	-64
China	355	329	26
Sri Lanka	278	281	-3
India	252	222	30
Others	495	491	4
Total world Exports	1796	1803	-7

Source; ITC Annual Bulletin of Statistics 2017 (except India)
* Kenya's export include the neighboring African countries produce

Tea Prices:

The international tea prices remained higher during 2017 except India and Bangladesh due to record crop in India and over stock in Bangladesh. Average auction prices in Colombo, Kenya and Chittagong were higher than the levels of 2016 (Table-5).

Table-5 : Tea prices during 2017 in respective currencies per kg

Auction Center		2017	2016	>over 2016
India		133.11	134.26	-1.15
North India				
Kolkata	Rs	160.26	162.09	-1.83
Guwahati	Rs	140.73	137.51	3.22
Siliguri	Rs	127.23	129.18	-1.95
South India				
Kochi	Rs	118.01	117.17	0.84
Coimbatore	Rs	94.75	99.25	-4.50
Coonoor	Rs	84.28	97.46	-13.18
Bangladesh				
Chittagong	Taka	198.74	200.03	-1.29
Sri Lanka				
Colombo	Sl.Rs	619.17	467.23	151.94
Kenya				
Mombasa	US $ c	281.00	229.00	52.00
Malawi				
Limbe	US $ c	183.89	155.28	28.61

(Source; ITC Annual Bulletin of Statistics 2017 except Indian auction)

Indian Tea Scenario

In India tea is cultivated in 15 states of which Assam, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala are the major tea growing states. They account for 98% of the total production. Other traditional states where tea is grown are Tripura, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar and Karnataka. The non-traditional states that have entered the tea map of India include Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Sikkim.

World's finest teas like Darjeeling, Assam, Nilgiris and Kangra which are famous for their delicate flavor, strength and brightness are produced in India. With diverse agro climatic conditions, India produces medley of teas suited to different tastes and preferences of consumers. The characteristics of each region are distinct, which sets them apart from one another in many different ways.

Production:

Year 2017-18, is **a record year of tea production** with an increase of 74.56 m.kg over 2016-17 due to better climatic conditions that prevailed in major tea growing areas both in North and South India.

Exports:

India registered the highest ever Tea exports during the year under review. It was higher by 29.46 M Kgs and 28.94 M Kgs in volume terms and Rs 519.48 Crs and Rs 432.38 Crs in value terms

CHAPTER-3

FINANCE

INTRODUCTION

Tea Board is funded through Grant-in-Aid by Govt. of India.Tea Board generates a meagre amount from Internal Extra Budgetory Resource (IEBR) through fees on licenses, interest on loan & advances and miscellaneous receipts such as sale of liquid tea,sale of green leaves, sale of application forms and other publications etc.

All funds available to the Tea Board are routed through the Annual Union Budget. Such funds are utilised by Tea Board as enshrined in Section 10 of the Tea Act subject to the delegation of financial powers of the Government.

CESS PROCEEDS

The collection of cess upto June, 2017 under review was Rs.1279.00 lakh as per receipt budget OfDepart. Of Revenue, Ministry of Finance.With the implementation of GST effective from July, 2017,cess on tea was repealed by a Gazette notification no.18 of 2017 dt.04.05.2017 issued as "The Taxation Laws (Amendment) Act, 2017. During the year 2017-18 an amount of Rs.6670.64 lakhs (excluding opening balance) was released by the Government towards proceeds of cess under section 26 of Tea Act,1953 as Non-Plan contribution to the Tea Board. There was an opening balance & closing balance of Rs. 0.58 lakh & Rs.1.23 lakh.

RESEARCH & DEVELOPMENT GRANTS

During the year 2017-18, a sum of Rs.2564.32 lakh was received from Government towards Research and Development Grants. There was an opening balance & closing balance of Rs. 2.00 lakh & Rs.5.00 lakh.

RESEARCH(ASIDE)

During the year no amount was received from Govt. under this head. However, there was an opening balance & closing balance of Rs. 46.00 lakh & Rs.91.00 lakh.

SUBSIDY

A sum of Rs. 9098.00lakh was received from Govt. towards subsidy during the year. There was an opening balance & closing balance of Rs. 45.00 lakh & Rs.51.55 lakh and other receipts of Rs.229.00 lakh.

SPECIAL PURPOSE TEA FUND - CAPITAL

During the year, no amount was received from Govt. towards SPTF Capital Contribution.

D. Payments - Research&Development Grants.

(Rs. in Lakh)

Grant in aid to TRA /UPASI	1355.40
Financial Support other than TRA/UPASI	51.22
Project Expenses (Kurseong-Integrated Tea Improvement Project)	27.57
Upgradation of DTR & DC	33.86
Workshop / Seminar etc.	9.97
Salary to Contractual Staff	4.98
QCL Siliguri Expenses	113.63
Assets Purchase	51.03
Evaluation & Monitoring	3.01
Coonoor Office Expenses	1.37
Other payments	743.37
Total	2395.41

E.PAYMENTS - SUBSIDY

(Rs. in lakh)

Plantation Subsidy Scheme	3257.00
Quality Up-gradation & product Diversification Scheme	690.00
Human Resource Development Scheme	522.00
Orthodox Tea Production Subsidy Scheme	1721.00
Market Promotion Scheme	1111.00
Scheduled Caste Sub Plan	264.00
Small Growers Development Scheme	1234.00
National Programme for Tea Regulation	492.00
TOTAL	9291.00

F. PAYMENTS – RESEARCH SCHEME (ASIDE)

(Rs. in Lakh)

Expenditure	150.36
TOTAL	150.36

G.PAYMENTS – L O A N SCHEME

(Rs. in lakh)

Revolving Corpus Fund For Loan Scheme	1781.17
SPTF	7157.55
TOTAL	8938.72

TOTAL PAYMENTS ON PLAN DURING THE YEAR2017-18 = (D + E + F) = Rs.11836.77 lakh

CHAPTER-4

TEA DEVELOPMENT

Introduction:

One of the primary functions of Tea Board is to bring about improvement in tea production, productivity, quality upgradation, value addition, change of product mix, capacity building of

units, warehouses, units dealing with value addition of tea such as blending, packing, tea bagging, flavour tea, setting up of specialty tea units/ orthodox or green tea manufacturing units, acquiring quality certification, organic tea production and production of orthodox/green tea

Small Growers Development – targeted towards enhancing the productivity, quality of small growers and to encourage formation of self help groups. Financial assistance has been provided for new planting, replanting, rejuvenation, irrigation, field mechanization, extension of common facilities to self help groups like leaf carrying trolley, godown, leaf shed, revolving corpus for purchase of field inputs etc., setting up of new factories by SHGs and Special package for Idukki District in Kerala, Non Traditional areas of

The distribution of irrigation equipments under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana was launched at the Jalpaiguri Tea Auction Centre, Jalpaiguri on 08.02.2018 in the presence of dignitaries.The PMKSY for tea has been implemented in the state of West Bengal, with the West Bengal State Watershed Development Agency (WBSWDA), as the Nodal Agency.

For enumeration of small tea growers, the transition of the cards with QR code from memory chips has been started in Assam along with transition towards online system of data capturing and entry.

Tea Board received first prize for the stall at International Agri Horti Show at Dibrugarh, Assam organized by Agriculture Department, Government of Assam.

Tea Board has targeted to conduct Recognition of Prior Learning Programme (Type-2) under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) during 2018-19 for 14700 number of workers employed in tea gardens in the States of Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Tripura.

4.4 Swatchhta Action Plan (SAP)

As per direction of the Government, Tea Board took initiative for implementation of the Swatchhta Action Plan in different offices of the Board and tea gardens in Assam. An amount of Rs.50 lakhs was spent towards cleaning of Board's office premises and beautification of surroundings and for awareness campaigns/seminars in 491 tea estates in Assam and construction of 82 demo (useable) toilets constructed in different tea estates in Assam

4.5 Closed Tea Estates :

The key reasons for sickness / closure can be attributed to :

- Poor yield
- Ageing bush profile and high vacancy
- Negligible (usually nil) uprooting / replanting
- Poor garden management practices
- Falling quality and price realizations
- Uneasy (though usually not volatile) industrial relations scenario
- Overall lack of development perspective
- Highly debt oriented funding strategy
- Ownership disputes

During the year under review the gardens that were closed are as under :

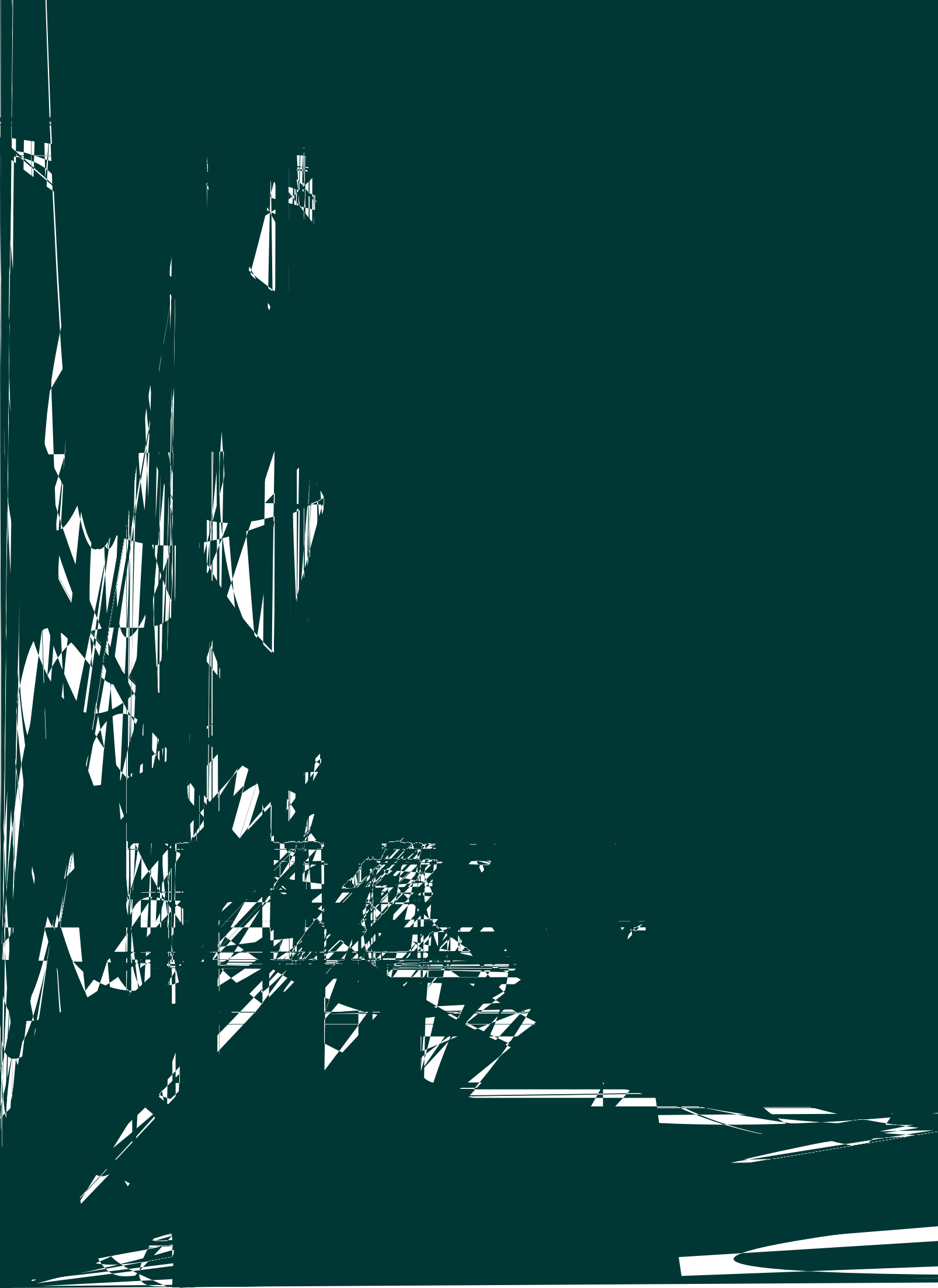

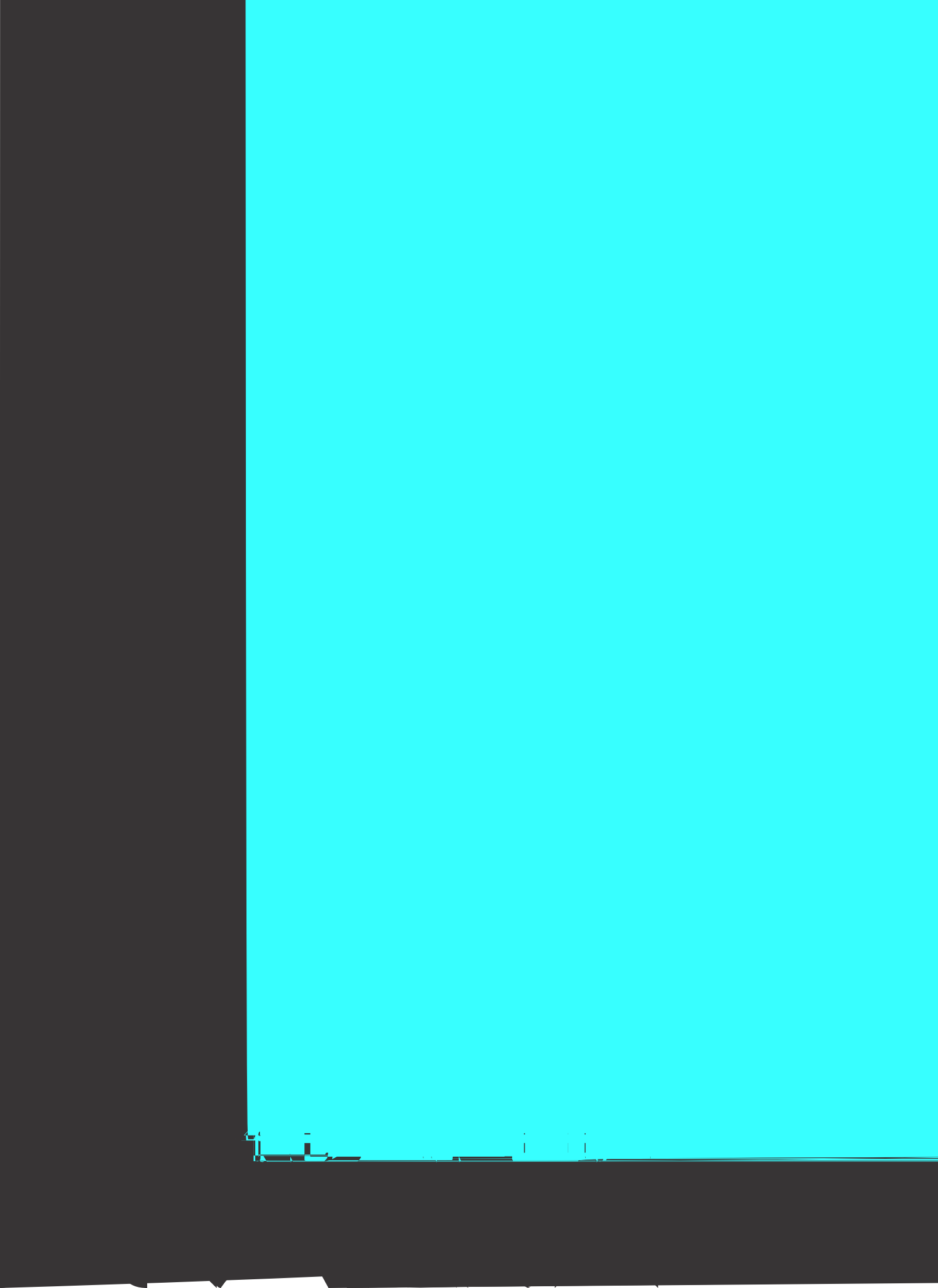

COMPONENT – QUALITY UPGRADATION AND PRODUCT DIVERSIFICATION

State-wise Financial Disbursement and Physical Achievement during 2017-18

State	Activity →	Factory Modernization (no)	Value addition (no.)	Setting up of new factories (no.)	Certification (no)	Incentive for Orthodox & Green tea (million kg)	Other Administrative Expenses	TOTAL
Assam	Financial (Lakh Rs.)	36.21	203.39	161.95		1042.24		**1443.79**
	Physical	2	7	3		34.73		
Tripura	Financial (Lakh Rs.)					4.73		**4.73**
	Physical					0.16		
West Bengal	Financial (Lakh Rs.)	8.16	144.26		1.14	304.67	39.47	**497.70**
	Physical	1	10		4	10.16		
Tamil Nadu	Financial (Lakh Rs.)	21.51	75.89			154.46		**251.86**
	Physical	2	2			5.15		
Kerala	Financial (Lakh Rs.)	10.06				193.28		**203.34**
	Physical	1				6.44		
Himachal Pradesh	Financial (Lakh Rs.)					22.83		**22.83**
	Physical					0.76		
Uttara-khand	Financial (Lakh Rs.)				0.58		**0.58**	
	Physical							
Maha-rashtra	Financial (Lakh Rs.)		15.28					**15.28**
	Physical		2					
Delhi	Financial (Lakh Rs.)		7.89					**7.89**
	Physical		1					
All India	Financial (Lakh Rs.)	75.94	446.71	161.95	1.14	1722.79	39.47	**2448.00**
	Physical	6	22	3	4	57.40		

COMPONENT –SMALL GROWERS' DEVELOPMENT SCHEME AND SPECIAL PACKAGES PART-2

State-wise Financial Disbursement and Physical Achievement during 2017-18

	State ———>	Tamil Nadu		Kerala		Karnataka		Himachal Pradesh		Uttara Khand		All India Total	
Component	Activity	Financial (Rs. Lakh)	Physical	Financial (Rs. Lakh)	Physical	Financial (Rs. Lakh)	Physical	Financial (Rs. Lakh)	Physical	Financial (Rs. Lakh)	Physical	Financial (Rs. Lakh)	Physical
SGD	Works												
	Workshop & Training Programmes (Funded)- no. of workshops/ participants	0.79	156 6194	0.67	14 651			2.05	57 1058	0.83	24 335	**40.43**	**1003** **38722**
	Workshop &Training Programmes (Advisory)-no. of workshops/participants								11 257		6 97		**17** **354**
	New planting(ha)	6.29	8.87	3.51	0.93			0.33	1.00			**190.66**	**180.21**
	Replanting (ha)	9.06	8.97									**9.06**	**8.97**
	Rejuvenation pruning (ha)	159.54	462.77	11.46	16.45	0.13	0.36					**171.13**	**479.58**
	Irrigation(ha)											**0.14**	**0.73**
	Field Mechanization (no. of equipments)							8.58	20			**8.58**	**20**
	One time grant to SHGs (no.)	46.86	12	5.38	1			34.81	9			**173.29**	**33**
SKRP	Mechanization (SHG) - no. of SHGs							35.60	19			**35.60**	**19**
	Mechanization (Individual)							12.99	80			**12.99**	**80**
	Demonstrations (no.of programmes and participants)							0.54	5 260			**0.54**	**5** **260**
	UKTDB* - Tea Nursery (no.)									62.52	2	**62.52**	**2**
SPI	Uprooting & Replanting (ha)			141.98	40.34							**141.98**	**40.34**
	Tea Factory by SHGs (no.)			175.00	1							**175.00**	**1**
	One time grant to SHGs (no.)			7.36	5							**7.36**	**5**
	SPNE**- Tea Nursery (nos)											**101.25**	**10**
	Miscellaneous Expenditure	0.80		1.00				2.73		0.05		**11.99**	
	Total of SGD and Special Packages	**223.34**		**346.36**		**0.13**		**97.64**		**63.40**		**1142.53**	
	Other Expenditure											**91.47**	
	TOTAL											**1234.00**	

UKTDB* – Nursery Grant for Uttarakhand Tea Development Board

SPNE**- Special Package for Non Traditional areas in the N. E. States for small growers

SPI - Special Package – Idukki

SKRP- Special Kangra Revival Package

ANN

State-wise Fina 7-18

Activity	Tripu m		West Bengal		Total	
	Financial (Rs. Lakh)	Physical	(Rs. Lakh)	Physical	Financial (Rs. Lakh)	Physical
d ch izati o.)	-		1	4	23.08	16
e ti ndi owe	-	-		-	7.10	48
e tim to HGs of HGs	1			-	13.71	4
Wo ksho Tr ing Pr amm of gram an of pa	54	-	60	2 80	62.64	201 5419
St (nd of Tou	1.18	-		-	7.58	55

Cleanliness program under Swatchhta Action Plan in Tea Board, Dibrugarh Assam

A completed Demo Toilet under Swatchhta Action Plan in Pabojan T.E, Assam

Training programme at Singlijan, Dibrugarh, Assam on PPC awareness on 28-06-2017

Training cum workshop on organic tea cultivation on 28-08-2017 at SGDD, Dibrugarh, Assam

Workshop on plucking and transportation of green leaf to maintain the quality and judicious use of chemicals among the STGs/ Green leaf suppliers at Attabarrie Tea Estate, Sivasagar, Assam on 01-07-2017

Tea Board stall bagged the first prize in National & International showcase category in 5th Assam International Agri Horti Show at Dibrugarh from 5th - 8th January 2018, organized by Agriculture Department, Government of Assam

Training Programme for Small Tea Growers at Village -Sullah,Tehsil-Palampur, Kangra on 11-05-2017

Study tour small growers of SC community from Himachal Pradesh to Champavat tea garden and Tea factory in Uttarakhand on 19-09-2017

Tea Factory, set up by the federation of small tea growers in Idukki, Kerala on 26-11-2017

Study Tour on hand made tea production for SC small growers at, Pororaihatty, Coonoor on 31-01-2018

Distribution of irrigation equipment under the PMKSY was launched at the Jalpaiguri Tea Auction Centre, Jalpaiguri, West Bengal on 08-02-2018

Residential training programme for 10 days from 02-01-2018 to 11-01-2018 on tea culture and field management practices for SC small growers at Tea Research Association, Bengdubi, Darjeeling, West Bengal

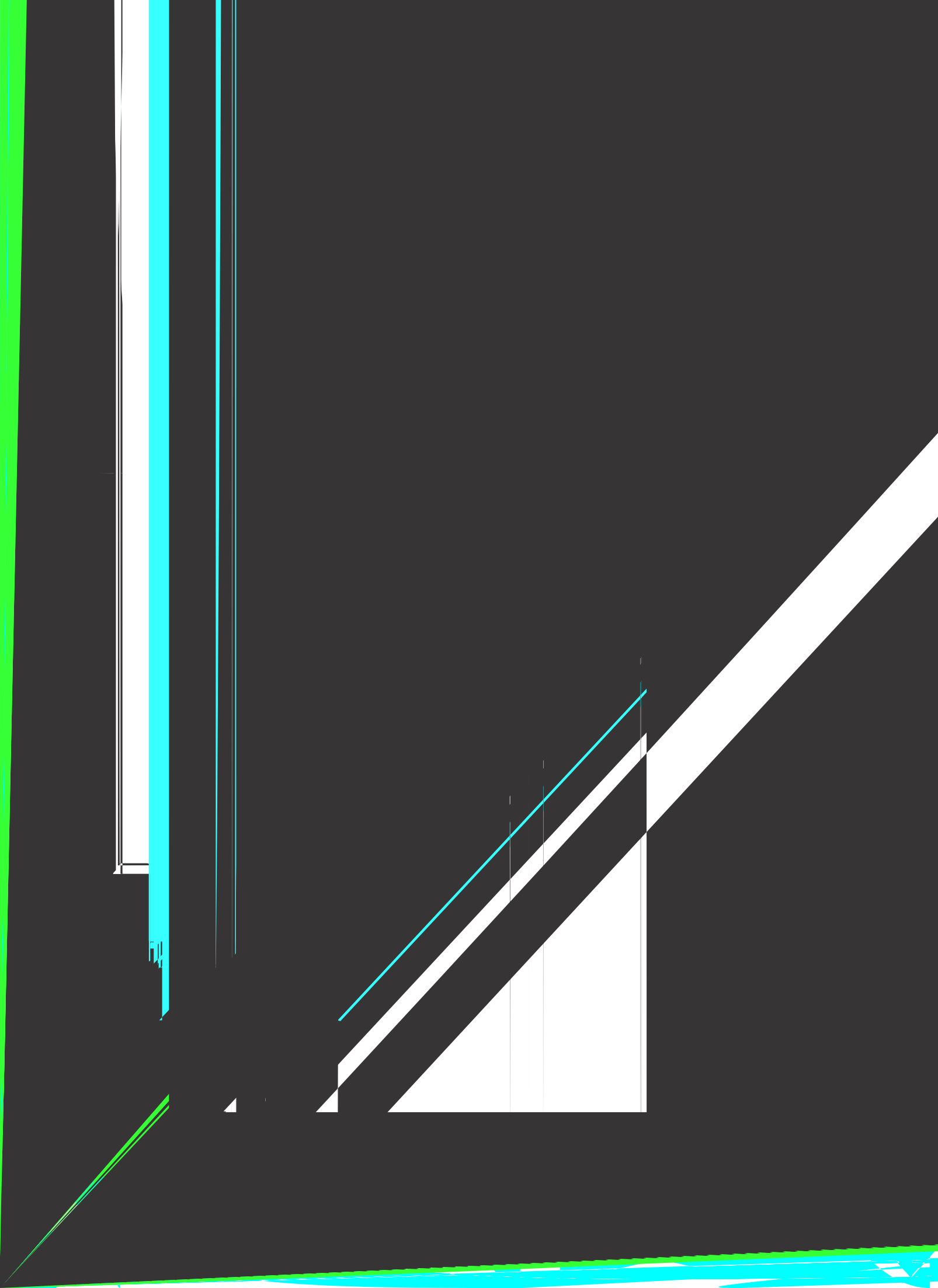

2. UPASI-TRF

- Modified pheromone trap with glue trap for tea mosquito bug was successfully tested.
- Bi- clonal seed stocks of TTSS-1 and TTSS-2 were propagated in nursery for field establishment in connection with future clonal selection program.
- Controlled hybridization work was done using TRF-3, TRF-4 and TRF-5 clonal varieties as parents to develop suitable clones having superior quality, high yield and drought tolerance characters.
- Soil application of humic acid formulation along with NK to increase the efficacy of fertilizers has been developed.
- Package of practices were developed under IPM strategy was demonstrated in two estates of the Anamallais against TMB. Sixth week observation showed that TMB population had drastically reduced by adopting IPM strategy..
- At TRI,UPASI TRF biodegradation of Fenpyroximate 5 EC/SC was studied under *in vitro* conditions by selected microbial strains isolated from tea rhizosphere. A total of four strains were screened based on their biodegradation properties of selected pesticide at recommended dose. All the tested microbes exhibited a higher range of degradation capabilities. Among the strains, *Pseudamonasfluorescens* (98%) and *Bacillus amyloliquefaciens* (96.7), *Bacillus licheniformis* (92.3%) and *Bacillus subtilis* (87.8%) showed better degradation ability to degrade the selected pesticide.
- The technology of chemical control of blister blight and grey blight disease in tea using thifluzamide (thiazolecarboxamide group of fungicide) has been developed.
- Transcripts of differentially expressed genes related to drought, quality and disease resistance were categorised and their function annotated.
- Technology of biological control methods for management of Tea Mosquito bug has been developed
- Aroma generation activities in the nilgiris region were studied. Results reveal differential enzyme activity in various clones.Large scale trial for shot hole borer using kairomone traps has been initiated.
- The results of the study on foliar application of Zintrac, an oxide formulation of zinc revealed that the total liquor colour of made tea had significantly increased when Zintrac was applied in comparison to zinc sulphate. The other quality parameters were not influenced by foliar application of Zintrac.
- To understand the differences in aroma generation enzyme activities and aroma precursors content in tea across south India, tea shoots (3leaves and a bud) were harvested from clones

CHAPTER – 6

TEA PROMOTION

Introduction:

One of the primary functions of the Tea Board is to undertake promotional activities with an objective to making India the leading supplier of quality teas globally. Promotional efforts are geared towards increasing awareness of the many varieties and categories of Indian teas with an aim of increasing market share of Indian teas in the targeted markets and increasing domestic consumption. Focused attention was given to selected countries, where there is higher potential for increasing export. Indian exporters were also provided with all possible support to encourage exports and marketing of Indian varieties in the overseas countries.

Overview of Tea production, domestic consumption and exports from India during 2017-18

India recorded the highest ever tea production of 1325.05 million kg during 2017-18(an increase of 74.56 million kg ie. 5.96%) in comparison to 2016-17. Domestic consumption was estimated to be 998 m. kg during this year.

On the other hand, Indian tea export registered export of 256.57 million kg valued at Rs. 5064.88 crores during 2017-18as compared to 227.63 million kg valued at Rs. 4632.50 croresduring 2016-17 (an overall increase of 28.94 m. kg or 12.71% in volume and Rs. 432.38 crores or 9.33% growth in value realisation).

In brief the comparative position is presented below:

2017-18					2016-17				
Qty in m. kg	Value in Rs. crs.	Value in m. USD	UP Rs/Kg.	UP ($/Kg.)	Qty in m. kg	Value in Rs. crs.	Value in m. USD	UP Rs/Kg.	UP ($/Kg.)
257	**5065**	**786**	**197.41**	**3.06**	**228**	**4633**	**691**	**203.51**	**3.03**

The major destination wise export scenario is placed at the Annexure - 1.

Market wise growth in 2017-18 as compared to 2016-17 was witnessed in respect of the following eight (8) markets as shown at Table – 1.

Table 1

Sr. No.	Export destination	Volume (m. kg)		Growth	
		2017-18	2016-17	Absolute (m. kg)	%
1.	Egypt	12.69	5.20	7.49	144.04
2.	Iran	31.19	24.24	6.95	28.67
3.	Pakistan	16.09	11.13	4.96	44.56
4.	China	9.00	6.09	2.91	47.78
5.	Russia	48.10	45.21	2.89	6.39
6.	UAE	21.63	18.84	2.79	14.81
7.	Poland	6.25	5.38	0.87	16.17
8.	Saudi Arab	4.50	3.72	0.78	20.97

Overview of Promotional activities during 2017-18

During 2017-18, Tea Board carried out various promotional activities through participation in important Trade Fairs & Exhibitions, undertaking tea delegations to important countries like

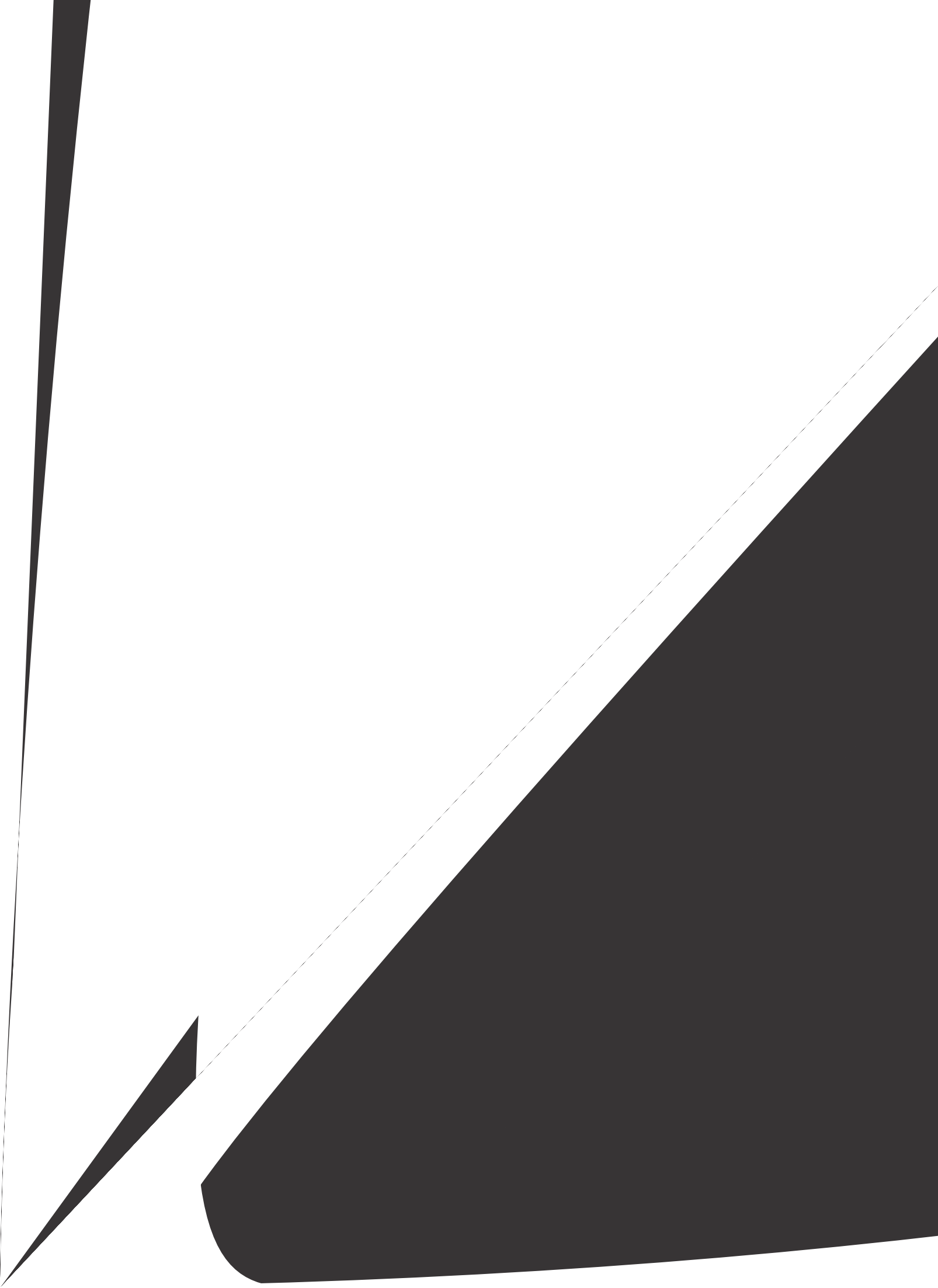

(1) Mounting of trade delegation to Iran during March 3-6, 2018

Under the leadership of Mr. Shyamal Misra, IAS, Dy. Chairman, Tea Board, a 25-member Indian tea delegation comprising officers from Tea Board, senior members of the tea industry (producer exporters & merchant exporters) and scientists visited Tehran, Iran during March 3-6, 2018 in order to streamline GMP Registration issues, Pesticides & MRL issues and banking issues.

The delegation had meetings with different Govt. departments viz. Food & Drug Administration, Ministry of Health (MOH), Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI), Islamic Republic of Iranian Customs and Tehran Chamber of Commerce during Mar 4-5, 2018. There was an informal buyer seller meet (BSM) organized in the evening of 4th Mar'18.

In all the meetings, both sides recalled historic cultural, economic and commercial relationships between the two great civilizations over centuries. Mr. Misra, Dy. Chairman Tea Board and leader of Indian delegation mentioned that Iran is an important tea trade partner of India. Iran imports orthodox teas and high quality orthodox teas are being produced by the Indian tea producers which are largely being consumed by Iran (28% of total orthodox tea production of 99 m. kg in 2017).

(2) Issue of GMP Registration, validity and renewal for the Indian exporters to Iran

The crucial issue of GMP Registration, validity and renewal towards export of India tea to Iran was addressed with the Ministry of Health, Iran through our Mission in Tehran in May 2018.

Arab Republic of Egypt

The Arab Republic of Egypt with a population of 92 million has a market size 97 m. kg and per

spectrum of posters as well as displays showing divergent facets of Indian tea – its sprawling & verdant tea estates, logos and product ranges & grades were on display throughout the stand.

Participation in "Foodex, Japan" during March 06-9, 2018

Tea Board, India participated in the exhibition along with 11 nos. of prominent exporters covering 108 sq m of Indian Tea pavilion:

The stall of Tea Board was decorated with the posters of Darjeeling, Assam, Nilgiri, Sikkim & Kangra Tea (in Japanese language). The individual caddies of these teas were also displayed at the stall. Brochures in Japanese language were distributed as a handy reference for providing information on variety of Indian teas. Short movies about Indian tea were also shown at the stall in order to depict the various tea moods of India.

The exporters have also showcased various types of Indian teas in the exhibition. Apart from good quality Organic Darjeeling teas which are always in high demand in Japan, the exporters have also exhibited other teas like high quality Assam teas, Green tea, Oolong tea value added teas, flavoured teas, South Indian Orthodox/CTC teas, etc. which have fetched enquiries from the buyers as well. Temi tea estate, Government of Sikkim, also participated in the event and received attention from Japanese buyers.

On the opening day of the event i.e on 6 th March, 2018, the Tea Board stall and the entire tea pavilion was visited by Shri Raj Kumar Srivastava, Deputy Chief of Mission, and Shri Bhagirathi Behera, First Secretary (Eco), Embassy of India, Tokyo. The officials interacted with the Indian exporters and enquired on the future market scenario of Indian tea in Japan including the areas where the Indian exporters are planning to focus as per the growing demand of Japanese buyers and ensured to extend all kind of possible support to promote Indian teas in Japan. The Senior

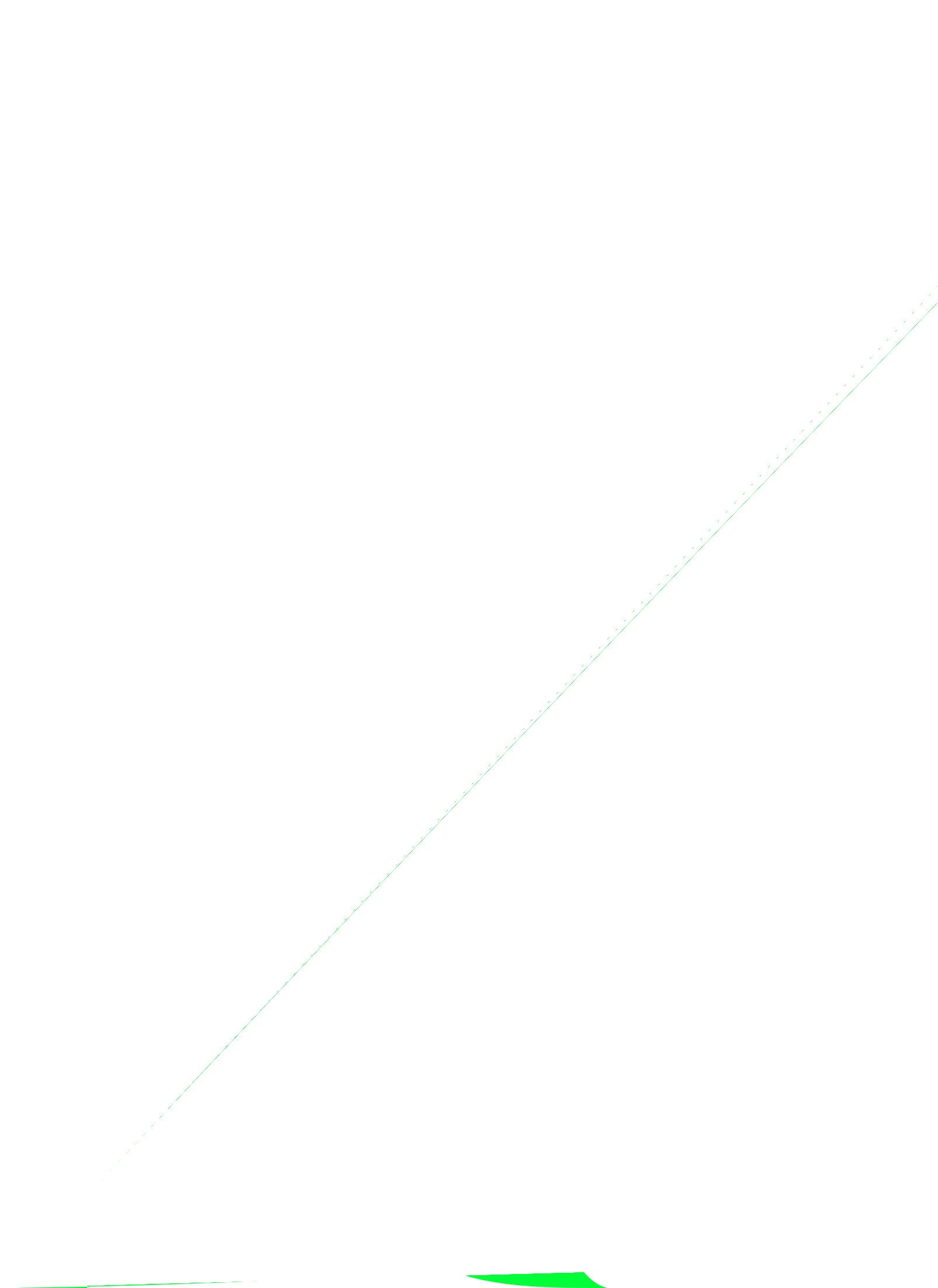

Annexure - 2

Country Name	2017-18					2016-17					Growth (%)					Absolute				
	Qty. (M. Kgs.)	Value (Rs. Crs.)	Value (Mill US $)	Unit Price (Rs/Kg.)	Unit Price ($ Kg)	Qty (M. Kgs.)	Value (Rs. Crs)	Value (Mill US $)	Unit Price (Rs/Kg)	Unit Price ($/Kg)	Qty. (M.Kgs)	Value (Rs. Cr.)	Value (M US$.)	UP (Rs/Kg)	UP ($/Kg)	Qty. (M.Kgs)	Value (Rs. Cr.)	Value (Mill (USS)	Unit Price (Rs/Kg)	Unit Price ($/Kg)
Russian Fed	48.1	777.17	120.59	161.57	2.51	45.21	683.38	101.9	151.16	2.25	6.39	13.72	18.34	6.89	11.56	2.89	93.79	18.69	10.41	0.26
Ukraine	3.75	56.24	8.73	149.97	2.33	3.28	48.64	7.25	148.29	2.21	14.33	15.63	20.41	1.13	5.43	0.47	7.6	1.48	1.68	0.12
Kazakhstan	9.74	177.15	27.49	181.88	2.82	12.09	228.41	34.06	188.92	2.82	-19.44	-22.44	-19.29	-3.73	0	-2.35	-51.26	-6.57	-7.04	0
Other CIS	1.5	29.19	4.53	194.6	3.02	1.21	22.66	3.38	187.27	2.79	23.97	28.82	34.02	3.91	8.24	0.29	6.53	1.15	7.33	0.23
Total CIS	**63.09**	**1039.75**	**161.34**	**164.8**	**2.56**	**61.79**	**983.09**	**146.59**	**159.1**	**2.37**	**2.1**	**5.76**	**10.06**	**3.58**	**8.02**	**1.3**	**56.66**	**14.75**	**5.7**	**0.19**
United Kingdom	16.07	324.19	50.3	201.74	3.13	16.06	316.14	47.14	196.85	2.94	0.06	2.55	6.7	2.48	6.64	0.01	8.05	3.16	4.89	0.19
Netherlands	4.26	99.85	15.49	234.39	3.64	3.7	97.03	14.47	262.24	3.91	15.14	2.91	7.05	-10.62	-6.91	0.56	2.82	1.02	-27.85	-0.27
Germany	10.42	246.2	38.2	236.28	3.67	10.79	262.01	39.07	242.83	3.62	-3.43	-6.03	-2.33	-2.7	1.38	-0.37	-15.81	-0.87	-6.55	0.05
Ireland	2.65	102.17	15.85	385.55	5.98	2.36	93.55	13.95	396.4	5.91	12.29	9.21	13.62	-2.74	1.18	0.29	8.62	1.9	-10.85	0.07
Poland	6.25	96.79	15.02	154.86	2.4	5.38	83.72	12.48	155.61	2.32	16.17	15.61	20.35	-0.48	3.45	0.87	13.07	2.54	-0.75	0.08
USA	13.23	363.27	56.37	274.58	4.26	14.61	405.63	60.48	277.64	4.14	-9.45	-10.44	-6.8	-1.1	2.9	-1.38	-42.36	-4.11	-3.06	0.12
Canada	2.5	67.47	10.47	269.88	4.19	2.95	87.74	13.08	297.42	4.43	-15.25	-23.1	-19.95	-9.26	-5.42	-0.45	-20.27	-2.61	-27.54	-0.24
UAE	21.63	427.47	66.33	197.63	3.07	18.84	390.61	58.24	207.33	3.09	14.81	9.44	13.89	-4.68	-0.65	2.79	36.86	8.09	-9.7	-0.02
Iran	31.19	778.61	120.82	249.63	3.87	24.24	632.82	94.36	261.06	3.89	28.67	23.04	28.04	-4.38	-0.51	6.95	145.79	26.46	-11.43	-0.02
Saudi Arabia	4.5	106.51	16.53	236.69	3.67	3.72	90.3	13.46	242.74	3.62	20.97	17.95	22.81	-2.49	1.38	0.78	16.21	3.07	-6.05	0.05
Egypt (ARE)	12.69	174.4	27.06	137.43	2.13	5.2	58.58	8.73	112.65	1.68	144.04	197.71	209.97	22	26.79	7.49	115.82	18.33	24.78	0.45
Afghanistan																				

Tea Board's Participation in Summer Fancy Food, New York, June 25-27, 2017

Buyer seller interaction and Indian Tea Appreciation session at the Consulate General of India, New York, on 26th June, 2017. The Buyer Seller Interaction was a joint effort of the Consulate General of India, Tea Board India and US Tea Association

Indian Tea Sampling Session and Presentations during Tea Board India's participation at World Food Moscow from 11-14 September 2017

Tea Board's Participation in World Food Kazakh, Almaty, 01-03 November 2017

Tea Board India's participation at World Food Moscow from 11-14 September 2017

Tea Board India's Participation at Gulf Food 2018 held in Dubai during February 18-22, 2018

Visit of Indian Tea Delegation to Egypt, March 7-9, 2018

Indian Tea Promotion Seminar and Buyer-Seller Meet organized in Cairo on 7th March 2018

Visit of Indian Tea Delegation to Iran, March 3-6, 2018

Tea Board's Participation at Janadriyah Festival, Riyadh, Saudi Arabia, February 7-24, 2018

Tea Board's Participation at Foodex Japan, March 6-9, 2018

2	Tea Distribution (Control) Order, 2005	Exporter License	For three years	Fresh-1000 Renewal-1000
		Permanent Exporter License	Lifetime	2500
		Distributor License	Lifetime	2500
		Laboratory Enlistment	Five years or up to validity of NABL, whichever is earlier	
3	Tea Waste (Control) Order, 1959	Tea Waste License	For a calendar year	Fresh-100 Renewal-50
4	Tea Warehousing (Licensing) Order, 1989	Tea Warehouse License	Valid for three years on 1st issuance and then renewed yearly.	Fresh-1000 Renewal-2000

Sl No	Control Orders	License/Registration issues	Validity	License/Registration/Certificate Charges (in Rs.)		
1	Tea Act, 1953	Planting permit, Extension/replacement planting permit	Lifetime			
2	GSR 694 (E) dated 11.10.99 issued by Ministry of Health and	Registration of flavour tea manufacturer	Lifetime	For first three flavours	Prior to 6th September, 2017 5000	From 6th September, 2017 19000

Sl No	Control Orders	License/Registration issues	Validity	License/Registration/Certificate Charges (in Rs.)		
4	Tea Act	Recording of change of ownership of registered estates and factories	Lifetime		Prior to 6th September, 2017	From 6th September, 2017
				Estate	10000	57500
				Factory	10000	1,16,000

7.2.2 No. of Licenses issued

The total no. of licenses issued across the country for the reporting period along with the quantum of revenue generated are tabulated below:

Sl No	Control Orders	Nature of License/ Registration	No. of licenses/ registration/certificates issued	Revenue Collected (in Rs.)
1	The Tea Marketing (Control) Order, 2003	NOC to manufacturing units	30	.....
		Registration to manufacturing units	54	1,35,000
		Buyer Registration	318	7,95,000
		Broker License	20	10,000
		Auction Organizer License	9	4500
		Certificate to Mini Tea Factory	7	7000
2	Tea (Distribution & Export) Control Order, 2005	Exporter License	368(300 fresh and 68 renewal)	3,68,000 (3,00,000 fresh and 68,000 renewal)
		Permanent Exporter License	2	5000
		Distributor License	16	40,000
		Laboratory Enlistment	4 (Fresh only issued after 6th September, 2017)	4,28,000
3	Tea Waste (Control) Order, 1959	Tea Waste License	847 (114 fresh and 733 renewal)	48,050 (11,400 for fresh and 36,650 for renewal)
4	Tea Warehousing (Lincesing) Order, 1989	Tea Warehouse License	186 (60 fresh and 126 renewal)	85,200 (60,000 for fresh and 25,200 for renewal)
5	Tea Act, 1953	Planting permit, Extension/ replacement planting permit	.....	.....

There are seven registered auction centres in the country viz., Kolkata, Siliguri, Guwahati, Jalpaiguri, Coonoor, Cochin & Coimbatore where auctions are presently being conducted through electronic platform provided by Tea Board.

Tea Auction is being carried out electronically across 7 auction centres since 2009. However, in order to bring uniformity in the auction process of all centres as well as to put an end-to-end integrated auction system in place, Tea Board introduced Pan India Auction system from May 2016 to ensure increased participation of buyers in the auction process with much improved methodology.

The quantum of tea sold and purchased through e-auction under Pan India Module during the financial year 2017-2018 are as follows:

Auction Centre	April 2016 to March 2017		April 2017 to March 2018	
	Qty(MKgs)	Price (Rs/kg)	Qty(MKgs)	Price (Rs/kg)
Kolkata Leaf	117.65	157.70	116.72	161.63
Kolkata Dust	41.99	148.05	38.82	160.22
Total Kolkata	**159.64**	**155.17**	**155.54**	**161.28**
Guwahati Leaf	105.78	132.30	115.24	137.13
Guwahati Dust	46.17	139.78	46.71	153.11
Total Guwahati	**151.95**	**134.58**	**161.95**	**141.74**
Siliguri Leaf	104.87	128.31	120.33	126.63
Siliguri Dust	14.11	124.71	15.21	129.46
Total Siliguri	**118.98**	**127.88**	**135.54**	**126.95**

ii. Implementation of Post Settlement Module:

Although the 1st phase of the Pan India System was implemented in 2016, the 2nd phase i.e. the post settlement module has been introduced from February, 2018 in Coonoor centre, followed by Siliguri and Coimbatore in February and March 2018 respectively. Board has partnered with ICICI Bank to extend the post auction settlement benefits to the stakeholders through the e-Auction system. Some of the significant advantages of the system are highlighted below :

- Faster settlement of payments of sellers, brokers & warehouses within one day of receipt of payment from the buyers.
- Online receipt of invoices and delivery orders by the buyers, thereby reducing the time period of the cycle.
- Introduction of user friendly payment mode for the buyer with less dependency on RTGS/ NEFT cut off timing on the actual day of payment.
- Online receipt of MIS and bank statements by the stakeholders.

The system so introduced has made the post auction settlement process completely online with end to end integration with the auction system. Board has also conducted series of mock trainings and handholding sessions in the auction centres before actual go live.

With the implementation of post auction settlement process, collection of transaction charges by Tea Board @ Rs.0.02/-per kg from each stakeholder (Seller, Broker & Buyer) has also been put into place to make the auction system self sustainable. As on 31st March, 2018, an amount of Rs. 6.46 lakhs has been collected by Tea Board from the post sale transactions.

7.5 Online Licensing

Electronic submission and status tracking of licensing applications along with online generation of licenses across the country is one of the major initiatives taken by this department. The designing and development of the system has been completed during this financial year and mock trainings of the stakeholders at various tea growing areas have also been completed successfully. The system is ready to go live by 1st week of April, 2018.

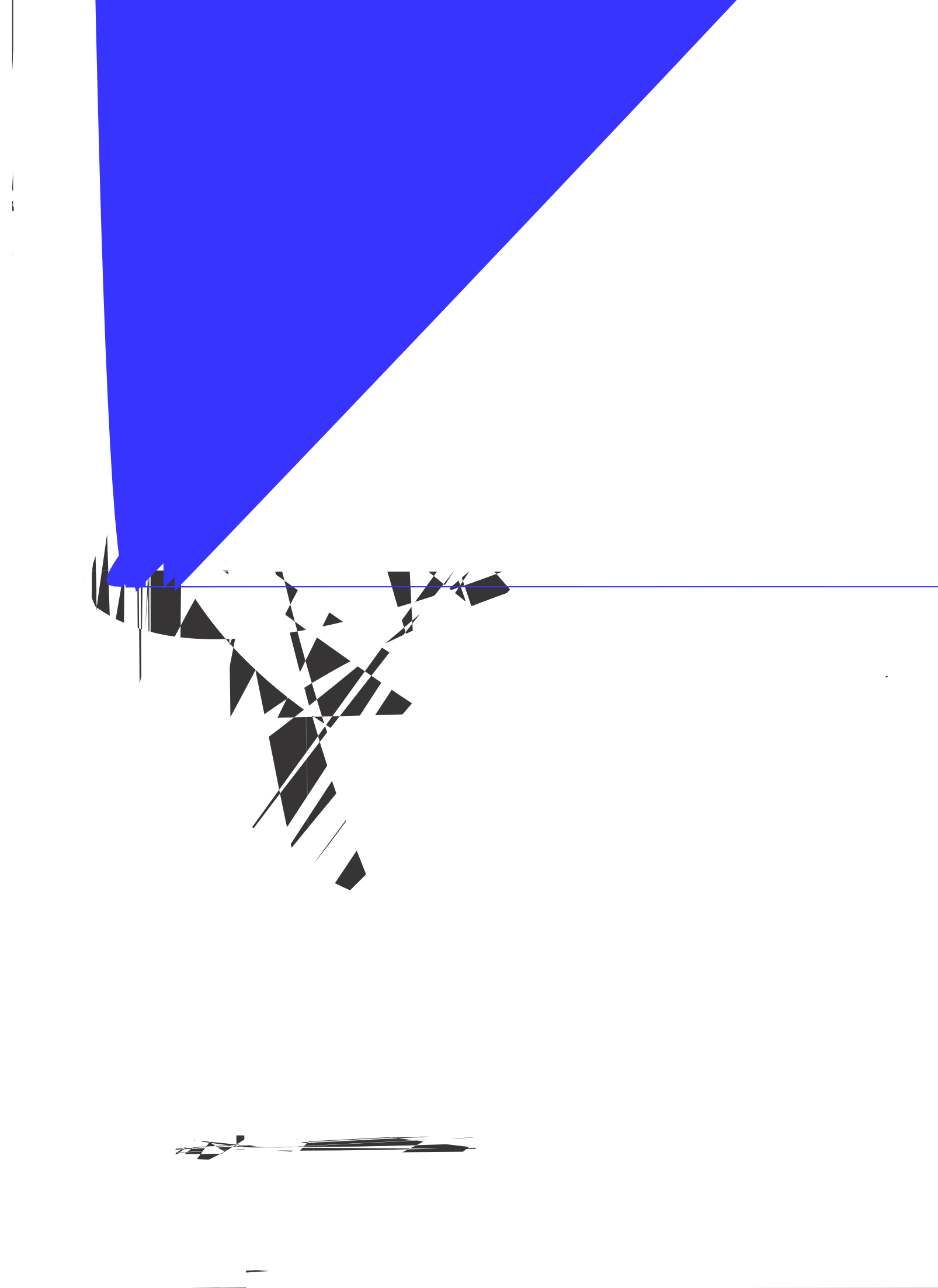

iv) **XI plan committed cases under capital grants for construction of school /college/hostel building :**

Provision was there for settlement of committed and residual payments of XI Plan cases.

v) **Financial Assistance for Bharat Scouts & Guides**: The Board's grant under the financial Assistance Scheme towards Bharat Scouts & Guides covered for payment towards salary and allowances for maintenance of posts of Districts Scouts/Guide Organizers; re-imbursement of training camp charges; payment for holding rallies, rally-cum-camps, jamborees etc. and matching grant for purchase of uniform to tea garden scouts/guides etc.

Quantum of grant : (a) Monthly salary for full time district Scouts/Guide Organizer was Rs. 5000/- and the rate of conveyance allowance was fixed at a flat rate of Rs.1,500/- per month.

Training camps : Mea charges Rs.100/- per head per day; Incidental charges @ Rs. 100/- per candidates per t

Annual District Rall arges not more than Rs. 100/- per head per day; Incidental charges Rs.1000/-

State Rally/ Campor ges Rs 100/- per head per day

National Jamboree: / ex eeding Rs.100/- per head per day

Uniform Grant: Rs. 2

(C) Imparting trainin for w

Table-1

COMPONENT –HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

STATE-WISE FINANCIAL DISBURSEMENT AND PHYSICAL ACHIEVEMENT DURING 2017-18 (AS PER 12TH PLAN GUIDELINES)

State	activity	Health			Education				Training		Other	Total
		Purchase of medical equip-ment	Financial Assistance for disabled persons for aid equipments (No. of person)	Financial assistance for cancer/ heart patients (no)	Stipend (no)	Nehru Award (no)	Book & School uniform grant for Gardens affected by natural calamity / closed gardens	Bharat Scouts & Guides - Training Camps/ Rallys, Jamborees/ Compares (No. of camps and no. of student beneficiaries)	Voca-tional training (no. of courses and no. of student benefi-ciaries)	XI Plan Capital Grant - school/ college (no)	Other Adminis-trative Expenses	
Assam	Amt (Lakhs)	-	-	0.64	95.88	8.69	-	-	15.35	11.65	-	**132.21**
	Physical	-	-	-	1,567	198	-	-	7 | 246	5	-	-
Tripura	Amt (Lakhs)	-	-	-	1.35	0.42	-	0.40	-	-	-	**2.17**
	Physical	-	-	-	19	10	-	1 | 28	-	-	-	-
West Bengal	Amt (Lakhs)	21.51	-	-	98.26	2.39	12.57	0.92	-	-	6.70	142.35
	Physical	34	-	-	1,098	52	419	227 | 2743	-	-	-	-
Tamil Nadu	Amt (Lakhs)	-	0.04	-	115.28	1.14	-	1.50	-	-	-	**117.96**
	Physical	-	1	-	468	24	-	25 | -	-	-	-	-
Kerala	Amt (Lakhs)	-	0.53	-	130.50	1.02	-	-	-	-	-	**132.05**
	Physical	-	3	-	548	23	-	-	-	-	-	-
Hima-chal Pradesh	Amt (Lakhs)	-	-	-	1.46	-	-	-	-	-	-	**1.46**
	Physical	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
Uttara-khand	Amt (Lakhs)	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	**0.40**
	Physical	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
Karna-taka	Amt (Lakhs)	-	-	-	0.26	0.00	-	-	-	-	-	**0.26**
	Physical	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
All India	**Amt (Lakhs)**	**21.51**	**0.57**	**0.64**	**442.99**	**14.06**	**12.57**	**2.82**	**15.35**	**11.65**	**6.70**	**522.16**
	Physical	**34**	**4**	**1**	**3714**	**316**	**419**	**253 | 9958**	**7 | 246**	**5**	-	-

CHAPTER – 11

VIGILANCE CELL

Report on vigilance Cell for the year 2017-18

The Secretary of Tea Board acts as Chief Vigilance Officer by the Board which is appointed by the Central Vigilance Commission. The overall activities of the Vigilance Cell are being done under the supervision of Chief Vigilance Officer. The total strength of vigilance Cell is two apart from Secretary.

The main function of the vigilance Cell is to implement the directives of the Government/the Central Vigilance Commission, all of which is done on a regular basis. The Vigilance Cell also attends various queries and submits monthly and quarterly report to the Government. As per the advice of Chief Vigilance Officer the directives of CVC in respect of tender and preventive vigilance etc. are being followed in the Board in every respect. The Law Officer is also working as Vigilance Officer. Another important activity of vigilance cell is the observance of Vigilance Awareness Week every year as per directive of the Central Vigilance Commission during which all the employees of Tea Board are administered oath in the form of messages on efficiency and

CHAPTER-12

LEGAL CELL & RTI

Report on Legal, IPR Cell and RTI Act, 2005, for the year 2017-18

Tea Board's Legal Cell is working under the Law Officer. He is being assisted by other staff members. The Legal Cell of Tea Board is attending to all legal matters of the Board as and when referred to by the officers of Tea Board in Head office/Regional Offices. The Cell is also maintaining liaison with the Board's Solicitors/Law Firms viz. M/s. Fox &Mandal, M/s. Paul & Paul, Rajesh Khaitan& Co., K & S Partners, M/s. Menon&Pai and other legal consultants on behalf of the Board. The number of cases pending as on 31.03.2017 was 62. During the year under review, 38 new cases arose and 14 cases were disposed of. As on 31.03.2018 the total number of pending cases was 86.

The IPR Cell is also looking after all matters relating to Intellectual Property Rights including administration of various logo mark/word mark registered by the Board under different statues in India and abroad. The Cell, in the year under report has issued 1424 number of Certificate of origin (COO) certifying the genuineness of Darjeeling tea prior to its export. Moreover, the Cell has issued 43 and renewed 97 permissions for use of the mark of Darjeeling, Assam Orthodox, Nilgiri Orthodox, Assam Logo, Nilgiri logo, India Tea Logo and Dooars-Terai Logoand thus collected Rs.10,41,500/- as part of IEBR.

This RTI Cell is also responsible for performing the job relating the disposal of applications and appeal made under the Right to Information Act, 2005 and sending monthly as well as yearly return to the Ministry. The Law Officer is the Nodal Officer and one among the three designated Public Information officers. In the year under report, the 65 applications and 04 appeals under the Right to Information Act have been disposed of.